



कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२१-२०२२

गृह विभाग

(भाग ५)

तुरंग

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे-४११ ००६

२०२१

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२१-२०२२

गृह विभाग

(भाग ५)

तुरुंग

गृह विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकांची यादी

| कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचा क्रमांक | | कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचे नाव |
|---------------------------------|----|---------------------------------|
| १ | .. | गृह विभाग (सर्वसाधारण) |
| २ | .. | गृह विभाग (राज्य उत्पादन शुल्क) |
| ३ | .. | गृह विभाग (परिवहन) |
| ४ | .. | गृह विभाग (पोलीस) |
| ५ | .. | गृह विभाग (कारागृह) |

अनुक्रमणिका

कार्यक्रम

| | पृष्ठ |
|--|-------|
| तुरुंग | .. १ |
| वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे (४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च | ४ |
| एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमनिहाय तपशील (विवरणपत्र 'अ') | .. १३ |
| एकूण अर्थसंकल्पाचा प्रधान शीर्ष-नि-कार्यक्रमनिहाय तपशील (विवरणपत्र 'ब') | .. १४ |
| कार्यक्रम १. संचालन व प्रशासन | .. १५ |
| (अ) महाराष्ट्र राज्य कारागृह कर्मचारी कुटुंब कल्याण निधी | .. १८ |
| (ब) क्रीडा निधी | .. २० |
| (क) बंदी कल्याण निधी | .. २० |
| कार्यक्रम २. तुरुंग व तुरुंगनिर्मित वस्तू | .. २३ |
| (अ) तुरुंग | .. २३ |
| (ब) तुरुंगनिर्मित वस्तू | .. २५ |
| (क) शेती विभाग | .. २५ |
| (१) कैदी ठेवण्याची अधिकृत क्षमता व कैदी संख्या | .. ३६ |
| (२) तुरुंग उद्योग | .. ४४ |
| (३) कैद्यांचा आहार | .. ४५ |
| (४) कारागृह उपाहारगृहे | .. ५२ |
| (५) कैद्यांचे कपडे आणि बिस्तरे | .. ५२ |
| (६) कारागृह रुग्णालये | .. ५३ |
| (७) कारागृह कृषी विभाग | .. ५३ |
| (८) येरवडा येथील खुले कारागृह शेती व कारागृह उद्योग | .. ५५ |
| (९) विविध कारागृहात विक्री केंद्रे उभारण्यात आलेली आहेत. | .. ५६ |
| (अ) येरवडा, ठाणे, नाशिक रोड, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद कारागृह – विक्री भवन | .. |
| (ब) नागपूर मध्यवर्ती कारागृह – विक्री भवन | .. |
| (१०) सर्विस सेंटर | .. ५६ |
| (११) खुली कारागृहे व खुल्या वसाहती | .. ५६ |
| (१२) कारागृहाच्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण व प्रशिक्षण | .. ५७ |
| (१३) किशोर सुधारालय, नाशिक | .. ५७ |
| (१४) कर्मचारी गोषवारा | .. ५८ |
| कार्यक्रम ३. इतर खर्च (सहायक अनुदान, अंशदान व देणग्या) | .. ६२ |

(तीन)

कारण्ह विभागाचे संघटन ORGANISATIONAL SET-UP OF PRISON DEPARTMENT
 अपर पोलीस महासंचालक ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
 विभाग प्रमुख HEAD OF THE DEPARTMENT
कारण्ह महानिरीक्षक INSPECTOR GENERAL OF PRISON

| कारण्ह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) Dy. Inspector General of Prisons (HO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| पोलीस उपनिरीक्षक (दक्षता) Dy. Superintendent of Police (Vigilance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पोलीस उपनिरीक्षक Police Sub Inspector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुख्यालय HEAD OFFICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>संशोधन</th> <th>स्वीकृत</th> <th>लेखा</th> <th>रचना वा</th> <th>तंत्र</th> <th>सार्विकी</th> <th>अधिकारी</th> <th>तुळना उद्योग</th> <th>विधि</th> <th>उपआधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अधिकारी Research Officer</td> <td>सहायक Personal Assistant Officer</td> <td>अधिकारी Accounts Officer</td> <td>कार्यपालकी अधिकारी Agri. O. & M. Officer</td> <td>अधिकारी (शोर्टी) Statistical Officer</td> <td>अधिकारी Supdt. Jail Industries Officer</td> <td>अधिकारी Law Officer</td> <td>अधिकारी Industries Officer</td> <td>कारण्ह Deputy Engineer</td> <td>कारण्ह</td> </tr> <tr> <td>संशोधन संस्थान</td> <td>सहायक सहायक</td> <td>अधिकारी अधिकारी</td> <td>कार्यपालकी अधिकारी</td> <td>अधिकारी अधिकारी</td> <td>अधिकारी अधिकारी</td> <td>अधिकारी अधिकारी</td> <td>अधिकारी अधिकारी</td> <td>कारण्ह कारण्ह</td> <td>कारण्ह कारण्ह</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | संशोधन | स्वीकृत | लेखा | रचना वा | तंत्र | सार्विकी | अधिकारी | तुळना उद्योग | विधि | उपआधिकारी | अधिकारी Research Officer | सहायक Personal Assistant Officer | अधिकारी Accounts Officer | कार्यपालकी अधिकारी Agri. O. & M. Officer | अधिकारी (शोर्टी) Statistical Officer | अधिकारी Supdt. Jail Industries Officer | अधिकारी Law Officer | अधिकारी Industries Officer | कारण्ह Deputy Engineer | कारण्ह | संशोधन संस्थान | सहायक सहायक | अधिकारी अधिकारी | कार्यपालकी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | कारण्ह कारण्ह | कारण्ह कारण्ह | | | | | | | | | | |
| संशोधन | स्वीकृत | लेखा | रचना वा | तंत्र | सार्विकी | अधिकारी | तुळना उद्योग | विधि | उपआधिकारी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अधिकारी Research Officer | सहायक Personal Assistant Officer | अधिकारी Accounts Officer | कार्यपालकी अधिकारी Agri. O. & M. Officer | अधिकारी (शोर्टी) Statistical Officer | अधिकारी Supdt. Jail Industries Officer | अधिकारी Law Officer | अधिकारी Industries Officer | कारण्ह Deputy Engineer | कारण्ह | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संशोधन संस्थान | सहायक सहायक | अधिकारी अधिकारी | कार्यपालकी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | अधिकारी अधिकारी | कारण्ह कारण्ह | कारण्ह कारण्ह | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>द. जा.</th> <th>तुळनाधिकारी</th> <th>उपमहानिरीक्षक,</th> <th>उपमहानिरीक्षक,</th> <th>उपमहानिरीक्षक,</th> <th>प्रशिक्षण</th> <th>प्रशिक्षण</th> <th>प्रशिक्षण</th> <th>प्रशिक्षण</th> <th>प्रशिक्षण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>द. जा.</td> <td>तुळनाधिकारी</td> <td>पूर्व विभाग,</td> <td>पूर्व विभाग,</td> <td>पूर्व विभाग,</td> <td>येरवडा, पुणे</td> <td>येरवडा, पुणे</td> <td>येरवडा, पुणे</td> <td>येरवडा, पुणे</td> <td>येरवडा, पुणे</td> </tr> <tr> <td>द. जा.</td> <td>तुळनाधिकारी</td> <td>ओरावाड</td> <td>नागपूर</td> <td>नागपूर</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> </tr> <tr> <td>द. जा.</td> <td>तुळनाधिकारी</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> <td>येरवडा</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | द. जा. | तुळनाधिकारी | उपमहानिरीक्षक, | उपमहानिरीक्षक, | उपमहानिरीक्षक, | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | द. जा. | तुळनाधिकारी | पूर्व विभाग, | पूर्व विभाग, | पूर्व विभाग, | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | द. जा. | तुळनाधिकारी | ओरावाड | नागपूर | नागपूर | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | द. जा. | तुळनाधिकारी | येरवडा |
| द. जा. | तुळनाधिकारी | उपमहानिरीक्षक, | उपमहानिरीक्षक, | उपमहानिरीक्षक, | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| द. जा. | तुळनाधिकारी | पूर्व विभाग, | पूर्व विभाग, | पूर्व विभाग, | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | येरवडा, पुणे | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| द. जा. | तुळनाधिकारी | ओरावाड | नागपूर | नागपूर | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| द. जा. | तुळनाधिकारी | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | येरवडा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai.</th> <th>Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur.</th> <th>Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad.</th> <th>D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune.</th> <th>Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai.</td> <td>Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur.</td> <td>Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad.</td> <td>D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune.</td> <td>Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison.</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai. | Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur. | Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad. | D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune. | Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison. | Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai. | Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur. | Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad. | D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune. | Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai. | Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur. | Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad. | D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune. | Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dy. I. G. Prisons, Southern Region, Mumbai. | Dy. I. G. Prisons, Eastern Region, Nagpur. | Dy. I. G. Prisons, Central Region, Aurangabad. | D. J. Jail Officers Training College, Yeravda, Pune. | Central Jails, District Jails, Cl. I. and Cl. II Sub-Jails (Taluka) Open Colony Swatantrapur, Alpadi, District Sangli, Open Prison, Yeravda, Pune Women Open District Prison. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(चौर)

तुरंग

प्रस्तावना

पुनर्वसनासाठी गुन्हेगारांची सुधारणा हे ध्येय ठेवून १८९४ च्या तुरंग कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील कारागृहांची स्थापना झाली आहे. कारागृहांची स्थापना करण्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध वर्तन करून गुन्हा करण्याच्या गुन्हेगारांना समाजाच्या शांतता व स्वास्थ्यतेच्या दृष्टीने काही काळ एकांतवासात ठेवणे हा होय व तदनंतर अशा गुन्हेगारांना सुधारण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम तयार करणे. अशा कार्यक्रमांत साधारणपणे करून गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून त्याला दूर नेणे याकरिता करावा लागतो.

कारागृह विभागाची कार्य थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत :-

१. कैद्यांचा सांभाळ करणे व खालील कायद्यांचे प्रशासन करणे :-

(अ) तुरंग कायदा, १८९४.

(ब) कैदीविषयक कायदा, १९००.

(क) किशोर सुधारणा कायदा, १९२९.

(ड) कैद्यांचा स्थलांतरविषयक कायदा, १९५०.

२. कैद्यांच्या गुन्हेगारी जीवनाचा व त्याला गुन्हेगारी जीवनाकडे नेणाऱ्या त्यांच्या जीवनातील घटनांचा अभ्यास करणे, तसेच या अभ्यासात कैद्यांची आर्थिक व मानसिक स्थिती, त्यांची कौटुंबिक परिस्थिती, गुन्हेगारी करण्याची पद्धती, त्यांचे शेजाऱ्याबरोबर असलेले संबंध व वागणूक तसेच समाजविधातक व्यक्तीरी त्यांचे असलेले संबंध इत्यार्दीचा समावेश असतो. त्यांचे सुरुवातीचे वर्तन कसे होते व त्यातून त्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती कशी वाढली याचाही अभ्यास करणे प्राप्त असते.

३. गुन्हेगारांच्या वागणुकीत सुधारणा होईल हे गृहीत थरून त्याला शिक्षण व मार्गदर्शन करणे तसेच हे शिक्षण घेण्यास त्यांचे मन तयार करणे.

४. त्यांना निरनिराळे धंदे, शिक्षण उपलब्ध करून देणे.

५. त्यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आण्याणे.

थोडक्यात सुरक्षितता, शिस्त, सुधारणा, पुनर्वसन, शिक्षण व कैद्यांचे कल्याण ही कारागृह विभागाची महत्त्वाची कार्य आहेत.

समग्र कार्यक्रम

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे कारागृह विभागाचे मुख्य अधिकारी असून हे सर्व कारागृहाबाबत व तालुक्यातील दुव्यम कारागृहाबाबत नियंत्रक अधिकारी आहेत. मुख्यालयामध्ये त्यांना एक कारागृह महानिरीक्षक, कारागृह उपमहानिरीक्षक आणि कर्मचारीवर्ग साहाय्य करतो. शासकीय दृष्टिकोनातून कारागृह विभागाची चार विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक विभाग एक कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. प्रत्येक कारागृह हे अधीक्षकांचे नियंत्रणाखाली असते. त्यांना आवश्यक असणारा कार्यकारी, तांत्रिक व लिपिकर्गांया कर्मचारीवर्ग देणेत येतो.

कारागृहातील कैद्यांची संख्या

दिनांक १ एप्रिल २०२० रोजी कारागृहातील सिद्धदोष, न्यायाधीन आणि स्थानबद्ध बंद्यांची एकूण संख्या ३६,३६१ होती. त्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे :-

| सिद्धदोष कैदी | न्यायाधीन बंदी | स्थानबद्ध बंदी / इतर |
|----------------------|----------------|----------------------|
| पुरुष .. ८,८०८ | २५,५७४ | १३० |
| स्त्री .. ३६१ | १,१८८ | ० |
| एकूण .. ९,१६९ | २६,७६२ | १३० |

कारागृह

काही तुरंग मुख्यल्ये दीर्घ मुदतीच्या कैद्यांसाठी, काही पौगंडावस्थेतील व काही सराईत गुन्हेगार यांचेसाठी राखून ठेवून विविध प्रकारच्या संस्थांचे जाळे विण्यात आले आहे. लिंग, वय व शिक्षेची कालमर्यादा, गुन्ह्यांचे स्वरूप याचे आधारावर कैद्यांचे बंदीवासाच्या कालापुरते एकजिनसी गट करण्यात येतात व त्यानुसार कैद्यांची वर्गवारी करण्यात येते. तसेच खुली कारागृहे व कैद्यांसाठी खुल्या वसाहती चालू करून विविध खुल्या संस्थांची पद्धतही कैद्यांच्या वर्गीकरण योजनेमध्ये बसविण्यात आली आहे.

कारागृह रुग्णालय

राज्याच्या सर्व तुरंगातील कैद्यांना विशिष्ट बैद्यकीय उपचारांची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून जे. जे. हॉस्पिटल, मुंबई येथे एक कारागृह रुग्णालय कैद्यांच्या व स्थानबद्धांच्या देखभालीसाठी उघडण्यात आले आहे.

कारागृहातील शिक्षण

सर्व कारागृहातून शिक्षण ही सक्तीची बाब करण्यात आलेली आहे. तुरुंगातील शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी शिक्षकांची जादा पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. कैद्यांकरिता पहिली ते दहावीपर्यंत नियमित वर्ग घेण्यात येतात. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या कैद्यांसाठी गटीनिहाय स्वाध्याय वर्ग आयोजित करण्यात आलेले आहेत. कैद्यांना महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. तसेच निरनिराळ्या शिक्षण संस्थांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या संस्कृत, हिंदी व इंग्रजी परीक्षांना बसण्यासाठी उच्चुक्त केले जाते. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या सहकार्याने बंद्यांना परीक्षेस बसण्याची सोबत करून परीक्षेचे केंद्रसुद्धा कारागृहात दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व मध्यवर्ती कारागृहात झांदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे केंद्र चालू करण्यात आले असून त्याद्वारे सर्व कारागृहांना त्याचा लाभ घेण्याबाबत कळविले आहे.

कारागृहातून सुटल्यानंतर बंद्यांना त्यांच्यासाठी उर्वरित भावी आयुष्यात स्वतःचा व कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे त्यांचेसाठी सामाजिक संस्थेमार्फत प्रवचन, प्रबोधन, व्याख्याने इत्यादी कार्यक्रम आयोजित केले जातात. तसेच योगा, आर्ट औफ लिंग्विंग, नैतिक मूल्यशिक्षण, समुपदेशन इत्यादी शिविर आयोजित केले जातात. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाचा सुधारणा व पुनर्वसन हा उद्देश साध्य होतो.

निरनिराळ्या कारागृहातून सुतारकाम, वस्त्रनिर्माण, शिवणकाम, लोहारकाम, वायरिंग इत्यादी उद्योगांबाबत वर्ग चालविण्यात येऊन व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातात व हे सर्व संस्थाविषयक कामाशी निगडित असतात. या कामासाठी लागणारी पर्यवेक्षक / निर्देशकांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.

संगणक प्रशिक्षण

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील पुरुष व महिला बंद्यांना नवजीवन मंडळ, पुणे यांचेमार्फत संगणक प्रशिक्षण देण्यात येते, तसेच अकोला जिल्हा कारागृहातील बंद्यांना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर यांनी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून बंद्यांना संगणक प्रशिक्षण दिले जाते. टाटा कन्सल्टंसी सर्विसेस (टी. सी. एस.) या कंपनीद्वारे ‘संगणकावर आधारित साक्षरता’ उपक्रम या योजनेद्वारे राज्यातील सर्व मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये संगणक संच उपलब्ध करून देऊन कारागृह शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे बंद्यांना साक्षर केले जाते.

कारागृह उद्योग

कैद्यांची सुधारणा व पुनर्वसन यावर विशेष भर असल्याने कैद्यांचे कैदेतून सुटकेनंतर समाजामध्ये सन्माननीय नागरिक म्हणून पुनर्वसन करण्याचे दृष्टीने त्यांना निरनिराळे व्यवसाय व कला यांचे शिक्षण देण्यासाठी कारागृहामध्ये उद्योग सुरु करण्यात आले आहेत. कारागृहातील सर्व उद्योग वस्तु: उत्पादन-नि-प्रशिक्षण पद्धतीच्या धर्तीवर आहेत. कैद्यांना ते ज्या उद्योगामध्ये काम करतात त्या उद्योगाचे प्रात्यक्षिक व सिद्धान्तातील ज्ञान मिळते. निरनिराळ्या व्यवसायाबाबत कैद्यांना जे ज्ञान मिळते ते त्यांना कारागृहातून सुटल्यावर आपली उपजीविका करण्यासाठी उपयोगी पडावे अशी अपेक्षा आहे.

सन २०१९-२०२० मध्ये कारागृहातील उद्योगाचे एकूण उत्पादन रुपये २१.७९ कोटी होते.

सन २०१५-२०१६ निरनिराळ्या उद्योगामध्ये दररोज सरासरी १,२९१ बंदी काम करतात. या बंद्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या सुधारित दराने मजुरी मिळते. आधुनिक साधनसामग्रीच्या साहाय्याने कारागृह उद्योगाचे नूतनीकरण करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. कारागृह उद्योगाचे आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत विकास करण्यात येतो. जास्तीत जास्त बंद्यांना रोजगार देणेकरिता जॉबवर्क पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीच्या दरात शासन निर्णय क्रमांक जेएलई-१०१३/७२६/प्र.क्र.-१८५/तुरुंग-१, दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ नुसार वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार कुशल बंद्यांना रुपये ६१, अर्धकुशल बंद्यांना रुपये ५५ व अकुशल बंद्यांना रुपये ४४ प्रतिदिन वेतन देण्यात येते.

कारागृहातील शेती

कारागृहात शेती हे कारागृह विभागाचे दुसरे महत्वाचे कार्य आहे. भाज्या व अन्नधान्याच्या गरजांच्या बाबतीत कारागृह स्वयंपूर्ण असावा यासाठी शास्त्रीय पायावर कारागृहाच्या शेतमळ्याची पुनरुचना व विकास याकडे जास्त लक्ष पुरविण्यात येत आहे. इतर अनुषंगिक अशी (फळफळावर, वैरण, दूध इत्यादीसारखी) उत्पादने ही कारागृह विभागाच्या शेतकी उपविभागातील एकूण उत्पादनात बरीचशी भर घालतात. सन २०१९-२०२० मध्ये कारागृहातील शेतीचे एकूण उत्पन्न रुपये ४,००,३८,८०४ होते.

किशोर सुधारालय

नाशिक येथे एक किशोर सुधारालय शाळा असून तेथे बाल गुन्हेगारांच्या फायद्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत. इयत्ता दहावीपर्यंतचे नेहमीचे शैक्षणिक वर्ग चालविले जातात. ज्या बाल गुन्हेगारांना पुढील उच्च शिक्षण घ्यावयाचे असेल त्यांना अवश्यक त्या सबलती दिल्या जातात. हिंदी, उर्दू इत्यादी भाषांचे वर्ग चालविले जातात. औद्योगिक प्रशिक्षणाकडे प्रवृत्ती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पाठविले जाते. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडे प्रशिक्षणासाठी बाल गुन्हेगार पाठविण्याचे पद्धतीचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत. नाशिक सुधारालय येथे सध्या १२ किशोर बंदी बांदिस्त आहेत.

खुली कारागृहे

खुल्या कारागृहांकडील बंद्यांची अतिशय काटेकोरपणे निवड केली जाते. त्याकरिता अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, कारागृह अधीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची एक समिती नेमली आहे व ती समिती त्या बंद्यांची निवड करते. खुल्या कारागृहात निवड करण्यासाठी बंद्यांचे अभिलेख चांगले असणे आवश्यक आहे व बंद्यांची कोणतेही काम करण्याची तयारी असावी लागते.

खुल्या वसाहती

बंद्यांचा सामाजिक व्यवहारिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून पुनर्वसनाचे उद्देशाने जन्मठेपेची व दीर्घ मुदतीची शिक्षा झालेल्या बंद्यांना बंद कारागृहातील विविध योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर शासनाने निवड करून शिक्षा स्थगित केलेल्या बंद्यांना खुल्या वसाहतीत पाठविण्यात येते. त्याठिकाणी त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत राहता येते. त्याठिकाणी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना काम दिले जाते. त्या बदल्यात त्यांना मजुरी दिली जाते. बंद्यांच्या जीवनामध्ये सुधारणा होण्यासाठी सन १९३९ मध्ये स्वतंत्रपूर खुली वसाहत ही संस्था आटपाडी येथे सुरु करण्यात आली.

(११) खुली कारागृहे व खुल्या वसाहती

सध्याच्या कालानुसार सर्वसाधारणपणे सुधार प्रशासनाचा व मुख्यत्वेकरून कारागृह पद्धतीचा मुख्य हेतू हा आहे की, कारागृहातून सुटणारे कैदी हे शिस्तबद्ध नागरिक म्हणून बाहेर पडावेत व त्यांचा समाजास उपयोग व्हावा. सर्व गुन्हेगारांच्या वागणुकीमध्येसुद्धा मानवी वागणुकीचा अंश असतो. या वाढत्या जाणीवेतून जगातील समाजशास्त्रज्ञांनी जाणले आहे की, गुन्हेगारांच्या समस्यांची उकल कारागृहाच्या भिंतीआड होत नाही. विविध श्रेणीच्या कोठ्यांच्या खुल्या कारागृहांची वाढ, विविध कार्यक्रम व शिस्तीवर भर हे गुन्हे व गुन्हेगारीच्या इतर प्रश्नांवर एक नवे उत्तर आहे.

खुले कारागृह, पैठण

सन १९६८ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पैठण येथे खुले जिल्हा कारागृह सुरु केले आहे. जे कैदी प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने कारागृहात काम करतात व ज्यांची वर्तणूक चांगली आहे, अशा कैद्यांची या कारागृहासाठी महाराष्ट्र कारागृह नियमावली, १९७९ मधील तरतुदीनुसार निवड केली जाते. याकरिता कारागृह अधीक्षक व उपमहानीरीक्षक यांची एक समिती नेमली आहे व ती या कैद्यांची निवड करते. येथील कैद्यांना शेतमळ्यावर काम दिले जाते. तसेच सुधारित शेती करण्याचे शिक्षण दिले जाते. कारागृहातून सुतल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व समाजात उत्तम उपयुक्त नागरिक म्हणून राहण्यास या शिक्षणाचा उपयोग होतो. या कारागृहाची क्षमता ५०० बंदी ठेवण्याची आहे व सध्या सरासरी ३७१ बंदी आहेत. तसेच सन २०१३ मध्ये विसापूर, नाशिकरोड, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर येथे प्रत्येकी ५० बंदी क्षमता व सन २०१५ मध्ये गडचिरोली येथे ७५ बंदी क्षमतेचे व ठाणे येथे २५ बंदी क्षमतेचे खुले कारागृह कार्यान्वित झाले आहे. तसेच माहे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये ५० बंदी क्षमतेचे अकोला महिला खुले कारागृह देखील कार्यान्वित झाले आहे. तसेच सन २०१८ मध्ये प्रत्येकी १५ बंदी क्षमतेची सहा खुले कारागृह वर्धा, यवतमाळ, लातूर, धुळे, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या ठिकाणी कार्यान्वित झाली आहेत.

महिला खुले कारागृह ५० बंदीक्षमतेचे

भारतातीलच नव्हे तर जगातील पहिले महिला खुले कारागृह दिनांक १४ मार्च २०१० रोजी येरवडा, पुणे येथे सुरु करण्यात आले असून राज्यातील कारागृहातील ५७ इच्छुक महिला बंद्यांची निवड करून त्यांना येरवडा येथे वर्ग करण्यात आले आहे. सदर महिला बंदी कारागृहाच्या शेती विभागात काम करतात, तसेच सदर महिला बंद्यांना कारागृहातून मुक्त झाल्यानंतर कारागृहाबाहेर अर्थार्जनाचे साधन म्हणून कारागृह प्रशासन व अशासकीय संस्थेद्वारे लघुउद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जात असते. त्यामध्ये पापड बनविणे, खडू व मेणबत्या इत्यादी उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाते.

खुल्या वसाहती

कैद्यांचे सामाजिक व्यावहारिक पुनर्वसनाचे उराशी बाळगलेल्या ध्येयाकडे पुढचे पाऊल टाकण्याच्या उद्देशाने, जन्मठेपेची वा दीर्घ मुदतीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना बंद कारागृहातील विविध कार्यक्रमाचा कमाल लाभ घेतल्यानंतर दोन व तीन वर्षांपर्यंत पॅरोलवर सोडण्यात येते व त्यांना या वसाहतीत राहू दिले जाते. या वसाहतीत त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी आणता येते. कैद्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना काम दिले जाते व त्यांना चालू बाजारभावाने मजुरी दिली जाते. प्रशासनामध्ये ठोस सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्रपूर वसाहत, आटपाडी येथे १९३९ मध्ये सुरु करण्यात आली. आटपाडी येथे २८ बंदी ठेवण्याची सोय असून सन २०१६-२०१७ मध्ये ८ (आठ) बंदी होते.

व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग

उद्देश

न्यायालयामार्फत न्यायाधीन बंद्यांस न्यायालयीन कोठडी ही सर्वसाधारणपणे १५ दिवसांकरिता मंजूर केली जाते व त्यानंतर त्याला पुढा पोलीस पथक मारणी करून न्यायालयात हजर करावे लागते.

पोलीस विभागाकडे असणाऱ्या अपुन्या मनुष्य बळामुळे न्यायालयात नियत दिनांकास बंद्यास हजर करणे शक्य होत नाही. महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहांत एका कोणत्याही वेळी अंदाजे १५ ते १६ हजार न्यायाधीन बंदी बंदिस्त असतात. यामध्ये विविध गुंड टोळीचे खतरनाक गुंड, नक्षलवादी व सुरक्षा संदर्भात बंदी बंदिस्त असतात. त्यांना न्यायालयात हजर करताना कडक सुरक्षा द्यावी लागते. एवढे करून देखील गुंड टोळीचे बंदी त्यांचे बाहेरीत साक्षीदारांचे मार्फत योजना करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात अथवा अशा बंद्यांना त्यांची विरुद्ध टोळीचे गुंडांकडून जिवाला धोका पोहचण्याची शक्यता असते.

या सर्व अडचणींवर उपाय म्हणून मुंबई कारागृहात व तेथील जिल्हा महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधीन बंदी हजर ठेवण्याची यंत्रणा अंमलात आणली. याद्वारे न्यायाधीन बंद्यांना कारागृहाबाहेर न नेता वरील यंत्रणेच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे (ही यंत्रणा बसवून) हजर ठेवण्यात येते.

फौजदारी दंडसंहिता, १९७३ मधील कलम १६७ मध्ये महाराष्ट्र राज्यापुरती सुधारणा करून त्यात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायाधीन बंदी हजर ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी

सदर यंत्रणेची यशस्वीरित्या चाचणी मुंबई मध्यवर्ती कारागृह व न्यायालयात झाल्यानंतर भायखळा, ठाणे, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा कारागृहात व इतर १७ न्यायालयांमध्ये तसेच मध्यवर्ती कारागृह येरवडा, कोल्हापूर याठिकाणी व्हर्डिंडो कॉन्फर्निंग या माध्यमाद्वारे सन २०१९-२०२० मध्ये १,२९,०५७ डिसेंबर २०१९ अखेर न्यायाधीन बंद्यांना न्यायालयासमोर हजर ठेवण्यात आले आहे.

प्रस्तावित

सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात २०८ नग वेबबेस व्ही. सी. युनिट यंत्रणा न्यायालयांना पुरविण्यात आल्या आहेत. तसेच सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात २२५ नग वेबबेस व्ही सी युनिट यंत्रणा न्यायालयांना पुरविणे प्रस्तावित आहेत.

बांधकाम विभाग

कारागृह विभागामधील बांधकामे ही कारागृह सुधारणा योजना, वार्षिक योजना व केंद्रीय वित्त आयोगांनंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानामधून केली जातात. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे :---

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे (४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)

अ. क्र.

कामाचे नाव

- १ राज्यातील कारागृहात पंखे बसविणे.
- २ राज्यातील कारागृहातील माहिलांसाठी स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे.
- ३ तळोजा, नवी मुंबई येथे पहिल्या टप्प्यात भाग दोन मध्ये मध्यवर्ती तुरुंगाचे बांधकाम करणे.
- ४ तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे जल व मलनिःसारण बंदिस्त पाईपद्वारे सिडकोच्या मेन लाईनला जोडणे.
- ५ तळोजा मध्यवर्ती कारागृहांतर्गत पथदिव्यांची दुरुस्ती करणे.
- ६ तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथील मुलाखत कक्षाच्या बाजूची तटभिंतीची उंची वाढविणे.
- ७ तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे कोर्टशेड व मुलाखत कक्ष येथे लोखंडी जाळ्या बसविणे.
- ८ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील स्वयंपाकगृहातील वॉशिंग एरिया भागातील फरशी दुरुस्त करणे.
- ९ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील भांडारगृह व शौचालयाची दुरुस्ती करणे.
- १० मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे आस्थापना विभागासाठी कार्यालयाचे बांधकाम करणे.
- ११ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे न्याय विभागासाठी कार्यालयाचे बांधकाम करणे.
- १२ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील भाजी गोदामाचे छताची पुनर्डरभारणी करणे.
- १३ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील भाजी गोदामाची फरशी बदलणे.
- १४ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे दोन नवीन बराकी बांधणे.
- १५ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील मुख्य स्वयंपाकगृहाची फरशी दुरुस्त करणे.
- १६ येरवडा खुले कारागृहाच्या परिसरात स्ट्रीट लाईट बसविणे.
- १७ येरवडा खुले जिल्हा कारागृह येथील बंदीक्षमता वाढविण्यासाठी नवीन दोन बँरेक बांधणे.
- १८ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे सुरक्षा यार्ड सेपरेट सेल, कपडा गोदाम, फ्लोअर मिल व टिळक यार्ड येथे अंतर्गत बिद्युतीकरण करणे.
- १९ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील १७ जेलर क्वार्टर्स येथे स्टील सेपटी दरवाजे बसविणे.
- २० येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील स्वयंपाकगृहाला फ्लाय प्रूफ मेश करणे.
- २१ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील सुरक्षा विभाग क्रमांक १ ला केमिकल वॉटर प्रूफिंग, प्लास्टर, व्हरांडा / पॅसेजवर प्रीकोटेड शीट्स व शौचालयाला फायबरचे दरवाजे बसविणे.
- २२ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील जेल गार्ड, चालीस क्वार्टर्स, देवीची लाईन, दुसरा चौक शासकीय निवासस्थान येथील ड्रेनेज लाईनची दुरुस्ती करणे.
- २३ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील जेल गार्ड यांचे गोठा लाईन, दगडी लाईन, मस्जीद लाईन, माडीगेट लाईन, पहिला चौक शासकीय निवासस्थान येथील अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईन काढून नवीन ६०० मीटर ड्रेनेज लाईन टाकणे.
- २४ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी निवासस्थान, १७ तुरुंग अधिकारी निवासस्थान व १३ तुरुंग अधिकारी निवासस्थान येथील अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईन संपूर्णपणे काढून नवीन ५९० मीटर ड्रेनेज लाईन टाकणे, ७२ नवीन इन्स्पेक्शन चॅंबर्स बांधणे.

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे
(४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)-चालू

| अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|--|
| २५ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील सर्कल क्रमांक १ मधील डेनेज लाईनची दुरुस्ती व शौचालयाचे नवीन भांडे बसविणे. |
| २६ | नारायणडोह येथे अहमदनगर जिल्हा कारागृह वर्ग-१ चे बांधकाम करणे. |
| २७ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे यार्डचे खिडकी व दरवाजे यांना जाळी बसविणे. |
| २८ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे वॉशिंग सेंटरसाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम करणे. |
| २९ | किशोर सुधारालय, नाशिक येथील बऱेक क्रमांक १०-११ येथील फरशीची दुरुस्ती करणे. |
| ३० | किशोर सुधारालय, नाशिक येथील बऱेक क्रमांक १०-११ ची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| ३१ | किशोर सुधारालय, नाशिक येथे नमुना २ ची १६ निवासस्थाने बांधणे. |
| ३२ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी २० निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| ३३ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे मुख्य तटभिंतीच्या बाहेरील बाजूने व कर्मचारी वसाहतीमध्ये डांबरीकरणासह रस्ते तयार करणे. |
| ३४ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे फाशीची शिक्षा झालेत्या बंद्यांना ठेवण्यासाठी व फाशीची शिक्षा देण्यासाठी कारागृहात फाशी यार्ड व इतर मूलभूत सुविधा कामाकरिता. |
| ३५ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे नवीन सर्कल ६ बऱेकचे बांधकाम जी-१ बऱेकचे बांधकाम करणे. |
| ३६ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल क्रमांक ६, ७ व ८ मधील डेनेज लाईनची दुरुस्ती करणे. |
| ३७ | कोल्हापूर खुले जिल्हा कारागृह येथील १०० बंदी क्षमतेचे २ बऱेक, स्वयंपाकगृह व स्नानगृहे व पूर्ण खुले कारागृहासाठी तारेचे कंपाऊंडचे कामाकरिता. |
| ३८ | सोलापूर जिल्हा कारागृह वर्ग-२ ला वर्ग-१ चा दर्जा देणे संदर्भात तटभिंतीचे बांधकाम करणे व नवीन बऱेक बांधणे. |
| ३९ | सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे विद्युत सुरक्षा परीक्षण अहवालानुसार अग्निप्रतिबंधक योजना व अनिसूचक यंत्रणा बसविणे. |
| ४० | सातारा जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी २४ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| ४१ | सातारा जिल्हा कारागृह येथे पश्चिम तटभिंतीच्या बाजूला वॉल कम्पाऊंड करणे, तसेच गार्डरुम व अॅम्युनिशन रूमचे बांधकाम करणे. |
| ४२ | सातारा जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून फ्लड लाईट बसविणे. |
| ४३ | सातारा जिल्हा कारागृहाच्या प्रवेशद्वारासमोर शेडचे बांधकाम करणे. |
| ४४ | विसापूर जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी ३२ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| ४५ | जळगाव जिल्हा कारागृह येथे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विविध कामे करणे. |
| ४६ | जळगाव जिल्हा कारागृह येथे नवीन गार्डरुम बांधणे. |
| ४७ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथील सुरक्षा रक्षकांच्या निवाञ्यासाठी कायमस्वरूपी शोड बांधणे. |
| ४८ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील तटभिंतीच्या आतील व बाहेरील बाजूने हायमास्ट दिवे बसविणे. |
| ४९ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सॅनिटरी नॅपकिन उद्योगाकरिता वर्कशॉप बांधणे. |
| ५० | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील मोकळ्या जागेत वॉल कम्पाऊंडचे बांधकाम करणे. |
| ५१ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील मुख्य तटभिंतीचे बाहेरील डांबरी रस्त्यांचे बांधकाम करणे. |
| ५२ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील अस्तित्वातील शासकीय निवासस्थानांची दुरुस्ती करणे. |
| ५३ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे मुख्य तटभिंतीचे आतील भागात सिमेंटचे प्लास्टर करणे. |
| ५४ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे फाशी यार्ड लगत नवीन वधस्तंभाचे बांधकाम करणे. |
| ५५ | गोंदिया जिल्हा कारागृहाचे बांधकाम करणे. |
| ५६ | वर्धा जिल्हा कारागृहाची तटभिंतीची उंची ५ फुटाने वाढविणे. |
| ५७ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृहाच्या मुख्य तटभिंतीचे बांधकाम करणे. |
| ५८ | यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे वॉच टॉवर बांधणे. |
| ५९ | यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे कारागृहाच्या मेनगेटसमोर लोखंडी गेट व फाटक बसविणे. |
| ६० | यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे कारागृहाचे बाहेरील बाजूस वॉल कम्पाऊंडचे बांधकाम करणे. |

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे
(४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)-चालू

- | अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|---|
| ६१ | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाचे परिसरात संरक्षक भिंत बांधणे. |
| ६२ | वर्धा जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता २४ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| ६३ | अकोला जिल्हा कारागृहाचे आतील रस्त्यांचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. |
| ६४ | अकोला जिल्हा कारागृहाचे बाहेरील रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे. |
| ६५ | अकोला जिल्हा कारागृहाच्या परिसरात ओळखरेड टँकचे बांधकाम करणे. |
| ६६ | अकोला जिल्हा कारागृह येथे जनावरांच्या गोठव्याचे बांधकाम करणे. |
| ६७ | अकोला जिल्हा कारागृह येथे सिद्धदोष महिला बंद्यांसाठी नवीन कारागृह स्थापित करणे. |
| ६८ | अकोला जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी ९८ निवासस्थाने बांधणे. |
| ६९ | बुलढाणा जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सर्च लाईट बसविणे. |
| ७० | बुलढाणा जिल्हा कारागृह येथे बांधयात आलेल्या पाण्याच्या टाकीचे उर्वरित किरकोळ बांधकाम करणे. |
| ७१ | बुलढाणा जिल्हा कारागृह येथे नवीन पुरुष बंदी (३०) क्षमतेचे १ बऱ्येक, नवीन महिला बऱ्येक (३०) क्षमता, वॉच टॉवर व तटभिंत बांधणे. |
| ७२ | बुलढाणा जिल्हा कारागृह येथील अधिकारी / कर्मचारी यांची अस्तित्वातील शासकीय निवासस्थाने दुरुस्ती करणे. |
| ७३ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील मोकळ्या जागेभोवती वॉल कम्पाउंड करणे. |
| ७४ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील १६ सर्कल बऱ्येक दुरुस्ती करणे. |
| ७५ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील महिला बऱ्येक दुरुस्ती करणे. |
| ७६ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह परिसरांतर्गत रात्रीची प्रकाश व्यवस्था करणे. |
| ७७ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील विविध विभागातील विद्युत वायरिंग दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे. |
| ७८ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील बंदी बऱ्येकमधील जुन्या पंख्यांचे नूतनीकरण करणे. |
| ७९ | बीड जिल्हा कारागृह येथील संपूर्ण कारागृहातील मेन विद्युत पॅनेल विद्युत वायरिंग बदलणे. |
| ८० | पैठण खुले जिल्हा कारागृह येथे अधीक्षक व तुरुंगाधिकारी कार्यालयाची दुरुस्ती करणे. |
| ८१ | परभणी जिल्हा कारागृह येथील कारागृहाच्या शेती क्षेत्रभोवती वॉल कम्पाउंड बांधणे. |
| ८२ | लातूर जिल्हा कारागृह येथील निवासी परिसरात कारागृहाच्या अंतर्गत व तटभिंतीच्या बाहेरील बाजूने पथदिव्यांची उभारणी करणे, तसेच वॉच टॉवरसाठी विद्युत केबलचा पुरवठा करणे व विद्युत संचाची उभारणी करणे. |
| ८३ | लातूर जिल्हा कारागृह वर्ग-१ येथे पेट्रोलिंगसाठी रस्ता तयार करणे. |
| ८४ | नांदेड जिल्हा कारागृहाच्या मुख्य तटभिंतीची उंची वाढविणे. |
| ८५ | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहाच्या शेती परिसरात संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. |
| ८६ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहामधील १६ बऱ्येक विभागातील २० शौचालय व महिला विभागातील ८ शौचालयांची दुरुस्ती करणे. |
| ८७ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहामधील जुने निर्लेखित केलेल्या खड्ड्यामागचे शेड पाडून शेडच्या जागेवर नवीन दुमजली शेड बांधणे. |
| ८८ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे आर.सी.सी. गेटचे बांधकाम करणे. |
| ८९ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे पंप हाउसपासून संपवेलपर्यंत पाईपलाईन टाकणे. |
| ९० | भंडारा जिल्हा कारागृहाचे जागेवर सुरक्षा कुंपण घालणे. |
| ९१ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील खुले जिल्हा कारागृहाचे बांधकाम करणे. |
| ९२ | अकोला जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता ९८ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| ९३ | अकोला जिल्हा कारागृह येथे मुख्य तटभिंत बांधणे. |
| ९४ | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहाच्या बाहेरील संपूर्ण भिंतीला बाहेरून (मुख्यतट) जाणे-येणेकरिता रस्त्याचे कामाकरिता. |
| ९५ | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह मालकीच्या शेतजमिनीसह मोकळ्या जागेच्याभोवती वॉल कम्पाउंड बांधणे. |
| ९६ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृहाकडील शेतीला वॉलफेर्निंग करण्याकरिता. |

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे
(४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)-चालू

| अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|--|
| १७ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृहाकडील अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी २८ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| १८ | सावंतवाडी जिल्हा कारागृहातील महिला व पुरुष बऱेक, धान्य गोदाम, रेशन गोदाम, सांस्कृतिक हॉल, कार्यालयामधील आभासी छताची दुरुस्ती करणे. |
| १९ | सावंतवाडी जिल्हा कारागृहाच्या संरक्षक भिंतीला गिलावा करणे. |
| १०० | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहाचे परिसरातील मोकळ्या असलेल्या जागेवर ४०/२० चे सुसज्ज विक्री केंद्राचे बांधकाम करणे. |
| १०१ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृहात पुरुष बंद्यांसाठी अतिरिक्त बऱेक्स तळ मजला व पहिला मजला बांधकाम करणे. |
| १०२ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थानी २००० लीटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या बसविणे. |
| १०३ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात दुचाकी व चारचाकी निवारा शेडचे बांधकाम करणे. |
| १०४ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात धोबी कामाचे शेडचे बांधकाम करणे. |
| १०५ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील परिसरातील शौचालयाचे दरवाजे लावणे. |
| १०६ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील डब्ल्यू.सी. फॅन बसविणे. |
| १०७ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील सिमेंट पत्त्याच्या छताची दुरुस्ती करणे. |
| १०८ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह परिसरातील निवासस्थानांचे दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती करणे. |
| १०९ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे प्रवेश कक्ष विभागामध्ये शौचालय बांधणे. |
| ११० | ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग रूमचे बांधकाम करणे. |
| १११ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथील कर्मचाऱ्यांकरिता निवासस्थान, शौचालय व स्नानगृह बांधणे. |
| ११२ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाचे बाह्य भिंतीवर गुळगुळीत प्लास्टर करून त्यास पांढरा रंग देणे. |
| ११३ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहात २३ बऱेकची फरशी बसविणे व रंगकाम करणे. |
| ११४ | भायखळा जिल्हा कारागृहाचे परिसरातील कर्मचाऱ्यांचा रहिवास असणारी 'प्रगती' इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे काम करणे. |
| ११५ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणाची कामे करणे. |
| ११६ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील तटभिंतीला लागून असलेले खराब झालेले सेप्रेट बऱेक पाडणे व नवीन बांधकाम करणे. |
| ११७ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे नवीन बऱेकचे बांधकाम करणे. |
| ११८ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील महिला यार्डभोवती कम्पाउंड वॉल बांधणे. |
| ११९ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ६/१ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२० | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ६/२ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२१ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ६/३ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२२ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ६/४ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२३ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ७/१ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२४ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ७/२ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२५ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ७/३ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२६ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक ७/४ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२७ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बऱेक क्रमांक २ ची दुरुस्ती करणे. |
| १२८ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील बऱेक क्रमांक १/२ चे रंगकाम, गिलावा व गळतीप्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १२९ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील बऱेक क्रमांक ३/४ चे रंगकाम, गिलावा व गळतीप्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १३० | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्व बऱेकचे नूतनीकरण करणे. |
| १३१ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे बऱेक क्रमांक ३९ चे नूतनीकरण करणे. |
| १३२ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे फाशी यार्डची दुरुस्ती करणे. |

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे
(४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)-चालू

- | अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|--|
| १३३ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील निवासी / अनिवासी इमारतीच्या छतावर एसबेस्टॉस शिट्स ऐवजी प्रिकोटेड शीट्स बसविणे. |
| १३४ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृहामध्ये सर्व बँरेकच्या खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे. |
| १३५ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ९ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १३६ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ८ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे बाबत. |
| १३७ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ७ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १३८ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ६ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १३९ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ५ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १४० | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक ३ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे, रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १४१ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक २ येथे खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे रंगकाम, गिलावा व गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे. |
| १४२ | कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्रमांक १ ते ९ मधील व इतर दुरुस्ती करणे. |
| १४३ | कल्याण जिल्हा कारागृह येथील १० स्टाफ क्वॉर्ट्स निवासी इमारत दुरुस्ती करणे. |
| १४४ | मुंबई तुर्मे येथे नवीन कारागृहाचे बांधकाम करणे. |
| १४५ | धुळे जिल्हा कारागृह येथे मुख्य प्रवेशद्वारा समोरील बाजूस वॉल कंपाऊंड भिंत बांधणे. |
| १४६ | कल्याण जिल्हा कारागृहात अतिरिक्त ४ बँरेकचे बांधकाम करणे. |
| १४७ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वर्धा रोडचे समांतर तसेच उत्तर बाजूस तसेच पूर्वेस १० फुट उंचीची संरक्षक भिंत बांधणे. |
| १४८ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात उपाहारगृहाचे बांधकाम करणे. |
| १४९ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाच्या आतील विभागात रंगरंगोटी व किरकोळ दुरुस्ती करणे. |
| १५० | तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे विशेष दुरुस्ती अंतर्गत सर्कल क्रमांक १, २, ३, ४ व ५ तसेच दवाखाना विभाग येथील टॉयलेट ब्लॉकची दुरुस्ती करणे. |
| १५१ | विसापूर जिल्हा कारागृह येथे नावीन्यपूर्यो जेनेतून कारागृहांतर्गत २२०० मीटर रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. |
| १५२ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील परिसरात जलनिःसारण वाहिनीचे उर्वरित ३१५५ मीटर लांबीकरिता ३०० मि.मी. व्यासाचे व ४५० मि. मी. व्यासाचे एनपी-२ पाईप टाकणे. |
| १५३ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील अंतर्गत डांबरी रस्त्याची सुधारणा करणे. |
| १५४ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्व खिडक्यांना लोखंडी जाळ्या बसविणे. |
| १५५ | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाभोवती वॉल कंपाऊंड / संरक्षक भिंत बांधणे. |
| १५६ | तळोजा मध्यवर्ती कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी १८२ नवीन निवासस्थान बांधणे. |
| १५७ | कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाकरिता प्रशासकीय इमारत बांधणे. |
| १५८ | ओरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथील उत्तर बाजूच्या मुख्य तटभिंतीचे बांधकाम करणे. |
| १५९ | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे कर्मचाऱ्यांसाठी ८९ नवीन शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| १६० | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे कंपाऊंड वॉलचे बांधकाम करणे. |
| १६१ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील मुख्य संरक्षक तट भिंतीस गिलावा करणे. |
| १६२ | लातूर जिल्हा कारागृह येथे महिला बँरेकचे बांधकाम करणे. |
| १६३ | कल्याण जिल्हा कारागृह येथे सर्कल क्रमांक ३ मध्ये नवीन जी-१ नवीन बँरेक व ६० बंद्यांसाठी अतिसुरक्षा कक्ष बांधणे. |
| १६४ | भंडारा जिल्हा कारागृह येथे टाईप-२ चे ३२ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| १६५ | उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे ३६ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. |
| १६६ | मोर्शी खुले जिल्हा कारागृह येथे बँरेक व इतर दुरुस्ती करणे. |

वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करावयाची कामे
(४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च)-चालू

अ. क्र.

कामाचे नाव

- १६७ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे सर्कल / बँरेक क्रमांक ७ बाहेरील परिसरातील शौचालयांची दुरुस्ती करणे.
- १६८ भायखळा जिल्हा कारागृह येथे विद्युत डिपीचा भार वाढविणे.
- १६९ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे जुनी झालेली उपरीतार वाहिनी ऐवजी भूमिगत केबल व फिडर पिलरची उभारणी करणे.
- १७० नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे मेनगेट ते वर्कशॉप एरियापर्यंत पथदीप उभारणी करणे.
- १७१ वर्धा जिल्हा कारागृह येथे जी+१ बँरेकचे बांधकाम करणे.
- १७२ नांदेड जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी २८ शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.
- १७३ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे कर्मचाऱ्यांसाठी (बिल्डींग १ ते ४) ६४ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.
- १७४ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे कर्मचाऱ्यांसाठी (बिल्डींग ५ ते ८) ६४ निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.
- १७५ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे अधिकारी कर्मचाऱ्यांकरिता २० निवासस्थानांचे बांधकाम करणे.
- १७६ वाशिम जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता शासकीय निवासस्थाने बांधणे.
- १७७ नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे १६२ नवीन शासकीय निवासस्थानाचे बांधकाम करणे.
- १७८ नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे अस्सित्वातील शासकीय निवासस्थानाची दुरुस्ती करणे.
- १७९ बुलडाणा जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी ३८ शासकीय निवासस्थाने बांधणे.
- १८० नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील सेप्रेट सेलच्या खोल्यांमध्ये सिलिंग फॅन बसविणे.
- १८१ नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे.
- १८२ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे नवीन स्वयंपाकगृह इमारतीचे बांधकाम करणे.
- १८३ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे नवीन तिसरे १६ बँरेकचे बांधकाम करणे.
- १८४ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे टॉवर ते टॉवर व मुख्य टट्टिभीच्या चारही बाजूने सिमेंट रस्ते तयार करणे.
- १८५ स्वतंत्रपूर खुली वसाहत आटपाडी येथील स्वतंत्रपूर खुली वसाहतीसाठी रस्ता करणे, मुख्य इमारतीस प्रवेशद्वाराचे बांधकाम करणे.
- १८६ प्राचार्य, दौलतराव जाधव तुरंगाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथील नवीन अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे.
- १८७ नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे पाणीपुरवठा व मलःनिसरण व मागाणीनुसार अंतिरिक्त काम करणे.
- १८८ विसापूर खुले कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता ३२ शासकीय निवासस्थाने बांधणे.
- १८९ परभणी जिल्हा कारागृह येथे अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरिता ५३ शासकीय निवासस्थाने बांधणे.
- १९० औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे चारही बाजूने आर.सी.सी. तट भिंतीचे बांधकाम करणे.
- १९१ सातारा जिल्हा कारागृहांमध्ये साठ पुरुष बंद्यांसाठी नवीन बँरेक बांधणे.
- १९२ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्र. १ महिला कक्षात गळतीप्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- १९३ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्र. ४ महिला कक्षात गळतीप्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- १९४ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्र. ७ व बँरेकचे रंगकाम करणे.
- १९५ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्र. ७ व बँरेकचे आतून व बाहेरून प्लास्टर करणे.
- १९६ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल भोवताली असणाऱ्या सुरक्षा भिंतीची दुरुस्ती करणे.
- १९७ कल्याण जिल्हा कारागृहातील सर्कल क्र. १ येथील शौचालयाची दुरुस्ती करणे.
- १९८ कल्याण जिल्हा कारागृहातील शौचालयांची दुरुस्ती करणे.
- १९९ अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातील तट क्र. १ व २ जवळ टेहळणी मनोन्याचे बांधकाम करणे.
- २०० कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथील सर्कल क्र. ३ व ५ ची ड्रेनेज लाईनची दुरुस्ती करणे.
- २०१ मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील सर्कल क्र. १ येथे अंतर्गत सुरक्षेकरिता जाळ्या बसविणे, पाण्याच्या पाईपला आच्छादन करणे.
- २०२ मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील सर्कल क्र. १ येथे सुरक्षेकरिता भिंतीची उंची वाढविणे व नवीन गेट बसविणे.

एकूण १३ वा वित्त आयोगामध्ये प्रस्तावित केलेली कामे २०१३-१४ चा तपशील

अ. क्र. कामाचे नाव

- २०३ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आठ नवीन बऱेक बांधणे.
- २०४ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २०५ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २०६ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे १६ बऱेक्सचे बांधकाम करणे.
- २०७ पैठण खुले जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नान ओट्यांचे बांधकाम करणे.
- २०८ अकोला जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २०९ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे ४ वॉच टॉवरचे बांधकाम करणे.
- २१० यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे नवीन महिला बऱेकचे बांधकाम करणे.
- २११ वर्धा जिल्हा कारागृह येथे ५ नवीन वॉच टॉवरचे बांधकाम करणे.
- २१२ परभणी जिल्हा कारागृह येथे महिलांसाठी नवीन बऱेकचे बांधकाम करणे.
- २१३ नांदेड जिल्हा कारागृह येथे २ नवीन वॉच टॉवरचे बांधकाम करणे.
- २१४ सातारा जिल्हा कारागृह येथे पुरुषांसाठी २ नवीन बऱेकचे बांधकाम करणे.
- २१५ सातारा जिल्हा कारागृह येथे महिलांसाठी २ नवीन बऱेकचे बांधकाम करणे.
- २१६ स्वतंत्रपूर खुली वसाहत आटपाडी येथे २८ खोल्यांचे बांधकाम करणे.
- २१७ कोल्हापूर जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २१८ अकोला जिल्हा कारागृह येथे नवीन वॉच टॉवर बांधणे.
- २१९ अकोला जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २२० अकोला जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वात असलेली बऱेक्सची व इमारतींची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- २२१ भंडारा जिल्हा कारागृह येथे बंद्यांना कणडे थुण्यासाठी ओटा बांधणे.
- २२२ भंडारा जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २२३ भंडारा जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्सच्या छतावरील पत्त्याची दुरुस्ती करणे.
- २२४ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करणे.
- २२५ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे.
- २२६ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईनमध्ये सुधारणा करणे.
- २२७ चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २२८ यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २२९ वर्धा जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे.
- २३० वर्धा जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २३१ वर्धा जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील बऱेक्सची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- २३२ किशोर सुधारालय, नाशिक येथे २ नवीन वॉच टॉवर बांधणे.
- २३३ अलिबाग जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील पाणीपुरवठ्यात व ड्रेनेज लाईनमध्ये सुधारणा करणे.
- २३४ अलिबाग जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २३५ परभणी जिल्हा कारागृह येथे महिला बंद्यांसाठी नवीन बऱेक बांधणे.
- २३६ उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २३७ उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह अस्तित्वातील बऱेक्सची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- २३८ बीड जिल्हा कारागृह येथे नवीन वॉच टॉवर बांधणे.
- २३९ बीड जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील बऱेकची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
- २४० नांदेड जिल्हा कारागृह येथे बऱेक्समध्ये फरशी बसविणे.
- २४१ नांदेड जिल्हा कारागृह अस्तित्वातील बऱेक्सची गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.

एकूण १३ वा वित्त आयोगामध्ये प्रस्तावित केलेली कामे २०१३-१४ चा तपशील

| अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|---|
| २४२ | विसापूर जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. |
| २४३ | विसापूर जिल्हा कारागृह येथे दोन नवीन बँरेक बांधणे. |
| २४४ | सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे एक नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |
| २४५ | सोलापूर जिल्हा कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २४६ | सातारा जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. |
| २४७ | सातारा जिल्हा कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २४८ | सातारा जिल्हा कारागृह येथे पुरुष बंद्यांसाठी दोन नवीन बँरेक्स बांधणे. |
| २४९ | अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. |
| २५० | अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथे नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |
| २५१ | अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २५२ | अहमदनगर जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील महिला बंद्यांच्या बँरेक्सची दुरुस्ती करणे. |
| २५३ | स्वतंत्रपूर खुली वसाहत आटपाडी येथे बंद्यांसाठी २८ खोल्या बांधणे. |
| २५४ | कोल्हापूर जिल्हा कारागृह येथे पाण्याची टाकी व स्नानगृहासाठी ओटे बांधणे. |
| २५५ | कोल्हापूर जिल्हा कारागृह येथे अस्तित्वातील ड्रेनेज लाईनमध्ये सुधारणा करणे. |
| २५६ | उर्मानाबाद जिल्हा कारागृह येथे नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |

एकूण १३ वा वित्त आयोगामध्ये प्रस्तावित केलेली कामे २०१४-१५ चा तपशील

| अ. क्र. | कामाचे नाव |
|---------|---|
| २५७ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे आठ नवीन बँरेक बांधणे. |
| २५८ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २५९ | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २६० | अकोला जिल्हा कारागृह येथे बँरेक्समध्ये फरशी बसविणे. |
| २६१ | चंद्रपूर जिल्हा कारागृह येथे ४ नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |
| २६२ | यवतमाळ जिल्हा कारागृह येथे महिला बंद्यांसाठी नवीन बँरेक्स बांधणे. |
| २६३ | वर्धा जिल्हा कारागृह येथे ५ नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |
| २६४ | परभणी जिल्हा कारागृह येथे महिला बंद्यांसाठी नवीन बँरेक्स बांधणे. |
| २६५ | नांदेड जिल्हा कारागृह येथे २ नवीन वॉच टॉवर बांधणे. |
| २६६ | सातारा जिल्हा कारागृह येथे २ नवीन पुरुष बंद्यांसाठी बँरेक्स बांधणे. |
| २६७ | आटपाडी, स्वतंत्रपूर खुली वसाहत येथे बंद्यांसाठी २८ खोल्या बांधणे. |

महिलांचे सक्षमीकरण

१. कैद्यांना तुरुंगात ठेवण्यामागे हेतू त्यांच्यात सुधारणा व्हावी व त्यांचे पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने त्यांना योग्य ते धंदे शिक्षण द्यावे हा आहे. त्यांना सुशिक्षित करणे व स्वतः कमवून उपजीविका करणे सुलभ होईल अशी मदत देणे हे कैद्यांनी सुटकेनंतर प्रामाणिक जीवन जगणे याकरिता आवश्यक आहे. हा विचार पुढे ठेवून निरनिराळ्या उद्योग शाखा कारागृह विभागात चातू केल्या आहेत. सदरहू संधीचा लाभ बंदी घेत असतात. त्यास स्त्री कैदी अपवाद नाही व सध्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे असलेल्या महिला कारागृहात खालील उद्योग शाखेत महिला बंदी शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत.

(१) शिवणकाम, (२) विणकाम, (३) नाडीकाम, (४) मेणबती करणे, (५) जॉब वर्क

२. महिला बंद्यांसाठी शासन आदेश, गृह विभाग क्रमांक ओएनपी-२००३/प्र.क्र. १९४/१०५०/पीआरएस-२, दिनांक १ ऑक्टोबर २००३ नुसार भायखळा जिल्हा कारागृहातील महिला विभागाचे “मुंबई जिल्हा महिला कारागृह” अशी अधिसूचना जारी करून स्वतंत्र महिला कारागृह दिनांक २ ऑक्टोबर २००३ पासून सुरु करण्यात आलेले आहे.

३. कारागृहातील महिला बंद्यांना त्यांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांप्रमाणे शिवणकाम, विणकाम, भरतकाम इत्यादींचे प्रशिक्षण कारागृह विभाग तसेच इतर संस्थांमार्फत देण्यात येते. यामध्ये प्रामुख्याने येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे साईलीला ट्रस्ट, पुणे, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह येथे बेदान्त फाउंडेशन, नाशिक, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे बन्हाड संस्था, अमरावती यांचेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यापैकी येरवडा महिला कारागृहातील महिला बंद्यांसाठी साईलीला ट्रस्ट, पुणे या संस्थेमार्फत ३ महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीत महिला बंद्यांना ५०० रुपये छात्रवृत्ती देण्यात येते.

महाराष्ट्र कारागृह उद्योगातून महिला बंद्यांना शिवणकाम, विणकाम, जरीकाम, राख्या बनविणे इत्यादी प्रकारचे काम देण्यात येऊन त्यामधून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो.

याव्यतिरिक्त जॉबवर्कद्वारे येरवडा महिला कारागृहातील महिला बंद्यांना मे. माधवदास हरिदास सुगंधी, पुणे यांचेमार्फत अगरबती तयार करण्याचे काम, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातील महिला बंद्यांना जॉबवर्कद्वारे भारत मिलिंग कंपनी, नाशिक यांचेमार्फत गॅस सिलेंडरचे प्लॅस्टिक सिलिंग पट्टी बनविण्याचे काम, तसेच मुंबई महिला जिल्हा कारागृह येथील महिला बंद्यांना फ्रीडम फाउंडेशन, मुंबई यांचेमार्फत क्राफ्ट बनविण्याचे काम देण्यात येऊन त्यामधून सदर महिला बंद्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे.

विवरणपत्र 'अ' STATEMENT 'A'

एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमानिहाय तपशील
Programmewise Details of Total Budget Estimates

(रुपये हजारां /Rs. in thousands)

| अन्तः- क्रमांक | तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०१९-२०२० Actuals 2019-2020 | अप्यासंकल्प २०२०-२०२१ Budget Estimates 2020-2021 | सुधारलेले अंदाज २०२०-२०२१ Revised Estimates 2020-2021 | अप्यासंकल्प २०२४-२०२२ Budget Estimates 2021-2022 | प्रगती |
|-------------------|--------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| St. No. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ००१ संचालन व प्रशासन— | | | | | 001 Direction and Administration— |
| दत्तमत | .. | 121927 | 184954 | 162359 | 196626 | Voted |
| भारित | .. | — | — | — | — | Charged |
| एकूण | .. | 121927 | 184954 | 162359 | 196626 | Total |
| 2 | ५०१ तुरंगा | | | | | 101 Jail N. I. |
| दत्तमत | .. | 3307713 | 3895255 | 3704651 | 4212721 | Voted |
| भारित | .. | — | — | — | — | Charged |
| एकूण | .. | 3307713 | 3895255 | 3704651 | 4212721 | Total |
| 3 | ५०२ तुरंगानिर्मित वस्तु— | | | | | 102 Jail Manufactures— |
| दत्तमत | .. | 86002 | 110000 | 54951 | 150000 | Voted |
| भारित | .. | — | — | — | — | Charged |
| एकूण | .. | 86002 | 110000 | 54951 | 150000 | Total |
| 4 | ८०० इतर शीर्ष— | | | | | 800 Other Expenditure— |
| दत्तमत | .. | — | — | — | — | Voted |
| भारित | .. | — | — | — | — | Charged |
| एकूण | .. | 3515642 | 4190209 | 3921961 | 4559347 | Total |

વિવરણપત્ર ‘બ’ STATEMENT ‘B’

એક્ષુણ અર્થસંક્લાન્ચ પ્રાધાન શીર્ષ-નિ-કાર્યક્રમનિહાય તપશીલ

Major Head-cum-Programme-wise Details of Budget Estimates

(રૂપયે હજારાંત /Rs. in thousands)

| અનુ- ક્રમાંક Sr. No. | તપશીલ Actuals 2019-2020 | પ્રત્યક્ષ રકમાં ૨૦૧૯-૨૦૨૦ Budget Estimates 2020-2021 | અર્થસંક્લય ૨૦૨૦-૨૦૨૧ Revised Estimates 2020-2021 | સુધ્યરલેટે અંદરાં ૨૦૨૦-૨૦૨૧ Budget Estimates 2020-2021 | અર્થસંક્લય ૨૦૨૧-૨૦૨૨ Budget Estimates 2021-2022 | અધ્યક્ષ-નિ-કાર્યક્રમનિહાય તપશીલ Programme | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 2046 તુંણા- | | | | | | | |
| 1 | ભારત .. | — | — | — | — | — | 2056, Jails— |
| 008 સંચાલન વે પ્રાશાસન .. | 121927 | 184954 | 162359 | 196626 | 196626 | 196626 | Charged |
| ડતમત .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 001 Direction and Administration. |
| 2 ૫૦૮ તુંણા- ડતમત .. | 3307713 | 3895255 | 3704651 | 4212721 | 4212721 | 4212721 | N. I. |
| ભારત .. | — | — | — | — | — | — | 101 Jail Charged |
| 3 ૫૦૨ તુંણાનિર્મિત વસ્તુ .. | 86002 | 110000 | 54951 | 150000 | 150000 | 150000 | 102 Jail Manufactures |
| 4 ડતમત વજા-વસ્તુઓ .. | 1859 | — | — | — | — | — | Deduct Recoveries |
| એક્ષુણ વસ્તુઓ .. | — | — | — | — | — | — | Total Recoveries |
| એવા .. { ભારત .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Charged Voted } Total |
| ડતમત .. | 3513783 | 4190209 | 3921961 | 4559347 | 4559347 | 4559347 | |
| એક્ષુણ .. ૨૦૫૬ તુંણા-- .. | 3513783 | 4190209 | 3921961 | 4559347 | 4559347 | 4559347 | |

कार्यक्रम १

संचालन व प्रशासन

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे खातेप्रमुख असून ते तुरुंग खात्याचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यांचे अधिकारक्षेत्रात राज्यातील सर्व तुरुंग येतात. त्यांना त्यांचे कार्यालयातील उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), संशोधन अधिकारी, अधीक्षक, तुरुंग उद्योग व अधीक्षक, वस्त्रनिर्माण उद्योग, तंत्र अधिकारी (कारागृह शेती), उपअभियंता हे निरीनिराळ्या कामात मदत करतात. यांशिवाय लेखाधिकारी, विधी अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी व इतर कर्मचारीवर्गसुद्धा या कामाकरिता नेमलेला आहे.

प्रशासनाच्या सोयीनुसार राज्यातील तुरुंग खात्याची खालील विभागांत विभागणी करण्यात आली आहे :-

प्रादेशिक विभाग

अंतर्भूत जिल्हे

| | |
|---------------------|--|
| (१) पश्चिम विभाग .. | पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, सोलापूर. |
| (२) मध्य विभाग .. | औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, धुळे, जळगाव, हिंगोली, नंदुरबार. |
| (३) पूर्व विभाग .. | नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम. |
| (४) दक्षिण विभाग .. | मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नवी मुंबई, पालघर. |

या विभागाचे प्रमुखपदी कारागृह उपमहानिरीक्षकांची नेमणूक झालेली असून, त्यांना प्रादेशिक खातेप्रमुख म्हणून संबोधित करण्यात आले आहे. त्यांना कारागृह महानिरीक्षक यांनी दिलेली काऱ्ये व प्रशासकीय अधिकारांपैकी काही अधिकार सन १८९४ च्या तुरुंग कायदा, कलम ५ (२) प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने ते त्यांच्या अखत्यारीतील तुरुंगाचे निरीक्षण व पर्यवेक्षण करणे, प्रशासन चालविणे व नियंत्रण ठेवणे ही कामे पार पाडतात. त्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील दुय्यम कारागृहांचेही निरीक्षण करावे लागते.

(दोन) वित्तीय आवश्यकता
(II) Financial Requirements

तब्का १
TABLE I

(रुपये हजारां /Rs. in thousands)

| अनु- क्रमांक | | तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०१९-२०२० | अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ | सुधारलेले अंदाज २०२०-२०२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२०२२ | Programme |
|---|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Sr. No. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <i>A. कार्याचे कार्यक्रम—</i> | | | | | | | |
| ००१ | संचालन आणि प्रशासन— (२०५६००२६) | Actuals 2019-2020 | Budget Estimates 2020-2021 | Revised Estimates 2020-2021 | Budget Estimates 2021-2022 | | |
| (००) (०१) कारगृह निरीक्षणालय [अनिवार्य] | { भारत .. इतमत .. } [अनिवार्य] | — | — | — | — | | |
| ०१ | कोठन | 121927 | 184954 | 162359 | 196626 | | |
| ०३ | आकारातिक भता .. | — | — | — | — | | |
| ०५ | बक्षिस | .. | 60 | 100 | 100 | | |
| ०६ | दूरध्वनी, चीज व पाणी .. | 1393 | 3605 | 1803 | 3605 | | |
| शाळक | .. | 862 | 1200 | 600 | 1000 | | |
| ११ | देशांतर्गत प्रवास खर्च .. | 0 | 346 | 173 | 346 | | |
| १२ | विदेश प्रवास खर्च .. | 2516 | 4340 | 4340 | 5000 | | |
| १३ | कार्यालयीन खर्च .. | 1020 | 2500 | 1250 | 2500 | | |
| १४ | पेट्रोल, तेल व कंगण .. | 0 | 5000 | 2500 | 2000 | | |
| १५ | भाडेपट्टी व कर .. | 46 | 100 | 25 | 100 | | |
| १६ | जाहिरात व प्रसिद्धी .. | 149 | 295 | 74 | 295 | | |
| १७ | लहान बांधकाम .. | 111 | 500 | 250 | 500 | | |
| १८ | पुरवठा व सामग्री .. | — | — | — | — | | |
| <i>A. Activity Classification—</i> | | | | | | | |
| 001 | Direction and Administration— (20560026) | (00) (01) Inspectorate of Prisons [Committed] | (00) (01) Inspectorate of Prisons [Committed] | Total 'A' Charge | Voted | | |
| 001 | Inspector of Prison-Salaries | 133043 | 133043 | 174456 | | | |
| 03 | Overtime Allowance | — | — | — | | | |
| 05 | Rewards | 50 | 50 | 100 | | | |
| 06 | Telephone, Electricity, Water Charges. | 1803 | 3605 | 3605 | | | |
| 11 | Domestic Travel Expenses | 600 | 600 | 1000 | | | |
| 12 | Foreign Travel Expenses | 346 | 173 | 346 | | | |
| 13 | Office Expenses | 4340 | 4340 | 5000 | | | |
| 24 | P. O. L. | 1250 | 1250 | 2500 | | | |
| 14 | Rent, Rates and Taxes | 2500 | 2500 | 2000 | | | |
| 26 | Advertising and Publicity | 25 | 25 | 100 | | | |
| 27 | Minor Works | 74 | 74 | 295 | | | |
| 28 | Professional Services | 500 | 500 | 500 | | | |
| 21 | Supplies and Materials | — | — | — | | | |

(३) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व विभागीय कारागृह उपमहानिरीक्षक यांनी केलेल्या निरीक्षण अहवालाबाबतचा तपशील

तक्ता २ TABLE II

| निरीक्षण अधिकारी Inspecting Officer | प्रमाणकाप्रमाणे वर्षभरात करावयाच्या निरीक्षणांची संख्या | | | केलेल्या निरीक्षणांची संख्या | | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | No. of Inspections required to be carried out annually as per norms | | | 2018-2019 | | 2019-2020 | |
| | कारागृह Prison | दु. कारागृह Sub-Jail | | कारागृह Prison | दु. कारागृह Sub-Jail | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक Additional D.G. and Inspector General of Prison | 8 | -- | | 8 | -- | 1 | -- |
| 2. कारागृह उपमहानिरीक्षक .. नागपूर (पूर्व विभाग) D. I. G. Prisons Nagpur (Eastern Region) | 18 | 31 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. कारागृह उपमहानिरीक्षक .. पुणे (पश्चिम विभाग) D. I. G. Prisons Pune (Western Region) | 10 | 56 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. कारागृह उपमहानिरीक्षक .. औरंगाबाद (मध्य विभाग) D. I. G. Prisons Aurangabad (Central Region) | 10 | 55 | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5. कारागृह उपमहानिरीक्षक .. मुंबई (दक्षिण विभाग) D. I. G. Prisons Mumbai (South Region) | 8 | 31 | | 9 | 0 | 5 | 0 |

(अ) महाराष्ट्र राज्य कारागृह कर्मचारी कुटुंब कल्याण निधी

या निधीचा उद्देश कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीयांना निकटीच्या आणि आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या अडचणीचेबेळी पैशाच्या अगर वस्तूच्या स्वरूपात मदत करण्याचा आहे.

हा निधी सन १९५५ साली कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी घेऊन प्रथम उभारण्यात आला. सन १९७४-७५ पासून या निधीला शासनाकडून अंशदान देण्यात येत आहे. सन २००९-२०१० पासून रुपये २५ हजार अंशदान मंजूर करण्यात आले आहे.

बक्षिसे व शिष्यवृत्ती

कर्मचारी कुटुंब कल्याण निधीमधून कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक कारणास्तव बक्षिसे व शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित निकष ठरविण्यात आलेले आहेत.

एस.एस.सी./बारावी व त्यापुढील शिक्षणासाठी

- (१) कला / वाणिज्य विभाग, प्रथम श्रेणी ६० टक्के व पुढे रुपये २,०००.
विषयात प्रावीण्य मिळाले असल्यास, ७५ टक्के व पुढे रुपये १,०००.
- (२) विज्ञान विभाग, प्रथम श्रेणी ७० टक्के व पुढे रुपये २,०००.
एका विषयात प्रावीण्य, पण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण आवश्यक रुपये १,०००.
- (३) सर्व शैक्षणिक तांत्रिक शाखा, प्रथम श्रेणी ६० टक्के व पुढे रुपये २,०००.
प्रावीण्य असल्यास, बेगळे बक्षीस नाही.

कुटुंब कल्याण निधी

तक्ता ३ TABLE III

| सन Year | आरंभीची शिल्लक Opening Balance | जमा * Receipt | एकूण Total | खर्च Expenditure | शिल्लक Balance |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| शासनाचे अनुदान व कर्मचाऱ्यांकडून | रु. Rs. | रु. Rs. | रु. Rs. | रु. Rs. | रु. Rs. |
| आलेली वर्गणी | | | | | |
| 2019-2020 | 4891640 | 10466128 | 15357768 | 2734212 | 12623556 |
| 2020-2021 | 12623556 | 8091493 | 20715049 | 4253686 | 16461363 |
| 2021-2022 (अंदाजे) | 16461363 | 3607820 | 20069183 | 2248000 | 17821183 |

* जमा सन २०१५-२०१६ मध्ये जमा रकमेपैकी पीएलए मध्ये असलेली रकम ३७,२०८ व अनुदान रुपये २५,००० व एफडी १२,००,००० बँकेत असलेल्या रकमा समाविष्ट आहेत.

सन २०१८-२०१९ चे आकडे अंदाजित आहेत.

तक्ता ३-चालू TABLE III—contd.

| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 (अंदाजे) (Estimated) | |
|--|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| (अ) पुस्तकांचे संच | | | | <i>(a) Set of Books—</i> |
| (१) विक्री घेतलेले संच | ... | — | — | (1) No. of sets purchased (Books) |
| (२) लाभ घेणारी मुले | ... | — | — | (2) No. of students covered |
| (३) खर्च | ... | — | — | (3) Expenditure incurred |
| (ब) अपघातप्रसंगी मदत | ... | — | — | <i>(b) Relief in accidents—</i> |
| (१) मदतीसाठी पात्र असलेली संख्या... | — | — | — | (1) No. of persons involved for help. |
| (२) मागणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या | — | — | — | (2) No. of persons approached for help. |
| (३) मदत दिलेल्यांची संख्या | ... | — | — | (3) No. of persons given help |
| (४) झालेला खर्च | ... | — | — | (4) Expenditure incurred |
| (क) (कालपूर्व) आकस्मिक निधन झालेल्यांची संख्या | 5 | 3 | 6 | <i>(c) No. of sudden death / premature death—</i> |
| (१) मदतीसाठी आलेले अर्ज | ... | 4 | — | (1) No. of families approached for help. |
| (२) मदत दिलेल्यांची संख्या | ... | 4 | 3 | (2) No. of families given help |
| (३) झालेला खर्च | ... | 25000 | 15000 | (3) Expenditure incurred |
| (ड) वैद्यकीय मदत | ... | — | — | <i>(d) Medical Relief—</i> |
| (१) मदत मागणाऱ्या व्यक्तींची संख्या... | 26 | 200 | 05 | (1) No. of persons approached for help. |
| (२) कर्ज दिलेल्यांची संख्या | ... | 26 | 19 | (2) No. of persons granted loan |
| (३) खर्च | ... | 2295000 | 3050000 | (3) Expenditure incurred |
| (४) कर्ज थकबाकी | ... | — | — | (4) Amount of loan overdue of recovery. |
| (५) वसूल केलेल्या कर्जाची रकम ... | 1815000 | 1225000 | 2150000 | (5) Amount of loan recovered |
| (६) कर्जाची रकम येणे बाकी ... | 480000 | 1825000 | 1600000 | (6) Amount of loan outstanding |
| (इ) विद्यार्थ्यांना बक्षिसे व शिष्यवृत्त्या ... | 666000 | 811000 | 8690000 | <i>(e) Awards—</i> |

कारागृह कर्मचारी भवन

“ कारागृह कर्मचारी भवन ” हे तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे-६ येथे बांधण्यात आले आहे. यावर रुपये ५०.०० लाख इतका खर्च झालेला आहे. त्याच्बरोबर कारागृह कर्मचारी भवनाशेजारीच मंगल कार्यालयाची वास्तू १२० फूट X ६० फूट बांधण्यात आली आहे. तसेच अद्यावत सुखसोरीनी परिपूर्ण असलेले स्वयंपाकगृह बांधण्यात आले आहे. कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मुलामुलीची लग्ने, मुंज व स्वागत समारंभ व इतर धार्मिक कार्यक्रम करण्यासाठी यांचा वापर होत आहे. तसेच खाजगी व्यक्तींना सदर कार्यालय भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे कारागृह विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे व त्यातूनच सदर इमारतीच्या देखभालीचा खर्च केला जातो. त्यामुळे शहरी वातावरणात कर्मचाऱ्यांना आधुनिक सुखसोरीनी कमी खर्चात सेवा उपलब्ध झालेली आहे.

महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या कारागृहांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारागृह महानिरीक्षणालय, पुणे किंवा कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय, पुणे-६ येथे किंवा येरवडा कारागृह येथे शासकीय कामासाठी यावे लागते व अशा वेळी शासकीय विश्रामगृहात सोय करणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गैरसोरीचे होते. यास्तव अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासाकरिता २ विश्रामकक्ष व इतर कमर्चाऱ्यांकरिता ४ विश्रामकक्ष बांधण्यात आले आहेत.

अशा प्रकारे कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता या वास्तूचा उपयोग होत आहे.

(ब) क्रीडा निधी

तुरुंग खात्यातील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी लागणाऱ्या खेळांची निरनिराळी साधने व कार्यक्रम यावरील खर्चाची तरतूद करण्यासाठी हा निधी सन १९५९ साली कर्मचाऱ्यांच्या वर्गांच्या पैशातून प्रथम उभारण्यात आला. सन १९७४-७५ या वर्षापासून शासनाकडून या निधीस दरवर्षी २०१५-२०१६ करिता रुपये ५,००० चे अंशदान देण्यात येत आहे. या निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :—

तक्ता ४ TABLE IV

| वर्ष Year | आरंभीची शिल्लक Opening Balance | जमा Receipt | एकूण Total | खर्च Expenditure | शिल्लक Balance |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| शासनाचे अनुदान व कर्मचाऱ्यांकडून | 2019-2020 | 1689935 | 1147730 | 2837665 | 1691060 |
| आलेली वर्गांनी | 2020-2021 | 1146605 | 1704479 | 2851084 | 807344 |
| | 2021-2022 (अंदाजे) | 2043740 | 1438950 | 3482690 | 1300000 |
| (Estimated) | | | | | |

टीप.— सन २०१४-२०१५ मध्ये जमा रकमेमध्ये अनुदान रुपये ५,००० व बँकेत असलेल्या जमा रकमा समाविष्ट आहेत.

(क) बंदी कल्याण निधी

कारागृहातील वास्तव्यात कैद्यांना शैक्षणिक, मनोरंजनपर आणि व्यवसाय शिक्षण वगैरे निरनिराळ्या बाबतीत मदत करता यावी या उद्देशाने या निधीची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच कारागृहातून सुटकेच्या वेळी व्यवसाय करण्यासाठी लागणारी उपकरणे आणि कपडेलत्ते विकत घेण्यासाठी कैद्यांना मदत देण्याचाही या निधीचा उद्देश आहे. हा निधी सन १९६१ साली कैद्यांची ऐच्छिक वर्गां, जनतेकडून मिळालेल्या देण्याया आणि कैद्यांनी केलेल्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांद्वारे आलेल्या रकमेतून उभारण्यात आला आहे. तसेच शासन या निधीस अंशदान देते. सन २०१४-२०१५ सालाकरिता शासनाकडून रुपये ६०,००० अंशदान मंजूर करण्यात आले आहे.

तक्ता ५ TABLE V

बंदी कल्याण निधी

| वर्ष Year | आरंभीची शिल्लक Opening Balance | जमा * Receipt | एकूण Total | खर्च Expenditure | शिल्लक Balance |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| शासनाचे अनुदान व कर्मचाऱ्यांकडून | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| आलेली वर्गणी | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| 2019-2020 | 1855646 | 1566135 | 3421781 | 203430 | 3218351 |
| 2020-2021 | 3218351 | 67681 | 3286032 | 39900 | 3246132 |
| 2021-2022 (अंदाजे) | 3246132 | 69344 | 3315476 | 30000 | 3285476 |
| (Estimated) | | | | | |

* जमा— सन २०१४-२०१५ मध्ये जमा रकमेमध्ये अनुदान रुपये ६०,००० व बँकेत असलेल्या जमा रकमा समाविष्ट आहेत.

मा. मुख्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक लॅर्वि/बंकानि/८६२७/८६२८/२००६/कक्षा-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २००६ नुसार सर्व कारागृहांना सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांनी कुटुंब कल्याण निधी, बंदी कल्याण निधीचे प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी यांचे नावे राष्ट्रीय बँकेत बचत खाते उघडून त्यामध्येच वरील निधीच्या रकमा जमा कराव्यात.

एस. टी. महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला एस. टी. गाड्यांतून तुरुंग विभागाचे कर्मचारी व केंद्री यांची ने-आण करण्याबदल रक्कम देण्यात येते. सन १९७४-७५ सालापूर्वी राज्य मार्ग परिवहन मंडळाला त्यांचे बिलाची रक्कम कारागृहाचे अधीक्षक रोख स्वरूपात देत असत. त्यामुळे महामंडळाला सदरचे बिलाचे पैसे वेळेवर मिळण्यास खूप अडचणी येत असत. त्यामुळे शासनाने सदरहू बाबतचे पैसे मुख्यालयाकडून देण्यात यावेत असे ठरविले आहे.

सन २०१९-२०२० मध्ये कोणतीही रक्कम देण्यात आलेली नाही.

तक्ता ६ TABLE VI

कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पदे)

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम Designation | विद्यमान वेतन संरचना Pay Structure | | सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर Pay level in Revised Pay Matrix | | पदाची 2019-2020 6 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|---------|-------------------------|
| | | वेतनबँड Pay Band | ग्रेड वेतन Grade Pay | वेतन स्तर Pay level in Revised Pay Matrix | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| राजपत्रित | | | | | | |
| १. | अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक | .. | | संवर्ग पद | | |
| २. | कारागृह उपमहानिरीक्षक | .. | ३७४००-६७००० | ८१०० | एस-२९ : | १३११००-२१६६०० |
| ३. | अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ | .. | १५६००-३९१०० | ६६०० | एस-२३ : | ६७७००-२०८७०० |
| ४. | अधीक्षक, कारागृह वस्त्रोद्योग | .. | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० |
| ५. | संशोधन अधिकारी | .. | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६१००-१७७५०० |
| ६. | विधी अधिकारी | .. | ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : | ४४१००-१४२४०० |
| ७. | पोलीस उपअधीक्षक | .. | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६१००-१७७५०० |
| ८. | पोलीस निरीक्षक | .. | ९३००-३४८०० | ५००० | एस-१८ : | ४९१००-१५५८०० |
| | | | | | | -- |

तक्ता ६ TABLE VI--चालू
कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पदे)--चालू

| अ. क्र. Sr. No. 1 | पदनाम Designation 2 | विद्यमान वेतन संरचना | | सुधारित वेतन मॉट्रीक्समधील वेतन स्तर Pay level in Revised Pay Matrix 5 | | पदाची 2019-2020 6 | |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | | वेतनबँड Pay Band 3 | ग्रेड वेतन Grade Pay 4 | | | | |
| | | | | | | | |
| राजपत्रित-- चालू | | | | | | | |
| १. | उपअधिकारी | .. | १५६००-३९९०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० १ | |
| १०. | वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी | .. | १५६००-३९९०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० १ | |
| ११. | तंत्र अधिकारी, शेती | .. | १३००-३४८०० | ४६०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० १ | |
| १२. | अधीक्षक, तुरुंग उद्योग | .. | १५६००-३९९०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० १ | |
| १३. | स्वीय सहायक रचना व. कार्यपद्धती अधिकारी | .. | १३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० २ | |
| १४. | सांचियकी अधिकारी | .. | १३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० १ | |
| १५. | लेखा अधिकारी | .. | १३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : | ४४९००-१४२४०० १ | |
| १६. | स्वीय स. ल. ले. स. | .. | १३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : | ४४९००-१४२४०० १ | |
| १७. | सहायक लेखाधिकारी | .. | १३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० १ | |
| | | | | | एकूण | .. १६ | |
| अराजपत्रित | | | | | | | |
| १८. | तुरुंग अधिकारी, श्रेणी-१ | .. | १३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० १ | |
| १९. | तुरुंग अधिकारी, श्रेणी-२ | .. | १३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : | ३८६००-१२२८०० २ | |
| २०. | कार्यालयीन अधीक्षक | .. | १३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : | ३८६००-१२२८०० ११ | |
| २१. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | .. | १३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० १ | |
| २२. | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | .. | १३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : | ३८६००-१२२८०० ३ | |
| २३. | पोलीस उपनिरीक्षक | .. | १३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : | ३८६००-१२२८०० ३ | |
| २४. | अन्वेषक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८११०० ३ | |
| २५. | सांचियकी | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८११०० १ | |
| २६. | वरिष्ठ लिपिक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८११०० २१ | |
| २७. | लिपिक | .. | ५२००-२०२०० | १९०० | एस-६ : | १९१००-६३२०० २४ | |
| २८. | कारागृह शिपाई (रक्षक) | .. | ५२००-२०२०० | २००० | एस-७ : | २१७००-६९१०० २ | |
| | | | | | विशेष वेतन + ५०० | | |
| २९. | मुख्याध्यापक | .. | १३००-३४८०० | ४२०० | एस-१३ : | ३५४००-११२४०० १ | |
| | | | | | एकूण | .. ७३ | |
| गट ड | | | | | | | |
| ३०. | दप्तरबंद | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ : | १६६००-५२४०० १ | |
| ३१. | नाईक | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ : | १६६००-५२४०० १ | |
| ३२. | शिपाई | .. | ४४४०-७४४० | १३०० | एस-१ : | १५०००-४७६०० ७ | |
| ३३. | झेरॉक्स मशिन चालक | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ : | १६६००-५२४०० १ | |
| | | | | | गट ड पदे--एकूण | .. १० | |
| | | | | | एकूण | .. ९९ | |

कार्यक्रम २

तुरुंग व तुरुंगनिर्मित वस्तू

(अ) तुरुंग

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात ६० तुरुंग असून त्यामध्ये १ खुली वसाहत, १९ खुले तुरुंग आणि १ किशोर सुधारालय व १ महिला कारागृह यांचा समावेश होतो.

एकूण क्षमता व सरासरी कैद्यांची संख्या यावरून तुरुंगाचे मध्यवर्ती कारागृह, वर्ग एक, दोन व तीन यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या साधारणपणे ८०० च्यावर असते. जिल्हा कारागृह वर्ग-१ मध्ये कैद्यांची संख्या ३०१ ते ८०० च्या दरम्यान असते. जिल्हा कारागृह वर्ग-२ मध्ये कैद्यांची संख्या १५० ते ३०० पर्यंत असते, तर जिल्हा कारागृह वर्ग-३ मध्ये कैद्यांची संख्या ५० ते १५० पर्यंत असते. त्याची वर्गवारी सोबतचे तक्त्यात दर्शविली आहे.

तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणाऱ्या दुव्यम कारागृहांची एकूण संख्या १७१ आहे. यामधील १२८ दुव्यम कारागृह बंद असून, ४३ दुव्यम कारागृह सध्या कार्यरत आहे. या दुव्यम कारागृहांची देखरेख महसूल अधिकाऱ्यांकडून पाहिली जाते; परंतु पर्यंतेक्षण तुरुंग खात्याकडून केले जाते.

तहसीलदारांना दुव्यम कारागृहाचे अधीक्षक म्हणून संबोधिले जाते व महसूल विभागातील एक लेखनिक दैनंदिन कामाकडे लक्ष देत असतो. या कामामध्ये कैद्यांना दाखल करून घेणे व सोडणे, भोजन, कपडे व अंथरूण-पांघरूण पुरविणे, तसेच कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित ठेवणे वगैरे कामांचा समावेश असतो.

तुरुंगात ठेवल्या जाणाऱ्या कैद्यांच्या गुन्हेगारी प्रकारावरून त्या त्या तुरुंगाचे वर्गीकरण केले जाते. हे वर्गीकरण करण्यामागील हेतू गुन्हेगाराच्या गुन्ह्याचा प्रकार, स्वरूप व गुन्ह्यातील सराईतपणा ह्यांच्या आधारे त्याला कोणत्या प्रकारचे धंदेशिक्षण व अन्य मार्गदर्शन करणे सुलभ होईल ह्यांचा विचार करणे हा आहे.

निर्दारवलेले कैदी.--रत्नागिरी जिल्हा कारागृह हे विशेष कारागृह म्हणून संबोधिले असून, इतर कारागृहातून जे कैदी शिस्त पाळत नाहीत अशा कैद्यांना या कारागृहात कडक शिस्तीची वागणूक देण्याकरिता ठेवले जाते.

महिला कारागृह.--महिला बंद्यांसाठी शासन आदेश, गृह विभाग क्रमांक ओपेनपीप्र. क्र. १९४/१०५०/ पीआरएस-२, दिनांक १ ऑक्टोबर २००३ नुसार भायखळा जिल्हा कारागृहातील महिला विभाग, मुंबई जिल्हा महिला कारागृह, स्वतंत्र महिला कारागृह, दिनांक २ ऑक्टोबर २००३ पासून सुरु केले आहे. तसेच येरवडा व अकोला कारागृह येथे महिलांसाठी दोन खुले कारागृह कार्यान्वित झाली आहेत.

रुणालय तुरुंग.--जे. जे. ग्रुप रुणालयातील एक विभाग तुरुंग रुणालय म्हणून ठेवला असून, तेथे कैद्यांवर तातडीचे व खास औषधोपचार केले जातात.

बालगुन्हेगार.--जे गुन्हेगार १८ ते २३ या वयोगटातील असून, किशोर सुधारणा कायद्याच्या कक्षेत अंतर्भूत होत नाहीत, त्यांना धुळे जिल्हा कारागृहात पाठविले जाते. सदर कारागृह हे खास बालगुन्हेगारांसाठी म्हणूनच ओळखले जाते.

किशोर सुधारालय.--किशोर गुन्हेगारांना नाशिक येथील किशोर सुधारालयात पाठविणेत येते.

प्रदीर्घ शिक्षा व जन्मठेप भोगणारे.--प्रदीर्घ शिक्षा किंवा जन्मठेप भोगणाऱ्या कैद्यांची जास्तीतजास्त सुरक्षितता ठेवणे आवश्यक असते व त्यांना दीर्घकालीन शिक्षण व त्याग्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असते. अशा कैद्यांना साधारणपणे येरवडा, नागपूर, औरंगाबाद, टाणे कोल्हापूर, नाशिक रोड, अमरावती इत्यादी मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात येते.

अल्पशिक्षा भोगणारे.--अल्पशिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात दाखल होणाऱ्या कैद्यांना विशेष प्रकारचे शिक्षण वगैरे देणे जरूरीचे नसते. म्हणून त्यांना जिल्हा कारागृह, वर्ग-१, वर्ग-२ मध्येही ठेवण्यात येते.

न्यायाधीन कैदी.--बहुतेक न्यायाधीन कैदी हे त्या त्या जिल्ह्यात असणाऱ्या मध्यवर्ती कारागृह, वर्ग १, २ अथवा ३ मध्ये दाखल केले जातात. मुंबईमध्ये न्यायाधीन कैद्यांची संख्या मोळ्या प्रमाणात असल्याने, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह हे न्यायाधीन कैद्यांकरिता म्हणून राखून ठेवण्यात आले आहे. तसेच भायखळा व कल्याण येथील वर्ग-१ कारागृहसुद्धा मुंबईतील न्यायाधीन कैद्यांकरिताच उपयोगात आणले जाते. क्रिमिनल अपील क्रमांक ११५५/२००५-शिवाजी सात्तुणा गावडे पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन मधील दिनांक २२ ऑक्टोबर २००८ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशान्वये कारागृहात जे न्यायाधीन बंदी जामीनपात्र गुन्ह्यात दाखल झालेले आहेत, अशा न्यायाधीन बंद्यांना संबोधित न्यायालयासमोर हजर करण्याची कोर्टेंशीची तारीख कोणतीही असो, त्यांना अटक झालेल्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत ज्या न्यायालयात त्यांच्या केसेस प्रलंबित आहेत, अशा न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी हजर करावे असे आदेश प्राप्त झालेले असल्याने, कारागृहातील न्यायाधीन बंद्यांची संख्या बन्याच प्रमाणात कमी होईल. व्हि. सी. द्वारे केसची सुनावणी सुरु झाल्यास केसचा जलद निपटारा होईल.

खुली कारागृहे.--चांगली वर्तणुक असलेल्या बंद्यांचे पुनर्वसन व्यवस्थित व्हावे या दृष्टीकोनातून त्यांना पैठण, औरंगाबाद, येरवडा, मोर्शी, विसापूर, कोल्हापूर, नाशिक रोड, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, लातूर, धुळे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, येरवडा महिला, अकोला महिला, जिल्हा येथील खुल्या कारागृहांत पाठविले जाते.

खुल्या वसाहती.--पुनर्वसनाच्या कार्यातील पुढचे पाऊल टाकण्याच्या ध्येयाने खुल्या वसाहतीची स्थापना करण्यात आली आहे. या वसाहतीत कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर राहण्याची परवानगी असते. या ठिकाणी त्यांना काम करून जीवन जगण्यासाठी पैसे मिळविण्याची सबलत दिलेली आहे. सध्या आटपाडी, जिल्हा सांगली येथे अशी एक वसाहत आहे.

| कारागृहाची वर्गवारी | सरासरी कैदी | पश्चिम विभाग, पुणे | मध्य विभाग, औरंगाबाद | पूर्व विभाग, नागपूर | दक्षिण विभाग, मुंबई |
|------------------------|-------------------|---|---|--|--|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| मध्यवर्ती कारागृह | ८०० व त्यापेक्षा | (१) येरवडा, पुणे (२) कोल्हापूर | (१) नाशिक रोड (२) औरंगाबाद | (१) नागपूर (२) अमरावती | (१) मुंबई अधिक. (२) ठाणे (३) तळोजा, नवी मुंबई |
| जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ | ३०१ ते ७९९ पर्यंत | (१) खुले कारागृह, येरवडा, पुणे (२) खुले कारागृह, औरंगाबाद. (३) धुळे (४) किशोर सुधारालय, नाशिक. (५) लातूर. (६) नंदुरबार (७) जालना | (१) खुले कारागृह, पैठण. (२) चंद्रपूर (३) यवतमाळ (४) वर्धा (५) किशोर सुधारालय, (६) गडचिरोली खु. का. (७) वाशिम | (१) अकोला (२) भंडारा (३) रत्नागिरी (४) सिंधुदुर्ग | (१) कल्याण (२) भायखळा |
| जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ | १५० ते ३०० पर्यंत | (१) सातारा (२) सांगली (३) सोलापूर (४) विसापूर खु. का. (५) अहमदनगर (६) येरवडा महिला (७) कोल्हापूर खुले कारागृह. (८) स्वतंत्रपूर (खुली वसाहत आटपाडी), सांगली. | (१) परभणी (२) बीड (३) नांदेड (४) उस्मानाबाद (५) जळगाव (६) नाशिक रोड खुले कारागृह. (७) कोल्हापूर खुले कारागृह. (८) स्वतंत्रपूर (खुली वसाहत आटपाडी), सांगली. | (१) बुलढाणा (२) खुले कारागृह, मोर्शी (३) नागपूर खुले कारागृह. (४) अमरावती खुले कारागृह (५) अकोला महिला जिल्हा खुले कारागृह | (१) अलिबाग (२) सावंतवाडी (३) मुंबई जिल्हा महिला कारागृह. (४) ठाणे खु. का. |
| जिल्हा कारागृह, वर्ग-३ | १५० पेक्षा कमी | (१) कोल्हापूर (शहर) (२) लातूर खुले का. (३) भुसावळ जि. का. | (१) धुळे खुले का. (२) लातूर खुले का. (३) भुसावळ जि. का. | (१) वर्धा जिल्हा खुले कारागृह. (२) यवतमाळ ^१ जिल्हा खुले कारागृह. | (१) जे. जे. रुग्णालय कारागृह, मुंबई-८. (२) रत्नागिरी खु. का. (३) सिंधुदुर्ग जि. खुले कारागृह. |

टोप.-- शासन, गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-१०८७/६२(१६३)/पीआरएस-२, दिनांक ६ जुलै १९९३ अन्वये भोर, इचलकरंजी, भुसावळ, पुणे, अक्कलकोट व फलटण कारागृह बंद करण्याचे आदेश झालेले होते. तथापि, सदर कारागृह हे पुढा सुरु करण्याचे विचाराधीन होते. त्याप्रमाणे शासन निर्णय, एलएनडी/०१९७/५/९३/पीआरएस-२, दिनांक २४ सप्टेंबर २००१ अन्वये सदरहू कारागृहे पुढा सुरु करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. कारागृह बंद करण्यात आल्यानंतर त्या जागांचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी इतरत्र केले आहे. उक्त शासन आदेशानुसार बंद झालेल्या जिल्हा कारागृहांपैकी भुसावळ जिल्हा कारागृह, दिनांक २४ सप्टेंबर २००७ पासून पुढा सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित जागा, पुढा रिक्त करून कारागृहास उद्घाप प्राप्त झालेल्या नाहीत.

(ब) तुरुंगनिर्मित वस्तू

१. कैद्यांना कारागृहात ठेवण्यामागील हेतू-त्यांच्यात सुधारणा व्हावी व त्यांचे पुनर्वर्सन होण्याच्या दृष्टीने त्यांना योग्य ते धंदेशिक्षण घावे हा आहे. आधुनिक शास्त्रीय पद्धतीचा उपयोग करून मानसोपचार तज्ज्ञांच्यामार्फत कैद्यांवर योग्य ते संस्कार करून व योग्य ते शिक्षण देऊन आणि व्यवसाय मार्गदर्शन केल्याने, कैद्यांचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणे शक्य होत आहे. गुन्हेगारांचे मन गुन्ह्यापासून परावृत्त करणे व त्यांच्या जीवनात सुधारणा करणे हा उद्देश आहे. गुन्हेगार हा प्रथम माणूस असून नंतर गुन्हेगार आहे याची जाण ठेवणे आवश्यक आहे. हा विचार लक्षात घेता सर्वसाधारणपणे एका विशिष्ट परिस्थितीत किंवा अर्थिक रंचाईच्या संकटात त्यांच्याकडून गुन्हा घडत असतो. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारास त्याचा गुन्हा करण्याचे सामाजिक पडसाद समजावून देऊन त्याला सुशिक्षित करणे व स्वतः कमवून उपर्जीविका करणे सुलभ होईल अशी मदत देणे, हे कैद्यांनी सुटकेनंतर प्रामाणिक जीवन जगावे याकरिता आवश्यक आहे. यामुळे तुरुंग म्हणजे फक्त कोठडी नसून, ते एक संस्कार करण्याचे ठिकाण आहे या दृष्टीने सर्व कारागृहात आधुनिक साधनसामग्रीने अद्यायावत करण्यात येत आहे की, जेणेकरून कैद्यांना “कमवा व शिका” या ध्येयाने सर्व सोयी व सवलती उपलब्ध होतील.

२. कैदी शिक्षा उपभोगीत असताना त्याने काही गुन्हा केला आहे याची बोच त्याच्या मनास देणे शक्यतो टाळण्यात येते. किंबहुना त्याने केलेला गुन्हा विसरणे शक्य घावे अशाच तन्हेचे वातावरण कारागृहात ठेवण्यात येते. अशा वातावरणात सर्वसाधारणपणे प्रामाणिक जीवन जगण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सवयी व संस्कार त्याच्या मनावर करता येतात. कारागृहात असणाऱ्या सोयी सवलती व कारागृह कर्मचाऱ्यांची या कैद्यांशी सौदार्ह वागाणूक यावर त्यांचे यश अवलंबून आहे. याशिवाय कारागृह उद्योगात रोजगार वाढविण्याकरिता जॉबवर्क प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. पीपीपी मोड्युलद्वारे खाजगी संस्था / उद्योजक कारागृहात त्यांचे उद्योग उभारून रोजगार देतात. केवळ वीज, पाणी, बंदी श्रम इत्यादी वसूल करता खाजगी उद्योजकांना आकर्षित करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे मे. मिंडासाई, यांच्या सहयोगाने वायरिंग हार्नेसचे उत्पादन घेणे चालू असून सदर प्रकल्प नागपूर व औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे सुरु करणेबाबत प्रशासन कार्यरत आहे.

३. अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे एमगिरीच्या सहाय्याने एल.ई.डी. प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आला असून इतर कारागृहांमध्ये सदर प्रकल्प राबविणे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

४. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे श्री. करवीर निवासिनी देवीचे लाडू प्रसाद तयार करण्याचा उद्योग सुरु करण्यात आला आहे.

५. वरील सर्व व्यवसाय हे कारागृह उपमहानीरीक्षक (मुख्यालय) यांच्या देखरेखीखाली चालतात. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग दुसरा शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस २४१३/७२६/प्र. क्र. १९६/२०१३ अर्थ-१, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ नुसार कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखाच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे.

६. सद्या खरेदी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, महाराष्ट्र शासन, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-तीन/उद्योग-४, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ अन्वये खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

७. येरवडा व नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे यंत्रमाग विभागाद्वारे पैठणी साडी उत्पादन घेण्यात येत असून बंद्यांना नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.

८. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह व मोर्शी खुले कारागृह येथे शाडू मातीपासून पर्यावरण पूरक सुबक गणेश मुर्तीचे उत्पादन घेण्यात येत असून बंद्यांना नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.

९. जॉबवर्क : येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे मे. टेरेगस लि. यांचेमार्फत चर्मकला विभागात जॉबवर्क सुरु करण्यात आला आहे.

१०. येरवडा खुले जिल्हा कारागृह येथील ३० बंद्यांना कृषी महाविद्यालय, पुणे शेती क्षेत्रात काम उपलब्ध झालेले आहे.

(क) शेती विभाग

महाराष्ट्रात बहुतेक कारागृहांकडे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन आहे. शेतीमध्ये प्रामुख्याने बंद्यांसाठी लागणारे अन्नधान्य व भाजीपाला ही पिके घेतली जातात. काही कारागृहांकडे उसाचे पीक, फळ पिके घेतली जाते. कारागृह विभागाकडील शेतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्र अधिकारी (कारागृह शेती) हे पद कारागृह महानीरीक्षक कार्यालयात निर्माण केलेले आहे. तसेच जास्त शेती असणाऱ्या कारागृहाकडे कृषी पर्यवेक्षक व त्यापेक्षा कमी शेती असणाऱ्या कारागृहाकडे कृषी सहायक हे पद निर्माण केले आहे. कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहायक हे त्या त्या कारागृहास शेतीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करतात. कारागृहातील बंद्यांकडून शेतीची कामे केली जातात व कारागृहातील कर्मचारी त्यावर देखरेख करतात.

वार्षिक योजना सन २०१९-२०२० ची उद्दिष्टे

(१) कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण.-- सन २०२०-२०२१ करिता वार्षिक योजना कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण अंतर्गत शासनाकडून १४.४४ लक्ष अनुदान मंजूर असून प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.

(२) प्रयोगशाळेसाठी.-- मध्यवर्ती कारागृहांकरिता मोठ्या अँम्बुलन्स, पोर्टबल एक्सरे मशिन, ई. सी. जी. मशिन, अंबुऱ्ग व ब्रीथ अॅनालायझर खरेदी करण्यात येणार आहे.

(३) सुरक्षा उपकरण खरेदी.-- वॉकीटॉकीसेट, डी. एफ. एम. टी., डी. एस. एम. डी., नाईट व्हीजन बायनाक्युलर्स खरेदी करण्यात येणार आहेत.

(४) संगणकीकरण.-- महाराष्ट्रातील कारागृहांना संगणकीकरणाकरिता आवश्यक संगणक, फिअॉस, युपीएस खरेदी करण्यात येणार आहेत.

तक्ता १

TABLE I

तक्ता १

(दोन) वित्तीय आवश्यकता
(II) Financial Requirements

TABLE I

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०१९-२०२० Actuals 2019-2020 | अंगसंकल्प २०२०-२०२१ Budget Estimate 2020-2021 | सुधारलेले अंदाज २०२०-२०२१ Revised Estimates 2020-2021 | अंगसंकल्प २०२१-२०२२ Budget Estimate 2021-2022 | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | | पर्याय हजारांत / Rs. in thousands) | Particulars |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| (अ) कार्याचे वर्गांकरण:- | | | | | |
| (०१) १०१ तुळां... | — | — | — | — | Charged (00) 101 Jail |
| (००) (०१) मध्यवर्ती तुळा भारित दत्तमत .. | 1919005 | 2230402 | 2194284 | 2369399 | Charged (00) (01) Central Jails —Voted |
| (००) (०२) जिल्हा तुळा भारित दत्तमत .. | — | — | — | — | Charged (00) (02) District Jails—Voted |
| (००) (०३) इतर तुळा भारित दत्तमत .. | 1367714 | 1523185 | 1487342 | 1696688 | Charged (00) (03) Other Jails |
| (००) (०५) कारागाह उद्योगाचा विकास (२०५६००६२) | 3700 | 14225 | 22445 | 18509 | Charged (00) (06) Development Prison Industry. |
| (००) (१०) कारागृहांतरंगत करग्यात योजना शेतीचे आर्थिनीकरण (२०५६०१०६) | 1163 | 1400 | 2 | 1560 | Charged (00) (10) Modernisation of Person Agriculture. (20560062) |
| (००) (११) स्वेच्छा निश्चित्तुन बाधकामे.. (२०५६०१७९) | 1762 | 2970 | 1485 | 2970 | Charged (00) (11) Construction From Discretional Grant. (20560171) |
| (००) (१५) मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे... संगणकांकरण (दत्तमत) (२०५६०३०४) | — | — | — | — | Charged (00) (15) Computerisation of Mumbai Central Prison (Voted). (20560204) |
| (००) (१७) तुळाताळ नेतृत्वीय सुविधे मध्ये वाढ करणे (दत्तमत) (२०५६०२१३) | 2300 | 6700 | 1 | 2002 | Charged (00) (17) Increase in Medical Facilities in Jail (Voted). (20560213) |

तक्ता १-चालू TABLE I--contd.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
|--|---------|---------|---------|---------|---|
| (००) (४८) तुळामधील सुरक्षा (दस्तावत) | — | — | — | — | (००) (१८) Security in the Prison (Voted). |
| ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री | — | — | — | — | (५२) Machinery and Equipment |
| (००) (१९) तुळाकारिता व्हिडिओ कॉम्प्यूटरिंग सुविधा (२०५६०२४२) | — | — | — | — | (००) (१९) Video Conferencing Facility for Jail (20560242) |
| १३ कार्यालयीन खर्च | — | — | — | 46350 | (१३) Office Expenses |
| ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री | — | — | — | — | (५२) Machinery and Equipment |
| (००) (२०) तेरात्था वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुळातील सोयी सुविधांमध्ये वाढ (केंद्र पुरास्कृत) | — | — | — | — | (००) (२०) Upgradation facilities in Prison as per recommendation of Thirteenth Finance Commission (Centrally Sponsored) (Plan). |
| ५३ मोठी बांधकामे | — | — | — | — | (५३) Major Work |
| (००) (२१) तेरात्था वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा (केंद्र पुरास्कृत). | — | — | — | — | (००)(२१) Improvement in Prison Security as per recommendation of Thirteenth Finance Commission (Centrally Sponsored). |
| ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री | — | — | — | — | (५२) Machinery and Equipment |
| भारीत .. | — | — | — | — | Charged |
| एकूण .. -दस्तावत .. ३३०७५६९ | 3307569 | 3834755 | 3701626 | 4157775 | Voted |
| एकूण .. | ३३०७५६९ | ३८३४७५५ | ३७०१६२६ | ४१५७७७५ | Total |

(दोनों) वित्तीय आवश्यकता
(II) Financial Requirements

तत्काल
TABLE I

| | | प्रत्यक्ष रकमा २०१९-२०२० | | अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ | | सुधारलेते अंदाज २०२०-२०२१ | | अर्थसंकल्प २०२१-२०२२ | | Particulars | |
|---|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|---|-------------|---|
| | तत्काल | Actuals 2019-2020 | Budget Estimate 2020-2021 | Revised Estimates 2020-2021 | Budget Estimate 2021-2022 | | 5 | | 5 | | 1 |
| (अ) उद्दिष्टनिहाय बर्गक्रमण- | | | | | | | | | | | |
| (००) (१०१) तुल्यता- (००) (०१) मध्यबर्ती तुल्या (अनि.) (२०५६००४५) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| ०१ वेतन | 1463475 | 1687177 | 1687177 | 1805279 | 01 Salaries | (20560035) | | | | | |
| ०२ मज़री | 49935 | 62870 | 62870 | 66014 | 02 Wages | | | | | | |
| ०३ अधिकारिक भता | — | — | — | — | 03 Overtime Allowance | | | | | | |
| ०४ दूरध्वनी, वीज व पाणी | 78688 | 90000 | 90000 | 90000 | 06 Telephone, Electricity & Water charges. | | | | | | |
| शुल्क | | | | | | | | | | | |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च | 4959 | 7510 | 7510 | 7510 | 11 Domestic Travel Expenses | | | | | | |
| १३ कार्यालयीन खर्च | 3943 | 5570 | 4178 | 5570 | 13 Office Expenses | | | | | | |
| १४ भाइपटी व कर | 1273 | 3640 | 2730 | 3640 | 14 Rent, Rates and Taxes | | | | | | |
| १७ संग्राक खर्च | 442 | 630 | 158 | 630 | 17 Computer Expenses | | | | | | |
| १८ सर्विस्ट्रा दिवसाची भरपाई | 9261 | 12155 | 3039 | 12155 | 18 Of-Day Compensation | | | | | | |
| १९ आहार खर्च | — | 283097 | 354426 | 354426 | 19 Diet Charge | | | | | | |
| २२ शमशे व दाळोळा | — | — | 100 | 50 | 22 Arms and Ammunition | | | | | | |
| २४ पेट्रोल, तेल व वंगण | 171 | 247 | 247 | 124 | 24 P.O.I. | | | | | | |
| २६ जाहिरत व ग्रसिडी | — | — | — | — | 26 Advertising and Publicity | | | | | | |
| २७ लहान वांशकामे | 41 | 71 | 71 | 71 | 27 Minor Works | | | | | | |
| २८ व्यापारिक विषेष सेवा | 132 | 450 | 3216 | 450 | 28 Pro. and special Expenses | | | | | | |
| ५२ यंत्रासामग्री व साधनसामग्री | 169 | 330 | 83 | 347 | 52 Machinery and Equipment | | | | | | |
| ५० इतर खर्च दत्तमत | 23419 | 52226 | 12460 | 52226 | 50 Other Charges | { Voted Charged | | | | | |
| भारित | — | — | — | — | | | | | | | |
| एकूण दत्तमत | 1919005 | 2230402 | 2194284 | 2369399 | — | Charged | | | | | |
| (००) (०१) जिल्हा तुल्या (अनि.) (२०५६००४५) | | | | | | | | | | | |
| ०१ वेतन | 1141556 | 1233017 | 1233017 | 1399328 | 01 Salaries | (20560044) | | | | | |
| ०२ मज़री | 20700 | 26492 | 26492 | 27817 | 02 Wages | | | | | | |
| ०३ अधिकारिक भता | — | — | — | — | 03 Overtime Allowance | | | | | | |
| ०४ दूरध्वनी, वीज व पाणी | 30486 | 36000 | 18000 | 36000 | 06 Telephone, Electricity & Water charges. | | | | | | |
| शुल्क | | | | | | | | | | | |
| १० कंजाटी सेवा | 1 | 1 | 1 | 500 | 10 Contract Services | | | | | | |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च | — | 4430 | 8890 | 5000 | 11 Domestic Travel Expenses | | | | | | |

तत्का १-चालू TABLE I--contd.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
|--|---------|---------|---------|---------|---|
| १३ कार्यालयीन खर्च . | 2297 | 3176 | 3176 | 3176 | 13 Office Expenses |
| १४ भाडेपट्टी व कर . | 4183 | 6760 | 5070 | 6760 | 14 Rent, Rates and Taxes |
| १७ संगणक खर्च . | 789 | 1123 | 281 | 1123 | 17 Computer Expenses |
| १८ सुर्दृत्या दिवसाची भरपाई . | 7236 | 9513 | 2378 | 9513 | 18 Of-Day Compensation |
| १९ आहार खर्च . | 141962 | 184552 | 184552 | 193780 | 19 Diet Charges |
| २४ पटोल, तेल व दंण . | — | 1 | 1 | 1 | 24 P. O. L. |
| २६ जाहिरात व ग्रसिकडी . | — | 1 | 1 | 1 | 26 Advertising and Publicity. |
| २७ लहान बांधकाम . | — | 10 | 3 | 10 | 27 Minor Works |
| २८ व्यावसायिक विशेष सेवा . | 12 | 50 | 25 | 50 | 28 Pro. and special Expenses |
| ५२ यंत्रासामग्री व साधनसामग्री | 135 | 599 | 150 | 629 | 52 Machinery and Equipment |
| ५० इतर खर्च {दरमत . | 13928 | 13000 | 3750 | 13000 | 50 Other Chars { Voted { Charged |
| एकूण दरमत . | — | — | — | — | Total Voted Charged |
| (००) (०३) इतर तुरंगा--- (२०५६००५३) | 1367714 | 1523185 | 1487342 | 1696588 | (००) (०३) Other Jails (20560053) |
| ०१ बोतन . | 541 | 4314 | 1112 | 3700 | 01 Salaries |
| ०२ मजुरी . | — | — | — | — | 02 Wages |
| ०३ अधिकारिक भता . | — | — | — | — | 03 Overtime Allowance |
| ०६ दूरक्रमी, वीज व पाणी . | 239 | 500 | 250 | 500 | 06 Telephone, Electricity and Water charges. |
| शुल्क | | | | | 11 Domestic Travel Expenses |
| ११ देशांतरंत्र प्रवास खर्च . | 810 | 363 | 182 | 363 | 11 Domestic Travel Expenses |
| १३ कार्यालयीन खर्च . | 12 | 274 | 137 | 274 | 13 Office Expenses |
| १७ संगणक खर्च . | — | 106 | 27 | 106 | 17 Computer Expenses |
| १९ आहार खर्च . | 12623 | 16538 | 16538 | 25000 | 19 Diet Charges |
| ५० इतर खर्च { दरमत . | — | 350 | 263 | 350 | 50 Other Charges { Voted { Charged |
| एकूण . | 14225 | 22445 | 18509 | 30293 | Total |
| (००) (०६) कारणाह उद्योगांचा विकास- (२०५६००६२) | — | — | — | — | (००) (०६) Development of Prison Industry--(20560062) |
| ५२ यंत्रासामग्री व साधनसामग्री . | 3700 | 12353 | 1 | 2512 | 52 Machinery and Equipments |
| एकूण . | 3700 | 12353 | 1 | 2512 | Total |

(देन) वित्तीय आवश्यकता

(II) Financial Requirements

तब्का १
TABLE I

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०१९-२०२० | अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ | सुधारलेले अंदाज २०२०-२०२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२०२२ | Particulars |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| (००) (१०) कारागृहात करण्यात येणाऱ्या शेतीचे आधुनिकीकरण- | | | | | |
| (२०५६०१०६) | | | | | |
| १७ संग्राहक खार्च | .. | — | 400 | 560 | (००) (10) Modernisation Prison Agriculture-- (20560106) |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | 1163 | 1000 | 1 | 1000 | 17 Computer Expenses 52 Machinery and Equipment |
| एकूण | .. | 1163 | 1400 | 1560 | Total |
| (००) (११) स्वेच्छानिर्धारित बांधकाम (२०५६०१७) | .. | — | — | — | (००) (11) Construction works from discretionary grant. (20560171) [Commr.] |
| (अनिवार्य) | | | | | 31 Grant-in aid |
| ३१ सहायक अनुदाने | .. | 1762 | 2970 | 1485 | 2940 |
| एकूण | .. | 1762 | 2970 | 1485 | 2940 |
| (००) (१२) मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण | .. | — | — | — | (००) (12) Construction at Mumbai Central Prison Voted (20560204) |
| (२०५६०२०४) | | | | | |
| १७ संग्राहक खार्च | .. | — | — | — | 17-Computer Expenses |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | .. | — | — | — | 52-Machinery and Equipment |
| (००) (१३) अंगणवाडीची स्थापना करणे | .. | — | — | — | (००)(16) Establishment at Aanganwadi Voted(20560233) |
| (२०५६०२३३) | | | | | |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | .. | — | — | — | 52- Machinery and Equipment |
| (००) (१४) तुळगातील वैद्यकीय सुविधेमध्ये वाढ करणे | .. | — | — | — | (००)(17) Increase in Medical Facilities in Jail Voted(20560213) |
| (२०५६०२१३) | | | | | |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | .. | — | — | — | 52-Machinery and Equipment |
| (००) (१५) मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण | .. | — | — | — | (००) (15) Computerisation at Mumbai Central Prison Voted (20560204) |
| (२०५६०२३३) | | | | | |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | .. | — | — | — | 17-Computer Expenses |
| (००) (१६) तुळगातील वैद्यकीय सुविधेमध्ये वाढ करणे | .. | — | — | — | 52-Machinery and Equipment |
| (२०५६०२१३) | | | | | |
| ५२ यंत्रांसमग्री व साधनसामग्री | .. | — | — | — | (००) (18) Security in Jail Voted(20560222) |
| (००) (१७) तुळगातील सुरक्षा | .. | — | — | — | 21-Material and Supply |
| (२०५६०२२२) | | | | | |
| २१ पुरवठा व सामग्री | .. | — | — | — | |

तक्ता १-चालू TABLE I--contd.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
|---|---------|---------|---------|---------|--|
| ५२ यंत्रसमग्री व सञ्चनसामग्री . | 144 | 60500 | 3025 | 54976 | ५२- Machinery and Equipment |
| (००)(११) तुङ्गाकरिता क्विडिओ कॉम्प्यूटरन्सा स्ट्रिप्ट्वा (२०५६०२४२) | | | | | (००)(११) Video Conferencing Facility for Jail (20560242) |
| १३ कार्यालयीन खर्च . | — | 33000 | 1 | 46350 | (13) Office Expenses |
| ५२ यंत्रसमग्री व सञ्चनसामग्री | — | — | — | — | (52) Machinery and Equipment |
| (००)(२०) तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुऱ्यार तुङ्गातील सोयी स्वीक्षणमध्ये वाढ (केंद्र फुस्क्षा) (योजनातारंगत) | | | | | (00)(20) Upgradation facilities in Prison as per recommendation of Thirteenth Finance Commission (Centrally Sponsored) (Plan). |
| ५३ मोर्टी बांधकाम | — | — | — | — | (53) Major Work |
| (००)(२१) तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुऱ्यार तुङ्गाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा (केंद्र फुस्क्षा) (योजनातारंगत) | | | | | (00)(21) Improvement in Prison Security as per recommendation of Thirteenth Finance Commission (Centrally Sponsored) (Plan). |
| ५२ यंत्रसमग्री व सञ्चनसामग्री . | — | — | — | — | (52) Machinery and Equipment |
| (क) वित्तव्यवस्थेची साधने-- मागणी क्र. प्रदान शीर्ष बं०-५ २०५६ | | — | — | — | C. Source of Finance— Demand No. Major Head B-5 2056. |
| एकूण (क) स्थूल . | — | — | — | — | Total (C) Gross |
| वजा वसुली . | — | — | — | — | Deduct--Recoveries |
| एकूण (क) निक्काठ दरमात . | 3513783 | 4190209 | 3921961 | 4559347 | Total (C) Net--Voted Charged |
| भारित . | — | — | — | — | |

तथा २
TABLE II

(रावकम राप्ये हजारां / Amount in thousands)

| तथाल | प्रत्यक्ष रकमा २०१८-२०१९ Actuals 2018-2019 | अर्थसंकल्प २०१९-२०२० Budget Estimate 2019-2020 | सुधारलेले अंदाज २०१९-२०२० Revised Estimates 2019-2020 | अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ Budget Estimate 2020-2021 | Particulars | A. Activity Classification- | |
|----------------------------------|---|---|--|---|-------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | 1 | 2 |
| (अ) कार्याचे वगीकरण- | | | | | | | |
| (००) १०२, तुळा निर्मित वस्तु | .. | 86002 | 110000 | 54950 | 150000 | (००) 102, Jail Manufactures | |
| एकूण (अ) | .. | 86002 | 110000 | 54950 | 150000 | Total---A | |
| (ब) उद्दिष्टनिहाय वगीकरण- | | | | | | | |
| (००) १०२, तुळा निर्मित वस्तु | .. | | | | | (००) 102, Jail Manufactures | |
| (००) (०१) तुळा उद्योग | .. | | | | | (००) (01) Jail Industries | |
| २१ पुरवठा व समग्री | 20 | | 109999 | 54950 | 150000 | 21 Supplies and Materials | |
| २१ विक्रेय वस्तूकरिता खोरेदी | 85982 | 1 | 1 | 1 | — | 29 Purchase goods for sale | |
| एकूण (ब) स्थूल | .. | 86002 | 110000 | 54951 | 150000 | Total (B) Gross | |
| वजा वसूली | — | — | — | — | — | Deduct—Recoveries | |
| एकूण (ब) निव्वळ | .. | 86002 | 110000 | 54951 | 150000 | Total (B) Net | |

तत्त्वा ३

TABLE III

(3) कार्यक्रमाचा कार्यभागाचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme work-load summary and explanation of financial requirements

(१) केंद्री ठेवण्याची अधिकृत क्षमता व केंद्री संख्या

(ii) ACCOMMODATION AND POPULATION OF JAILS

खालील तव्ह्यात प्रत्येक मश्वर्ती व जिल्हा कारगळाची केंद्री ठेवण्याची अधिकृत क्षमता आणि प्रत्येक कारगळातील कैद्यांची सरासरी संख्या ठाखविण्यात आली आहे. प्रत्येक कारगळ कैद्यांसाठी ठरविलेली प्रमाणित जागा ३.७९ रुबवेअर मीटर आणि ५५.८३ क्यांगिक पीटर्स आहे.

The table indicates the authorised accommodation of each Central and District Jail and average number of prisoners confined in each Jail per day etc. Present of space per prisoner in sleeping barracks 3.71 Sq. metres and 15.83 cubic metres.

तथ्या ३ TABLE III

| (अ) मश्वर्ती कारगळ- | कारगळ | अधिकृत क्षमता | | | | वर्ष अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्च रोजी केंद्री संख्या (Prisoners population at the end of year i.e. 31st March) | | | | वर्ष २०१९-२०२० | | | | वर्ष २०२०-२०२१ | | | | Central Prisons— | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|---|--------|-------|-------|----------------|--------|-------|-------|----------------|--------|-------|--|---------------------------|--------|-------|--|
| | | Authorised accommodation | | | पुरुष | | स्त्री | | पुरुष | | स्त्री | | पुरुष | | स्त्री | | | | | | |
| | | Male | Female | Total | | Male | Female | Total | | Male | Female | Total | | Male | Female | Total | | Male | Female | Total | |
| २ | ३ | ३ | ४ | ५ | | ६ | ७ | ८ | | ९ | १० | ११ | | १२ | १३ | १४ | | १५ | १६ | १७ | |
| ३ | ४ | १६६८ | १४२ | १८१० | | २२७६ | ६९ | २३४५ | | २३९० | ७२ | २४६२ | | ३३५ | १४१ | ३४१ | | ३४८ | १४१ | ३४९ | |
| ५ | ६ | ५०८ | ३१ | ५३९ | | १६७५ | ७८ | १७५३ | | १७५९ | ८२ | १८४१ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| ७ | ८ | २९५८ | ६० | ३०१८ | | २९८० | ७६ | ३०५६ | | ३१२९ | ८० | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| ९ | १० | १६६५ | ३४ | १६९९ | | २१७८ | ७६ | २२५४ | | २२८७ | ८० | २३६७ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| ११ | १२ | २३२३ | १२६ | २४४९ | | ५४३२ | २६१ | ५६९३ | | ५७०४ | २७४ | ५९७८ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| १३ | १४ | ८०४ | ० | ८०४ | | २९४१ | ० | २९४१ | | ३०८८ | ० | ३०८८ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| १५ | १६ | १०८० | २५ | ११०५ | | ३५९८ | १२० | ३७१८ | | ३७७८ | १२६ | ३९०४ | | ३९०४ | १३१ | ३९०४ | | ३९०४ | १३१ | ३९०४ | |
| १७ | १८ | २१२४ | — | २१२४ | | २६३५ | ० | २६३५ | | २७६७ | ० | २७६७ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| १९ | २० | १४०३९ | ४५२ | १४४९१ | | २५०१८ | ७२७ | २५७४५ | | २६२७० | ७६३ | २७०३३ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| एकूण | | १४०३९ | ४५२ | १४४९१ | | २५०१८ | ७२७ | २५७४५ | | २६२७० | ७६३ | २७०३३ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | | ३२०९ | १३१ | ३२०९ | |
| (ब) जिल्हा कारगळ, वर्ष १— | | | | | | | | | | | | | | | | | | District Prisons, Class-I | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६७३ | २२ | ६९५ | | ३५४ | २५ | ३७९ | | ३७२ | २६ | ३९८ | | ३७२ | २६ | ३९८ | |
| ५ | ६ | ३३८ | ५ | ३४३ | | ३११ | ८ | ३१९ | | ३२७ | ८ | ३३५ | | ३२७ | ८ | ३३५ | | ३२७ | ८ | ३३५ | |
| ७ | ८ | ३२२ | ११ | ३३३ | | ४८५ | १७ | ५०२ | | ५०९ | १८ | ५२७ | | ५२७ | १८ | ५२७ | | ५२७ | १८ | ५२७ | |
| १० | ११ | २२४ | ५ | २२९ | | २८८ | १५ | ३०३ | | ३०२ | १६ | ३१८ | | ३१८ | १६ | ३१८ | | ३१८ | १६ | ३१८ | |
| १३ | १४ | २०० | ० | २०० | | १४९ | ० | १४९ | | १५६ | ० | १५६ | | १५६ | ० | १५६ | | १५६ | ० | १५६ | |
| १५ | १६ | २४३ | ९ | २५२ | | २८१ | ३ | २८४ | | २९५ | ३ | २९८ | | २९५ | ३ | २९८ | | २९८ | ३ | २९८ | |
| १७ | १८ | ७५ | ० | ७५ | | ५८ | ० | ५८ | | ६१ | ० | ६१ | | ६१ | ० | ६१ | | ६१ | ० | ६१ | |
| १९ | २० | २८५ | ९ | २९४ | | २५३ | १९ | २७२ | | २६६ | २० | २८६ | | २८६ | २० | २८६ | | २८६ | २० | २८६ | |
| २१ | २२ | ४८० | २० | ५०० | | २९२ | १६ | ३०८ | | ३०७ | १७ | ३२४ | | ३२४ | १७ | ३२४ | | ३२४ | १७ | ३२४ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
| 10 | किंशोर सु. नाशिक | .. | 105 | 0 | 105 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | Borstal School Nashik |
| 11 | पैठण खुले का. | .. | 500 | 0 | 500 | 235 | 0 | 353 | 371 | 0 | 371 | Paithan Open Prison |
| 12 | येरवडा खुले का. | .. | 172 | 0 | 172 | 163 | 0 | 163 | 171 | 0 | 171 | Yerwada Open Prison |
| 13 | भायखळा जि. का. | .. | 200 | 0 | 200 | 352 | 0 | 352 | 370 | 0 | 370 | Byculla |
| 14 | कल्याण जि. का. | .. | 505 | 35 | 540 | 1746 | 118 | 1864 | 1833 | 124 | 1957 | Kalyan |
| 15 | रत्नगिरी विशेष का. | .. | 243 | 3 | 246 | 139 | 10 | 149 | 146 | 11 | 157 | Ratnagiri S. P. |
| 16 | मंबई महिला जि. का. | .. | 0 | 262 | 262 | 0 | 368 | 368 | 0 | 386 | 386 | Mumbai D. W. P. |
| | एकूण | .. | 4565 | 381 | 4946 | 5237 | 599 | 5836 | 5500 | 629 | 6129 | Total |
| (क) | जिल्हा करागृह, वर्ष-२-- | | | | | | | | | | | District Prison, Class-II |
| 1 | कुलढणा जि. का. | .. | 97 | 4 | 101 | 225 | 9 | 234 | 236 | 9 | 245 | Buldhana |
| 2 | वाशिम जि. का. | .. | 170 | 30 | 200 | 153 | 12 | 165 | 161 | 13 | 174 | Washim |
| 3 | बीड जि. का. | .. | 144 | 17 | 161 | 228 | 10 | 238 | 239 | 11 | 250 | Beed |
| 4 | जालना जि. का. | .. | 526 | 30 | 556 | 189 | 3 | 192 | 198 | 3 | 201 | Jalana |
| 5 | जळगाव जि. का. | .. | 186 | 14 | 200 | 442 | 10 | 452 | 464 | 11 | 475 | Jalgao |
| 6 | नांदेड जि. का. | .. | 105 | 30 | 135 | 145 | 20 | 165 | 152 | 21 | 173 | Nanded |
| 7 | नंदूरबार जि. का. | .. | 450 | 50 | 500 | 157 | 0 | 157 | 165 | 0 | 165 | Nandurbar |
| 8 | परभणी जि. का. | .. | 240 | 12 | 252 | 361 | 13 | 374 | 379 | 14 | 393 | Parbhani |
| 9 | उस्मानाबाद जि. का. | .. | 242 | 27 | 269 | 188 | 16 | 204 | 197 | 17 | 214 | Osmanabad |
| 10 | औरंगाबाद खुले का. | .. | 90 | 0 | 90 | 74 | 0 | 74 | 78 | 0 | 78 | Aurangabad O. P. |
| 11 | अहमदनगर जि. का. | .. | 63 | 6 | 69 | 131 | 0 | 131 | 138 | 0 | 138 | Ahmednagar |
| 12 | सांगली जि. का. | .. | 205 | 30 | 235 | 331 | 0 | 331 | 348 | 0 | 348 | Sangli |
| 13 | सातारा जि. का. | .. | 159 | 9 | 168 | 215 | 13 | 228 | 226 | 14 | 240 | Satara |
| 14 | सोलापूर जि. का. | .. | 127 | 14 | 141 | 369 | 31 | 400 | 387 | 33 | 420 | Solapur |
| 15 | विसारू झु. का. | .. | 200 | 0 | 200 | 91 | 0 | 91 | 96 | 0 | 96 | Visapur O. P. |
| 16 | अलिबाग जि. का. | .. | 80 | 2 | 82 | 87 | 5 | 92 | 91 | 5 | 96 | Alibag |
| 17 | सावंतवाडी जि. का. | .. | 56 | 22 | 78 | 52 | 9 | 61 | 55 | 9 | 64 | Sawantwadi |
| 18 | सिंधुरुंगा जि. का. | .. | 176 | 24 | 200 | 59 | 0 | 59 | 62 | 0 | 62 | Sindhudurg |
| | एकूण | .. | 3316 | 321 | 3637 | 3497 | 151 | 3648 | 3672 | 160 | 3832 | Total |

* सन २०२०-२०२१ चे आकडे अंदाजित आहे. Figures of the years 2020-2021 estimated figures.

तथा ३ TABLE III—cond.

| अनु- क्रमांक | कारगह | अधिकृत क्षमता Authorised accommodation | | | | वार्ष अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्च रोजी कैदी संख्या (Prisoners population at the end of year i. e. 31st March) | | | | Prison | | | |
|------------------------------|-------|--|--------|------|-------|--|--------|------|-------|--------|--------|-------|---------------------------|
| | | पुरुष | | एकूण | | पुरुष | | एकूण | | पुरुष | | | |
| | | Male | स्त्री | Male | Total | Male | स्त्री | Male | Total | Male | स्त्री | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 2 |
| (अ) जिल्हा कारगह, वर्ग-३-- | | | | | | | | | | | | | District Prison Class-III |
| 1 अमरावती खुले कारगह .. | | 80 | 0 | 80 | | 63 | 0 | 63 | | 66 | 0 | 66 | Amravati Open Prison |
| 2 नागपूर खुले कारगह .. | | 80 | 0 | 80 | | 72 | 0 | 72 | | 76 | 0 | 76 | Nagpur Open Prison |
| 3 अकोला महिला खुले कारगह ० | | 50 | 50 | 50 | | 30 | 30 | 30 | | 32 | 32 | 32 | Akola Female O. P. |
| 4 नाशिकरोड खुले कारगह .. | | 210 | 0 | 210 | | 200 | 0 | 200 | | 210 | 0 | 210 | Nashikroad Open Prison |
| 5 भुसावळ जि. का. | | 60 | 0 | 60 | | 46 | 0 | 46 | | 48 | 0 | 48 | Bhusawal |
| 6 व्यांतवापूर खुले आपाडी .. | | 28 | 0 | 28 | | 2 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 2 | Open Colony Atpadi |
| 7 कोल्हापूर जि. का. (शहर) .. | | 104 | 21 | 125 | | 166 | 11 | 177 | | 174 | 12 | 186 | Kolhapur (City) |
| 8 कोल्हापूर खुले कारगह .. | | 140 | 0 | 140 | | 114 | 0 | 114 | | 120 | 0 | 120 | Kolhapur Open Prison |
| 9 येवडा महिला खुले कारगह ० | | 50 | 50 | 50 | | 31 | 31 | 31 | | 33 | 33 | 33 | Yerawada W. O. P. |
| 10 जे. जे. लगालाच .. | | 20 | 0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | J. J. Hospital P. |
| 11 ठाणे खुले कारगह .. | | 25 | 0 | 25 | | 20 | 0 | 20 | | 21 | 0 | 21 | Thane Open prison |
| 12 यवतमाळ खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 15 | 0 | 15 | | 16 | 0 | 16 | Yavatmal Open Prison |
| 13 वर्धा खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 14 | 0 | 14 | | 15 | 0 | 15 | Wardha Open Prison |
| 14 श्रुते खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 15 | 0 | 15 | | 16 | 0 | 16 | Dhule Open Prison |
| 15 लातूर खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 10 | 0 | 10 | | 11 | 0 | 11 | Latur Open Prison |
| 16 रत्नगिरी खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 11 | 0 | 11 | | 12 | 0 | 12 | Ratnagiri Open Prison |
| 17 निंबुद्वारा खुले कारगह .. | | 15 | 0 | 15 | | 12 | 0 | 12 | | 13 | 0 | 13 | Shindhudurg Open Prison |
| | | एकूण .. | 837 | 121 | 958 | 760 | 72 | 832 | 800 | 77 | 877 | Total | |
| | | प्रतिवर्षी कैदी सरासरी संख्या | | | | | | | | | | | |
| अनु- क्रमांक | कारगह | पुरुष | | | | पुरुष | | | | पुरुष | | | |
| | | पुरुष | | एकूण | | पुरुष | | एकूण | | पुरुष | | एकूण | |
| | | Male | स्त्री | Male | Total | Male | स्त्री | Male | Total | Male | स्त्री | Male | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| (अ) मध्यवर्ती कारगह-- | | | | | | | | | | | | | Central Prisons-- |
| 1 अमरावती म. का. | | 1219 | 40 | 1259 | | 1280 | 42 | 1280 | | 1322 | | 1322 | Amravati |
| 2 नागपूर म. का. | | 2230 | 77 | 2307 | | 2342 | 81 | 2342 | | 2423 | | 2423 | Nagpur |
| 3 औरंगाबाद म. का | | 1689 | 66 | 1755 | | 1773 | 69 | 1773 | | 1842 | | 1842 | Aurangabad |
| 4 नाशिकरोड म. का. | | 2843 | 99 | 2941 | | 2985 | 104 | 2985 | | 3088 | | 3088 | Nashikroad |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 5 | कोल्हापूर म. का. | .. | 2199 | 74 | 2274 | 2309 | 78 | 2388 | Kolhapur |
| 6 | येरवडा म. का. | .. | 5492 | 251 | 5743 | 5767 | 264 | 6031 | Yerawada |
| 7 | मुंबई म. का. | .. | 3437 | 0 | 3437 | 3609 | 0 | 3609 | Mumbai |
| 8 | ठाणे म. का. | .. | 3514 | 94 | 3608 | 3690 | 99 | 3789 | Thane |
| 9 | ताळोजा म. का. | .. | 2265 | 0 | 2265 | 2378 | 0 | 2378 | Taloja |
| एकूण | | .. | 24887 | 700 | 25587 | 26132 | 736 | 26868 | Total |
| <i>District Prisons, Class-I</i> | | | | | | | | | |
| (b) जिला कारण्ह, वर्ग-१-- | | | | | | | | | |
| 1 | अकोला जि. का. | .. | 370 | 17 | 387 | 389 | 18 | 406 | Akola |
| 2 | भंडारा जि. का. | .. | 310 | 11 | 321 | 326 | 12 | 338 | Bhandara |
| 3 | चंद्रपूर जि. का. | .. | 532 | 14 | 546 | 559 | 15 | 574 | Chandrapur |
| 4 | यवतमाळ जि. का. | .. | 342 | 9 | 351 | 359 | 9 | 369 | Yavatmal |
| 5 | मोर्शी खुले का. | .. | 165 | 0 | 165 | 173 | 0 | 173 | Morshi Open Prison |
| 6 | वर्धा जि. का. | .. | 329 | 8 | 337 | 345 | 8 | 352 | Wardha |
| 7 | गडचिरोली खुले का. | .. | 68 | 0 | 68 | 71 | 0 | 71 | Gadchiroli Open Prison |
| 8 | धुळे जि. का. | .. | 276 | 19 | 295 | 290 | 20 | 310 | Dhule |
| 9 | लातूर जि. का. | .. | 318 | 17 | 335 | 334 | 18 | 352 | Latur |
| 10 | किशोर सु. नाशिक | .. | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | Borstal School Nashik |
| 11 | पैठण खुले का. | .. | 386 | 0 | 386 | 405 | 0 | 405 | Paitan Open prison |
| 12 | येरवडा खु. का. | .. | 150 | 0 | 150 | 158 | 0 | 158 | Yerwada Open Prison |
| 13 | भायखळा जि. का. | .. | 498 | 0 | 498 | 523 | 0 | 523 | Byculla |
| 14 | कल्याण जि. का. | .. | 1797 | 115 | 1912 | 1887 | 121 | 2008 | Kalyan |
| 15 | रत्नगiri विशेष का. | .. | 155 | 12 | 167 | 163 | 13 | 176 | Ratnagiri S. P. |
| 16 | मुंबई महिला जि. का. | .. | 0 | 382 | 382 | 0 | 401 | 401 | Mumbai D. W. P. |
| एकूण | | .. | 5708 | 603 | 6311 | 5995 | 634 | 6629 | |

तब्ता ३— चालू
TABLE III—Contd.

| अनु- क्रमांक Sr. No. | कारागह 2 | प्रतिवर्षी केती समासी संख्या | | | | | | District Prison, Class-II Buldhana Washim Beed Jalana Jalgaon Nanded Nandurbar Parbhani Osmanabad Ahmednagar Aurangabad Open Prison Satara Sangli Solapur Visapur Open Prison Alibag Sawantwadi Shindhudurg | Prison 2 |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------------|
| | | पुरुष Male 3 | स्त्री Female 4 | एकूण Total 5 | पुरुष Male 6 | स्त्री Female 7 | एकूण Total 8 | | |
| (क) जिला कारागह, वर्ष-२-- | | | | | | | | | |
| 1 | बुलढणा जि. का. | .. | 251 | 12 | 263 | 264 | 13 | 277 | Buldhana |
| 2 | वाशिम जि. का. | .. | 199 | 13 | 211 | 209 | 14 | 222 | Washim |
| 3 | बीड जि. का. | .. | 234 | 14 | 248 | 246 | 15 | 261 | Beed |
| 4 | जालना जि. का. | .. | 197 | 5 | 202 | 207 | 5 | 212 | Jalana |
| 5 | जळगाव जि. का. | .. | 388 | 26 | 414 | 407 | 27 | 434 | Jalgaon |
| 6 | नांदेड जि. का. | .. | 182 | 17 | 199 | 191 | 18 | 209 | Nanded |
| 7 | नंदूबार जि. का. | .. | 190 | 0 | 190 | 199 | 0 | 199 | Nandurbar |
| 8 | परभणी जि. का. | .. | 328 | 16 | 344 | 344 | 17 | 361 | Parbhani |
| 9 | उस्मानाबाद जि. का. | .. | 190 | 18 | 208 | 200 | 19 | 219 | Osmanabad |
| 10 | औरंगाबाद खुले का. | .. | 65 | 0 | 65 | 68 | 0 | 68 | Aurangabad Open Prison |
| 11 | अहमदनगर जि. का. | .. | 163 | 0 | 163 | 171 | 0 | 171 | Ahmednagar |
| 12 | सांगली जि. का. | .. | 250 | 7 | 257 | 262 | 7 | 269 | Sangli |
| 13 | सातारा जि. का. | .. | 233 | 14 | 247 | 245 | 15 | 260 | Satara |
| 14 | सोलापूर जि. का. | .. | 399 | 36 | 434 | 419 | 38 | 456 | Solapur |
| 15 | विसापूर जि. का. | .. | 108 | 0 | 108 | 113 | 0 | 113 | Visapur Open Prison |
| 16 | अलिबाग जि. का. | .. | 123 | 10 | 134 | 129 | 11 | 141 | Alibag |
| 17 | सावंतवाडी जि. का. | .. | 55 | 4 | 58 | 58 | 4 | 63 | Sawantwadi |
| 18 | सिंधुदुर्ग जि. का. | .. | 55 | 0 | 55 | 58 | 0 | 58 | Shindhudurg |
| | एकूण .. | 3608 | 190 | 3798 | 3788 | 201 | 3989 | Total | |

(३) जिल्हा कारगाह वर्ग-३--

District Prison, Class-III

| 1 | अमरावती खुले कारगृह .. | 55 | 0 | 55 | 58 | 0 | 0 | 58 |
|----|----------------------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 2 | नागपूर खुले कारगृह .. | 56 | 0 | 56 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | अकोला महिला खुले कारगृह .. | 0 | 30 | 30 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | नाशिकरोड खुले कारगृह .. | 139 | 0 | 139 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 5 | भुसावळ जि. का. | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | स्वतंत्रपूर खुवा,, आटपाडी | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | कोल्हापुर जि. का. (शहर) | 192 | 10 | 202 | 202 | 11 | 11 | 213 |
| 8 | कोल्हापुर खुले कारगृह .. | 93 | 0 | 93 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 9 | येवडा महिला खुले कारगृह .. | 0 | 33 | 33 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | जे. जे. रुणालय का. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ठाणे खुले कारगृह .. | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | यवतमाळ खुले कारगृह .. | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | वर्धा खुले कारगृह .. | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | धोडे खुले कारगृह .. | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | लातूर खुले कारगृह .. | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | रत्नगिरी खुले कारगृह .. | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | सिंधुदुर्ग खुले कारगृह .. | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | एकूण .. | 705 | 74 | 779 | 743 | 79 | 79 | 822 |

* सन २०२०-२०२१ चे आकडे अंदाजित आहेत. Figures of the years 2020-2021 are estimated figures.

राज्यातील ३३ जिल्हांत (मुंबई जिल्हा सोहऱा) एकूण १६९ दुयम कारगृहे आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार हे दुयम कारगृहाचे अधीक्षक म्हणून काम करतात व न्याचेकर जिल्हांडुणिकरी यांचे नियंत्रण असते.

In 33 Districts (excluding Bombay) there are in all 169 taluka Sub-Jails which are managed by the Tahsildars in the capacity of Superintendent of Sub-Jail under the control of the District Magistrate. Districtwise distribution of Sub-Jail and expenditure incurred are given below :--

तव्हा ४
TABLE IV

| अनु- क्रमांक | जिल्हा | दुयम कारगृहाची संख्या | | | ठेवाण्याची असता | कैदी Average No. of prisoners per day confined | दर दिवाशी कैद्यांची सरासरी संख्या | | | तयार जेवण दिलेल्या कैद्यांची संख्या No. of prisoners to whom cooked food was issued | जेवणाखालचा एकूण खर्च Total expenditure for supply of cooked food | | | दरडाई झालेला खर्च Expenditure per capita 2019-20 2020-21 | District |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------|-------|--|------------|
| | | बंद Closed | चालू Conld | एकूण Total | | | 2019-20 2020-21 (Estimated) | 2019-20 2020-21 | 2019-20 2020-21 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | |
| 1 | नागपूर | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nagpur |
| 2 | अमरावती | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Amravati |
| 3 | अकोला | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Akola |
| 4 | भंडारा | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bhandara |
| 5 | चंद्रपूर | 2 | — | 2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chandrapur |
| 6 | यवतमाळ | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yavatmal |
| 7 | वर्धा | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Wardha |
| 8 | बुलढाणा | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Buldhana |
| 9 | गडचिरोली | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gadchiroli |
| 10 | गोदिया | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gondia |
| 11 | वारिशम | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Washim |
| 12 | पुणे | 2 | 9 | 11 | 108 | 51 | 53 | 9888 | 5688 | 600290 | 211890 | 60.70 | 37.25 | Pune | |
| 13 | कोल्हापूर | 1 | 9 | 10 | 72 | 19 | 9 | 3069 | 1372 | 122537 | 49639 | 39.92 | 36.18 | Kolhapur | |
| 14 | सातारा | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Satara |
| 15 | सांगली | 7 | 3 | 10 | 26 | 1 | 1 | 116 | 164 | 10350 | 17000 | 89 | 90 | Sangli | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|-----|-----|------|-----|-----|--------|--------|----------|----------|--------|-------|------------|
| 16 | सोलापूर | - | 8 | 8 | 230 | 299 | 281 | 114772 | 118776 | 6730685 | 9566652 | 58 | 80 | Solapur |
| 17 | अहमदनगर | - | 12 | 12 | 238 | 404 | 458 | 145828 | 164234 | 19196052 | 21233487 | 1552 | 1511 | Ahmadnagar |
| 18 | नाशिक | 9 | 3 | 12 | 122 | 22 | 26 | 5820 | 6200 | 416000 | 484000 | 1250 | 1490 | Nashik |
| 19 | औरंगाबाद | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aurangabad |
| 20 | धुळे | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dhule |
| 21 | लातूर | - | 2 | 2 | 71 | 19 | 20 | 2171 | 2231 | 227968 | 237600 | 321.64 | 108 | Latur |
| 22 | परभणी | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parbhani |
| 23 | बैड | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beed |
| 24 | नांदेड | 4 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nanded |
| 25 | उसमानाबाद | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Osmanabad |
| 26 | जळगाव | - | 11 | 11 | 142 | 9 | 11 | 1695 | 1208 | 75622 | 59001 | 44.61 | 48.84 | Jalgaon |
| 27 | जालना | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jalna |
| 28 | हिंगोली | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hingoli |
| 29 | नंदुरबार | - | 4 | 4 | 116 | 20 | 24 | 4619 | 5335 | 255688 | 387100 | 55 | 72 | Nandurbar |
| 30 | ठाणे | 2 | 6 | 8 | 37 | 1 | 5 | 1325 | 1545 | 53000 | 69525 | 40 | 45 | Thane |
| 31 | रत्नागिरी | 2 | 5 | 7 | 57 | 0.2 | 0.1 | 78 | 50 | 7980 | 5700 | 102 | 114 | Ratnagiri |
| 32 | सिंधुदुर्ग | 1 | 4 | 5 | 23 | 1 | 1 | 6 | 12 | 150 | 300 | 25 | 150 | Sindhudurg |
| 33 | रायगढ | 4 | 7 | 11 | 107 | 7 | 8 | 11017 | 10990 | 491670 | 482400 | 44 | 43 | Raigad |
| | एकूण .. | 61 | 109 | 172 | 1545 | 822 | 817 | 261097 | 246076 | 14029720 | 14876032 | - | - | Total |

टीप.- अ. क्र. 17, 18, 19, 20 चे आकडे प्रत्यक्ष प्राप्त माहितीवर आधारित असून इतर आकडेवरी गतवर्षांच्या आकडेवरीवर आधारित आहेत.

(२) तुरुंग उद्योग

तुरुंगातील कारखान्यात जे उद्योगधंदे आहेत, त्यापैकी वस्त्रनिर्माण व इतर उद्योग हा प्रशिक्षण व उत्पादन या तत्वानुसार खाली नमूद केलेल्या कारागृहातून चालू आहे. कारागृहात पोलिसांना, रुग्णालयांना लागणारे कापड, टेरिकॉटन कापड, गणवेश कापड, बॅण्डेज क्लॉथ, हनी कोम्ब, टॉबेल्स, नॅपकीन्स, बेडशीट्स, काउंटर पॅन्ट, लूम व पंजा कारपेट, लांग क्लॉथ, कर्टन क्लॉथ, साड्या, ब्लॅकेट वगैरेची निर्मिती केली जाते. उत्पादित होणाऱ्या वस्तूची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शासन निर्णयान्वये उत्पादित वस्तूंवर आरक्षण ठेवले आहे. त्या अनुषंगाने शासकीयनिमशासकीय विभागांनी आरक्षण असल्यामुळे मागणी नॅदविणे आवश्यक आहे. कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्तू ह्या रुग्णालये, पोलीस खाते, समाजकल्याण खाते, वन खाते, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व इतर शासकीय विभाग यांना तसेच नागरिकांना विकल्या जातात.

शासन निर्णय, क्रमांक भाखस-१०८७/(२४४०)/३१२५०/उद्योग-६, दिनांक २६ ऑगस्ट १९८७, २ जानेवारी १९९२ व ७ मार्च २००२ अन्वये सत्तर (७०) वस्तूंचा अंतर्भाव कारागृह निर्मित वस्तूंमध्ये झाला आहे.

- (१) सागवानी लाकडांच्या खिडक्या, दरवाजे वगैरे वस्तू.
- (२) टेरीकॉटच्या बेडशीट व खिडक्या-दरवाजांचे पडदे इत्यादी.
- (३) बॅण्डेज कापड (सेवाभावी महारोगी संस्थांकडून पुरवठा न झाल्यास).
- (४) लोखंडाच्या खिडक्या, दरवाजे व तत्सम वस्तू.
- (५) कार्यालय तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहांसाठी लागणाऱ्या सतरंज्या वगैरे.
- (६) मेणबत्ता.
- (७) होंजिअरीच्या वस्तू.
- (८) कपडे धुण्याची पावडर, वॉशिंग पावडर, डिटर्जंट पावडर आणि केक.
- (९) चर्मांदीग.
- (१०) बेकरी.

शासन निर्णय, क्रमांक भाखस-१०८८/(२५१२)/उद्योग-६, दिनांक २ जानेवारी १९९२ नुसार खालील वस्तूंचा अंतर्भाव कारागृह निर्मित वस्तूंमध्ये झालेला आहे.

- (१) स्टील फोल्डींग कॉट्स् (प्लेन).
- (२) स्टील फोल्डींग कॉट्स् (क्रिकक्रास).
- (३) मॉस्क्युटो नेट्स्.
- (४) बर्क ब्लॅकेट.

शासन निर्णय, क्रमांक भाखस-२००२/(२९७५)/उद्योग-६, दिनांक ७ मार्च २००२ नुसार खालील वस्तूंचा अंतर्भाव कारागृह निर्मित वस्तूंमध्ये झाले आहे.

- (१) पूर्वशालेय संच : (१) क्रेवॉस, (२) भिंती पत्रे/चित्रे इत्यादी.
- (२) कोठी : वेगवेगळे साईजचे.
- (३) डिस्प्ले बोर्ड : वेगवेगळ्या साईजचे.
- (४) क्रीडा साहित्य.
- (५) भांडी : हिंडोलिअम/अॅल्युमिनियम/स्टेनलेस स्टील.

उपरोक्त वस्तू उत्पादन करण्याचे काम कारागृह अंतर्गत तुरुंग उद्योगामध्ये चालू आहे.

कारागृह कारखान्यामधील नेमलेले कैदी व त्यांनी केलेल्या उत्पादनाची विक्री

(Figures in Rupees)

| वर्ष | धंदे शिक्षणासाठी नेमलेल्या कैदीची संख्या | विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न | | | एकूण उत्पन्न (३+४+५) रु. |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| | | उधारीने रु. | रोखीने रु. | बिजकाढ्वारे रु. | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| 2019-2020 | .. | 5,724 | 8,55,25,540 | 6,79,25,320 | 6,45,19,077 |
| 2020-2021 | .. | 4,911 | 67,721,742 | 7,80,35,621 | 5,55,08,242 |
| 2021-2022 (प्रस्तावित) | .. | 5,925 | 6,28,31,067 | 3,70,00,668 | 5,52,73,719 |
| सन २०२०-२०२१ ची माहिती अंदाजित आहेत. | | | | | |

(३) कैद्यांचा आहार

(अ) बंद्यांना न्याहारी देणेबाबत

शासन निर्णय क्रमांक डीएफपी-२००३-प्र.क्र. ८४/पीआरएस-२, दिनांक ११ ऑगस्ट २००४, तसेच गृह विभागाची अधिसूचना दिनांक २४ मे २००५ अन्वये कारागृहातील बंद्यांना दोन जेवणातील अंतर कमी करण्यासाठी रोज सकाळी ०७.१५ ते ०७.४५ या कालावधीत न्याहारी देणेसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या चहाचे आणि न्याहारीचे परिमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तू | प्रत्येक कैद्यास प्रतिदिनी परिमाण |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| (अ) चहा | | |
| १ | साखर | .. २० ग्रॅम |
| २ | चहा पावडर | .. ५ ग्रॅम |
| ३ | दूध | .. ५० मिली |
| (ब) शिरा रविवारी व गुरुवारी | | |
| १ | रवा | .. ६० ग्रॅम |
| २ | गुळ | .. ४० ग्रॅम |
| ३ | बनस्पती तूप | .. २० ग्रॅम |
| (क) उपीट किंवा पोहे | | |
| १ | पोहे | .. ६० ग्रॅम (मंगळवार व शुक्रवार) |
| २ | रवा | .. ६० ग्रॅम (सोमवार, बुधवार, शनिवार) |
| ३ | कांदे | .. १० ग्रॅम |
| ४ | गोडेतेल | .. ५ ग्रॅम |
| ५ | राई (मोहरी) | .. ०.५ ग्रॅम |
| ६ | कोथिबीर | .. १ ग्रॅम |
| ७ | हिरवी मिरची | .. २ ग्रॅम |
| ८ | हळद | .. ०.५ ग्रॅम |
| ९ | मीठ | .. २ ग्रॅम |

इंधन—अ, ब आणि क करिता १२० ग्रॅम लाकूड किंवा २५ मिली डिझेल.

टीप—महाराष्ट्र कारागृह नियमावली, १९७९ मधील प्रकरण क्रमांक २४ क्रमांक ६० मध्ये असलेल्या तरतुदीप्रमाणे सणाकरिता शिरा देण्यात यावा.

(ब) कैद्यांचा आहार

महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २४ मे २००५ च्या अधिसूचनेनुसार स्त्री, पुरुष, भारतीय/परदेशी न्यायाधीन व सिद्धदोष बंद्यांना तसेच मुलांना त्याचप्रमाणे किशोरांना द्यावयाच्या आहाराचे सुधारित प्रमाण निश्चित केले आहे.

आजारी असलेल्या बंद्यांना सुधारित वैद्यकीय आहार दिला जातो. त्यांचे तक्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

आहार क्रमांक १ : स्त्री व पुरुष भारतीय व परदेशी न्यायाधीन व सिद्धदोष बंद्यांना द्यावयाच्या आहाराचे सुधारित प्रमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तू | परिमाण |
|---------|--|---|
| १ | तांदूळ (अ) न्यायाधीन बंदी .. | १५० ग्रॅम |
| | (ब) शिक्षा झालेल्या बंद्यास .. | २०० ग्रॅम |
| २ | गहू किंवा ज्वारी किंवा बाजरी किंवा मिळो पीठ .. | ३०० ग्रॅम पीठ किंवा ५०० ग्रॅम वजनाचा पाव |
| | (अ) न्यायाधीन बंद्यास पुरुष (उपलब्धतेनुसार) .. | १५० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी २५० ग्रॅम वजनाचा पाव |
| | न्यायाधीन महिला बंद्यास .. | ३५० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी ६०० ग्रॅम वजनाचा पाव |
| | शिक्षा झालेल्या बंद्यास .. | २०० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी ३५० ग्रॅम वजनाचा पाव |
| | शिक्षा झालेल्या महिला बंद्यास .. | |
| टीप.— | गहू पीठापासून बनविण्यात येणाऱ्या चपात्या किंवा ब्रेड (याबाबत बंद्यांना विकल्पाप्रमाणे देण्यात यावा). | |
| ३ | कडधान्ये व डाळ .. | १२० ग्रॅम रविवार सोडून |
| ४ | भाजीपाला (तीन दिवस-सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) | |
| | (अ) पालभाजी .. | १०० ग्रॅम |
| | (ब) इतर .. | ५० ग्रॅम |
| | (क) कंदमूळ, भाजीपाला चार दिवस (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार) | |
| | (ड) इतर .. | ५० ग्रॅम |
| | (ई) कंदमूळ .. | १०० ग्रॅम |
| ५ | दूध किंवा दही .. | १०० मिली |
| ६ | बेसन .. | ३० ग्रॅम (फक्त रविवारसाठी) |
| ७ | कांदे .. | ५० ग्रॅम |
| ८ | टोर्मटो .. | १०० ग्रॅम |
| ९ | गोडेतेल .. | २० ग्रॅम |
| १० | मीठ .. | १० ग्रॅम |
| ११ | केळी .. | ..१ नग (१०० ग्रॅम) |
| १२ | ओला मसाला .. | ५ ग्रॅम |
| | हिरवी मिरची .. | २ ग्रॅम |
| | आले .. | १.५ ग्रॅम |
| | कोथिंबीर .. | १ ग्रॅम |
| | कडीपत्ता .. | ०.५ ग्रॅम |
| | | १० ग्रॅम |
| १३ | सुका मसाला .. | ०.२५ ग्रॅम |
| | जिरे .. | ०.२५ ग्रॅम |
| | हिंग .. | ०.२५ ग्रॅम |
| | हळद .. | ०.५० ग्रॅम |
| | लसूण .. | ०.७५ ग्रॅम |
| | धने .. | ०.७५ ग्रॅम |
| | मेथी .. | ०.७५ ग्रॅम |
| | मोहरी .. | ०.७५ ग्रॅम |
| | मिरची .. | ६.०० |
| | | १०.०० |
| १४ | जळण .. | ६८० ग्रॅम लाकूड किंवा १०० मिली डिझेल |

आहार क्रमांक १--चालू

अ. क्र. आहार वस्तु परिमाण

| | | |
|---------------|----|-----------------|
| दंतमंजन | .. | ५० ग्रॅम दरमहा |
| आंघोळीचा साबण | .. | ११३ ग्रॅम दरमहा |

आहार क्रमांक २ : न्यायाधीन व सिद्धदोष बंद्यांना द्यावयाच्या आहाराचा सुधारित तक्ता

अ. क्र. आहार वस्तु

परिमाण

| | | |
|---|-------------|---|
| १ ब्रेड | .. | ११५ ग्रॅम |
| २ गहू किंवा ज्वारी किंवा बाजरी किंवा मिलो पीठ (उपलब्धतेनुसार) | .. | २२५ ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी ४०० ग्रॅम वजनाचा पाव |
| ३ तांदूळ | .. | ८५ ग्रॅम |
| ४ कडधान्ये व डाळ | .. | ११५ ग्रॅम |
| ५ गोडेतेल | .. | २० ग्रॅम |
| ६ चिंच | .. | ५ ग्रॅम |
| ७ भाजी | .. | २२५ ग्रॅम |
| ८ कांदे | .. | १५ ग्रॅम |
| ९ मीठ | .. | १० ग्रॅम |
| १० बटाटे | .. | १७० ग्रॅम (आठवड्यातून तीन वेळा) |
| ११ साखर किंवा गूळ | .. | ४० ग्रॅम (दररोज) |
| १२ लोणी किंवा तूप | .. | १५ ग्रॅम |
| १३ दूध किंवा दही | .. | २२० मिली |
| १४ केळी | १ नग | (१०० ग्रॅम) |
| १५ ओला मसाला | .. | ५ ग्रॅम |
| | हिरवी मिरची | २ ग्रॅम |
| | आले | १.५ ग्रॅम |
| | कोरिंथबीर | १ ग्रॅम |
| | कडीपत्ता | ०.५ ग्रॅम |
| १६ मसाला | .. | १० ग्रॅम |
| | जिरे | ०.२५ ग्रॅम |
| | हिंग | ०.२५ ग्रॅम |
| | हल्द | ०.५० ग्रॅम |
| | लसूण | ०.७५ ग्रॅम |
| | धने | ०.७५ ग्रॅम |
| | मेथी | ०.७५ ग्रॅम |
| | मोहरी | ०.७५ ग्रॅम |
| | मिरची | ६.०० |
| | | १०.०० |
| १७ जळण | .. | ६८० ग्रॅम लाकूड किंवा १०० मिली डिझेल |
| दंतमंजन | .. | ५० ग्रॅम दरमहा |
| आंघोळीचा साबण | .. | ११३ ग्रॅम दरमहा |

आहार क्रमांक ३ : तीन खुले कारागृहातील बंद्यांना द्यावयाच्या आहाराचे सुधारित प्रमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तू | | परिमाण |
|---------|--|------|---|
| १ | तांदूळ | .. | १५० ग्रॅम |
| २ | गहू किंवा ज्वारी किंवा बाजरी किंवा मिलो पीठ | .. | ५५० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी १५० ग्रॅम वजनाचा पाव (उपलब्धतेनुसार) |
| ३ | कडधान्ये व डाळ | .. | १२० ग्रॅम (रविवार सोडून) |
| ४ | भाजीपाला तीन दिवस (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) (अ) पालेभाजी | .. | १०० ग्रॅम |
| | (ब) इतर | .. | ५० ग्रॅम |
| | (क) कंदमूळ, भाजीपाला-चार दिवस (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार) | .. | ५० ग्रॅम |
| | (ड) इतर | .. | १०० ग्रॅम |
| | (ई) कंदमूळ | .. | १०० ग्रॅम |
| ५ | दूध किंवा दही | .. | १०० मिली |
| ६ | बेसन | .. | ३० ग्रॅम (फक्त रविवारसाठी) |
| ७ | कांदे | .. | ५५ ग्रॅम |
| ८ | गोडेतेल | .. | २० ग्रॅम |
| ९ | मीठ | .. | १० ग्रॅम |
| १० | चिंच | .. | ५ ग्रॅम |
| ११ | केळी | १ नग | (१०० ग्रॅम) |
| १२ | ओला मसाला | .. | ५ ग्रॅम |
| | हिरवी मिरची | २ | ग्रॅम |
| | आले | १.५ | ग्रॅम |
| | कोथिबीर | १ | ग्रॅम |
| | कडीपत्ता | ०.५ | ग्रॅम |
| १३ | मसाला | .. | १० ग्रॅम |
| | जिरे | ०.२५ | ग्रॅम |
| | हिंग | ०.२५ | ग्रॅम |
| | हळद | ०.५० | ग्रॅम |
| | लसूण | ०.७५ | ग्रॅम |
| | धने | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मेथी | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मोहरी | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मिरची | ६.०० | |
| | | | १०.०० |
| १४ | जळण | .. | ६८० ग्रॅम लाकूड किंवा १०० मिली डिझेल |
| | दंतमंजन | .. | ५० ग्रॅम दरमहा |
| | आंघोळीचा साबण | .. | ११३ ग्रॅम दरमहा |

आहार क्रमांक ४ : वैद्यकीय आहार व सुधारित प्रमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तु | परिमाण |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| १ | पर्याय-अ | |
| | (अ) दूध .. | १३०० मिली |
| | (ब) साखर .. | २५ ग्रॅम |
| | (क) जळण .. | ४५० ग्रॅम लाकूड किंवा ७० मिली डिझेल |
| २ | पर्याय-ब | |
| | (अ) दूध .. | ८८० मिली |
| | (ब) साबुदाणा .. | ८५ ग्रॅम |
| | (क) साखर .. | ५५ ग्रॅम |
| | (ड) तांदूळ .. | ५५ ग्रॅम |
| | (इ) मीठ .. | ५ ग्रॅम |
| | (फ) जळण .. | ४५० ग्रॅम लाकूड किंवा ७० मिली डिझेल |
| ३ | पर्याय-क | |
| | (अ) साधा आहार (आहार प्रमाण नंबर १) .. | |
| | (ब) दूध .. | २२० मिली |

आहार क्रमांक ५ : गरोदर व स्तनदा महिला यांना द्यावयाच्या आहाराचे सुधारित प्रमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तु | परिमाण |
|---------|---|--|
| १ | तांदूळ .. | १५० ग्रॅम |
| २ | गहू किंवा ज्वारी किंवा बाजरी किंवा मिलो (उपलब्धतेनुसार) .. | १५० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी २५० ग्रॅम वजनाचा पाव (गरोदर स्त्रियांकरिता) २०० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी ३५० ग्रॅम वजनाचा पाव (स्तनदा महिलांकरिता) |
| ३ | कडधान्ये व डाळ .. | १२० ग्रॅम (रविवार सोडून) |
| ४ | भाजीपाला (तीन दिवस-सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) | |
| | (अ) पालेभाजी .. | १०० ग्रॅम |
| | (ब) इतर .. | ५० ग्रॅम |
| | (क) कंदमूळ (भाजीपाला-चार दिवस-मंगळवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार) | ५० ग्रॅम |
| | (ड) इतर .. | १०० ग्रॅम |
| | (इ) कंदमूळ .. | १०० ग्रॅम |
| ५ | बेसन .. | ३० ग्रॅम (फक्त रविवारसाठी) |
| ६ | कांद .. | ५० ग्रॅम |
| ७ | टोमेंटो .. | १०० ग्रॅम |
| ८ | गोडेतेल .. | २० ग्रॅम |
| ९ | मीठ .. | १० ग्रॅम |
| १० | केळी १ नग | (१०० ग्रॅम) |
| ११ | ओला मसाला .. | ५ ग्रॅम |
| | हिरवी मिरची | २ ग्रॅम |
| | आले | १.५ ग्रॅम |
| | कोथिबीर | १ ग्रॅम |
| | कडीपत्ता | ०.५ ग्रॅम |

आहार क्रमांक ५--चालू

| अ. क्र. | आहार वस्तू | | परिमाण |
|---------|---------------|-------|--------------------------------------|
| १२ | सुका मसाला | .. | १० ग्रॅम |
| | जिरे | ०.२५ | ग्रॅम |
| | हिंग | ०.२५ | ग्रॅम |
| | हळद | ०.५० | ग्रॅम |
| | लसूण | ०.७५ | ग्रॅम |
| | धने | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मेथी | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मोहरी | ०.७५ | ग्रॅम |
| | मिरची | ६.०० | |
| | | १०.०० | |
| १३ | शेंगदाणे | .. | ५० ग्रॅम |
| १४ | गूळ | .. | २५ ग्रॅम |
| १५ | दूध | .. | १५० मिली |
| १६ | जळण | .. | ६८० ग्रॅम लाकूड किंवा १०० मिली डिझेल |
| | दंतमंजन | .. | ५० ग्रॅम दरमहा |
| | आंघोळीचा साबण | .. | ११३ ग्रॅम दरमहा |

मुलांसाठी आहारशेणी क्रमांक ६

| अ. क्र. | आहार वस्तू | मूल | | मूल | |
|---------|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ६-१२ महिने (एकक) | १ ते ३ वर्षे (एकक) | ४ ते ६ वर्षे (एकक) | ४ ते ६ वर्षे (एकक) |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | धान्ये किंवा ज्वारी-बाजरी यापासून तयार केलेले लहान मुलांसाठीचे खाद्य (सिरियल्स व मिलेट्स) | .. | ४५ ग्रॅम | ६०-१२० ग्रॅम | १५०-२१० ग्रॅम |
| २ | पल्सेस व डाळी | .. | १५ ग्रॅम | ३० ग्रॅम | ४५ ग्रॅम |
| ३ | दूध | .. | स्तनपान करणाऱ्या मुलांसाठी २०० मिली | ५०० मिली | ५०० मिली |
| ४ | कंदमूळ (रुट्स व ट्युबर्स) | .. | ५० ग्रॅम | ५० ग्रॅम | १०० ग्रॅम |
| ५ | हिरव्या पालेभाज्या | .. | २५ ग्रॅम | ५० ग्रॅम | ५० ग्रॅम |
| ६ | अन्य भाज्या | .. | २५ ग्रॅम | ५० ग्रॅम | ५० ग्रॅम |
| ७ | फळे | .. | १०० ग्रॅम | १०० ग्रॅम | १०० ग्रॅम |
| ८ | साखर | .. | २५ ग्रॅम | २५ ग्रॅम | ३० ग्रॅम |
| ९ | खाद्यतेल | .. | १० ग्रॅम | २० ग्रॅम | २५ ग्रॅम |
| १० | (कडधान्य व डाळीच्या ऐवजी) अंडी / मांस / कॉबडीचे मांस / मासे | .. | ५० ग्रॅम | ५० ग्रॅम | ५० ग्रॅम |

परंतु सहा महिन्यांपेक्षा लहान वयाच्या मुलाला, अंगावरचे दूध उपलब्ध नसल्यास, पाणी न मिसळलेले ६०० मिलीपेक्षा कमी नसेल इतके ताजे दूध दिवसभरासाठी पुरविण्यात येईल.

आहार क्रमांक ७ : किशोर (Borstal Leds) यांना द्यावयाच्या आहाराचे सुधारित प्रमाण

| अ. क्र. | आहार वस्तू | परिमाण |
|----------------|---|--|
| १ | तंदूळ | .. १३० ग्रॅम |
| २ | गहू किंवा ज्वारी किंवा बाजरी किंवा मिलो (उपलब्धतेनुसार) | .. ६०० ग्रॅम पीठ किंवा त्याएवजी १००० ग्रॅम पाव |
| ३ | कडधान्ये व डाळ | .. १०० ग्रॅम |
| ४ | भाजीपाला (तीन दिवस-सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) | |
| | (अ) पालेभाजी | .. १०० ग्रॅम |
| | (ब) इतर | .. ५० ग्रॅम |
| | (क) कंदमूळ (भाजीपाला-चार दिवस-मंगळवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार) | .. ५० ग्रॅम |
| | (ड) इतर | .. १०० ग्रॅम |
| | (इ) कंदमूळ | .. १०० ग्रॅम |
| ५ | बेसन | .. ३० ग्रॅम फक्त रविवारसाठी |
| ६ | गूळ | .. ५५ ग्रॅम |
| ७ | कांदे | .. ५५ ग्रॅम |
| ८ | गोडेतेल | .. ४० ग्रॅम |
| ९ | मीठ | .. १० ग्रॅम |
| १० | केळी | १ नग (१०० ग्रॅम) |
| ११ | ओला मसाला | .. ५ ग्रॅम हिरवी मिरची २ ग्रॅम आले १.५ ग्रॅम कोथिबीर १ ग्रॅम कडीपत्ता ०.५ ग्रॅम .. १० ग्रॅम जिरे ०.२५ ग्रॅम हिंग ०.२५ ग्रॅम हळद ०.५० ग्रॅम लसूण ०.७५ ग्रॅम धने ०.७५ ग्रॅम मेथी ०.७५ ग्रॅम मोहरी ०.७५ ग्रॅम मिरची ६.०० |
| १२ | सुका मसाला | <hr/> .. १०.०० |
| १३ | चिंच | .. ५ ग्रॅम |
| १४ | शेंगदाणे | .. ७५ ग्रॅम |
| १५ | दूध | .. २५० मिली |
| १६ | जळण | .. ६८० ग्रॅम लाकूड किंवा १०० मिली डिझेल |
| १७ | दंतमंजन | .. ५० ग्रॅम |
| १८ | आंघोळीचा साबण | .. ११३ ग्रॅम |

(४) कारागृह उपाहारगृहे

बहुतेक सर्वच कैद्यांना विडी व चहाची सवय असते. त्यांना विडी व चहा मिळाला नाही तर ते अस्वरथ व चिडखोर बनतात असा अनुभव आहे. जर कैद्यांना या वस्तू दिल्या नाहीत तर कैदी या वस्तू मिळविण्यासाठी किरकोळ स्वरूपाचे कारागृहात गुन्हे करतात. या लहान-सहान वस्तू कैद्यांना देण्यात आल्या तर ते समाधानी असतात असाही अनुभव आहे. म्हणून मध्यवर्ती कारागृहे, विशेष कारागृहे व जिल्हा कारागृहे वर्ग-१ येथे कैद्यांसाठी स्वयंनिवार्ही तत्त्वावर उपाहारगृहे चालविली जातात. चांगली वर्तणूक असलेल्या आणि तीन महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या, तसेच पहिले तीन महिने शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांनाच उपाहारगृहाकडील सवलती मिळू शकतात. उपाहारगृहात निरनिराळ्या प्रकारच्या खाद्य वस्तू बेकरी आर्टिकल बंद पॅकेट फरसाण वगैरे वस्तू कैद्यांच्या मागणीनुसार दिल्या जातात. तंबाखू, विडी, साबण इत्यादी वस्तू कारागृह उपाहारगृहात विक्रीसाठी ठेवल्या जातात. बहुतेक कैदी मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहाकडे उपाहारगृहाचा प्रतिदिनी फायदा घेतात. उपाहारगृहात निरनिराळे पदार्थ कैदी तयार करतात. या कामासाठी त्यांना मजुरी दिली जाते. शिवाय चहा स्वयंपाक गृहातून दिला जातो. उपहारगृहातून चहा तयार करतात तो कैद्यांना विकत दिला जातो.

(५) कैद्यांचे कपडे आणि बिस्तरे

कैद्यांचे कपडे आणि बिस्तरा साहित्य कारागृहातील उद्योग विभागात तयार केले जातात. कारागृह महानिरीक्षकांच्या मंजुरीशिवाय कपड्यांची अथवा बिस्तरा साहित्यांची खरेदी स्थानिक बाजारपेठेतून कारागृह प्राधिकारी वर्गाला करता येत नाही. अशा खरेदीस विशिष्ट परिस्थितीतच परवानगी देण्यात येते. सिद्धदोष कैद्यांना खाली नमूद केल्याप्रमाणे कपडे, बिस्तरा साहित्य व गरजेच्या वस्तू देण्यात येतात. यातील बहुतेक वस्तू कारागृह उद्योगात तयार झालेल्या असतात.

परिशिष्ट

| अनु- क्रमांक | वस्तू | पुरुष | स्त्री |
|-----------------|---|-------|--------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | सुती आणि लोकरीची चादर (२.१३ मीटर × १.२१९ मीटर हवामानानुसार) | .. | १ |
| २ | सुती चादर | .. | १ |
| ३ | सतरंजी (१.८२९ मीटर × ६०.९६ सेंटीमीटर) | .. | १ |
| ४ | सुती सदरा | .. | २ |
| ५ | सुती व लोकरी जॅकेट (थंडीत) | .. | १ |
| ६ | विजारी (१ विजार आणि १ छोटी विजार) | .. | २ |
| ७ | लंगोट | .. | १ |
| ८ | टोपी | .. | १ |
| ९ | साड्या (५.४८६ × १०६.६८) | .. | २ |
| १० | डायपर | .. | ८ |
| ११ | उशी | .. | १ |
| १२ | उशीचे अप्पे | .. | १ |
| १३ | अॅल्युमिनियमचा मग | .. | १ |
| १४ | अॅल्युमिनियमची थाळी | .. | १ |
| १५ | अॅल्युमिनियमचा कटोरा (ए ५३५ हेक्टोग्रॅम) | .. | १ |
| १६ | बॉडी तिकीट | .. | १ |

(६) कारागृह रुग्णालये

प्रत्येक मध्यवर्तीजिल्हा व विशेष कारागृहांमध्ये एक रुग्णालय आहे. ते वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे (म्हणजे निवासी वैद्यकीय अधिकारी अथवा शाळ्यचिकित्सक) व्यवस्थापनेखाली आहे. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक शासनातर्फे केली जाते. निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे मदतीस एम.एम.एस. अधिकारी, वर्ग-३, मिश्रक व नर्सिंग ऑर्डलीं असतात. मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयाचे आवारात एक कारागृह रुग्णालय १८९४ चे तुरंग कायद्याच्या कलम ३ (१) अन्वये दिनांक १ डिसेंबर १९७७ पासून सुरु करण्यात आलेले आहे.

२. मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असणारे परंतु मनोरुग्णालयात दाखल करण्याइतपत मानसिक दुर्बलता नसणाऱ्या कैद्यांना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील रुग्णालयात उपचारासाठी एकत्र ठेवले जाते. नागपूर येथील रुग्णालयाचे उपअधीक्षक हे आठवड्यातून दोन वेळा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहास भेट देऊन रुग्णांची तपासणी करतात. तातडीची शस्त्रक्रिया अथवा वैद्यकीय सेवा कारागृहातील रुग्णालयात उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्यास असे रुग्ण नागरी रुग्णालयाकडे उपचारासाठी पाठविले जातात व त्याप्रमाणे कारागृह महानिरीक्षक यांना कळविण्यात येते.

३. एकूण ३९ ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी पदे मंजूर आहेत. इतर कारागृहात स्थानिक सामान्य रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी (क्लिंटिंग मेडिकल ऑफिसर) भेट देऊन रुग्ण बंद्यांची तपासणी करतात. कारण तेथील आजारी कैद्यांना तत्काळ औषधोपचारासाठी त्या ठिकाणी स्वतंत्र अशी रुग्णालये नाहीत.

४. अशा सेवा सन २०१४-२०१५ मध्येही चालू आहेत.

कारागृह दवाखाने व रुग्णालय यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

तक्ता ५ TABLE V

कारागृह आरोग्य सेवा

| वर्ष | आरोग्य विभागात कार्य करणारे कर्मचारी | | | | | | अधिकृत बिभाऱ्यांची संख्या | |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| | वैद्यकीय अधिकारी | | | शुश्रूषा ओषध मिश्रक | तांत्रिक कर्मचारी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | | | |
| | वर्ग-१ (अ) | वर्ग-२ (ब) | वर्ग-३ (क) | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | |
| २०१९-२०२० | ६ | १० | २० | ३४ | ५ | ५ | ४१८ | |
| २०२०-२०२१ | ६ | ११ | २० | ३४ | ५ | ५ | ४१८ | |
| २०२१-२०२२ | ४ | १३ | १८ | ३३ | ५ | ५ | ४१८ | |

(७) कारागृह कृषी विभाग

जवळपास सर्वच कारागृहांकडे स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनी असून त्यांचा उपयोग मुख्यत: कैद्यांसाठी लागणाऱ्या निरनिराळ्या भाजीपाल्यांचे उत्पादन करण्यासाठी केला जातो. प्रत्येक हंगामात शेती मशागतीच्या कामावर कारागृहाकडील शेती कर्मचारी देखरेख करतात आणि शेतावर काम करण्याचा बंद्यांमार्फत शेतीची कामे केली जातात. बंद्यांना शासकीय नियामानुसार मजुरी दिली जाते. कारागृहात तयार होणारे शेती उत्पादन जर जास्त प्रमाणात असेल तर ते इतर कारागृहांकडे पाठविले जाते.

कारागृह शेतीसाठी निरनिराळी साधनसामग्री आहे. शेती मशागतीसाठी ४१ ट्रॅक्टर, २७० बैल, भाजीपाला व अन्नधान्य बाहतुकीसाठी, शेती पाणीपुरवठ्यासाठी १२९ विद्युत मोटारी व १५ ऑर्डल इंजिन्स आहेत. पीक संरक्षणासाठी स्प्रे पंप, डस्टर पंप व इतर अवजारे आहेत. कारागृहाकडील लागवडीखालील क्षेत्र पुढे नमूद केलेप्रमाणे आहे.

कारागृह कृषी विभाग

| वर्ष | एकूण उपलब्ध कृषी क्षेत्र | एकूण लागवडीखालील कृषी क्षेत्र | एकूण लागवडीखालील नसलेले क्षेत्र | एकूण खर्च | एकूण उत्पादन | एकूण उत्पादन सरासरी दर हेक्टरी |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | हे. आर. | हे. आर. | हे. आर. | (रुपये) | (रुपये) | |
| २०१९-२०२० | .. | ५९६.५९ | ३३०.८८ | ८३.०६ | २३०९५१६२ | ४००३८८०४ |
| २०२०-२०२१ | .. | ५९६.५९ | ३३०.८८ | ८३.०६ | २५४०४६७८ | ४४०४२६८४ |
| २०२१-२०२२ | .. | ५९६.५९ | ३३०.८८ | ८३.०६ | २७९४४५१४५ | ४८४४६९५२ |

सन २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ चे एकूण खर्च व एकूण उत्पादन चे आकडे अंदाजित आहेत.

खुली कारागृह : खुल्या कारागृहाकडील बंद्यांची अतिशय काटेकोरपणे निवड केली जाते. त्याकरिता कारागृह अधीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची एक समिती नेमली आहे व ती समिती त्या बंद्यांची निवड करते. खुल्या कारागृहात निवड करण्यासाठी बंद्यांचे अभिलेख चांगले असणे आवश्यक आहे व बंद्यांची कोणतेही काम करण्याची तयारी असावी लागते.

महाराष्ट्रामध्ये सन १९५६ मध्ये येरवडा, पुणे, सन १९६८ मध्ये पैठण येथे खुले कारागृह या ठिकाणी व सन २००८ मध्ये मोर्शी येथे खुले कारागृह सुरु करण्यात आले आहे. सन २०१४-१५ मध्ये कोल्हापूर, नाशिक रोड, नागपूर, अमरावती, विसापूर खुले कारागृह सुरु करण्यात आले. सन २०१५-२०१६ गडचिरोली व सन २०१७-१८ मध्ये यवतमाळ, लातूर, थुळे, रत्नागिरी, वर्धा येथे खुले कारागृह सुरु करण्यात आले. खुल्या कारागृहात मिळालेली माफी विचारात घेऊन बंद्यांची सुटण्याची तारीख निश्चित केली जाते. खुल्या कारागृहातील बंद्यांकडून शेतीची कामे करून घेतली जातात.

खुल्या वसाहती : बंद्यांचा सामाजिक व व्यावहारिक दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून पुनर्वसनाचे उद्देशाने जन्मठेपीची व दीर्घ मुदतीची शिक्षा झालेल्या बंद्यांना बंद कारागृहातील विविध योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर शासनाने निवड केलेल्या बंद्यांना खुल्या वसाहतीत पाठविण्यात येते. त्याठिकाणी त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत राहता येते. त्याठिकाणी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना काम दिले जाते. त्या बदल्यात त्यांना मजुरी दिली जाते. बंद्यांच्या जीवनामध्ये सुधारणा होण्यासाठी सन १९३९ मध्ये स्वतंत्रपूर खुली वसाहत ही संस्था आटपाडी येथे सुरु करण्यात आली.

भाजीपाला व अन्नधान्य उत्पादन : शेतीमध्ये बंद्यांना काम दिल्यामुळे त्यापासून बंद्यांना दैनंदिनी लागणारे अन्नधान्य व भाजीपाला उत्पादन मिळते. बंद्यांच्या आहारामध्ये लागणारे भाजीपाला उत्पादन शेतीमधूनच मिळत असल्याने शासनाची मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत होते. शेतीबाबतचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे कारागृहातून बंद्यांची मुक्तता झाल्यानंतर तो स्वतःचे शेतात निरनिराळ्या योजना राबवू शकेल.

ऊस लागवड : राज्यातील काही मोजक्या कारागृहात उसाचे पीक घेतले जाते. सदरचा ऊस कारखान्यास ऊस गळीतास पाठविला जातो.

वनीकरण : कारागृहाचे शेती प्रक्षेत्रावर व पडीक जमिनीवर जवळपास ८६,१५ विविध फळे व इतर जातीची झाडे आणि ३६,६७७ सागवानाची झाडे आहेत. यामुळे काही वर्षांनंतर कारागृहाचे उत्पादनात मोठी भर पडणार आहे.

गांडूळ खत प्रकल्प : कारागृहाने गांडूळ खत प्रकल्प हाती घेतल्यापासून रासायनिक खत खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. कारागृह शेतीमध्ये दरवर्षी वेगवेगळी पिके घेतल्यामुळे जमिनीचा कस नाहीसा झाल्याने या खतामुळे जमिनीचा कस व पोत सुधारणार असून सुपीकता वाढणार आहे. शेतजमीन असणाऱ्या जवळजवळ सर्वच कारागृहांकडे हा प्रकल्प राबविला आहे.

मत्स्यपालन : कोणत्याही प्रकारे भांडवली गुंतवणूक न करता ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, भंडारा जिल्हा, येरवडा, अमरावती कारागृह, वर्धा जिल्हा कारागृह व बुलढाणा जिल्हा कारागृह याठिकाणी मत्स्यपालन प्रकल्प कार्यान्वित आहे. त्यामध्ये राहू, मरळ व कटला या माशांची बोटुकली टाकून वाढ करण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.

शेळीपालन प्रकल्प : स्वतंत्रपूर खुली वसाहत, आटपाडी (सांगली) येथे सन २००७-२००८ मध्ये शेळीपालन प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे. सन २०१४-१५ पासून येरवडा खुले कारागृह येथे व सन २०१५-१६ पासून विसापूर, पैठण, नाशिकरोड येथे तर सन २०१८-१९ मध्ये अमरावती, भंडारा येथेही शेळीपालन सुरु केले आहे.

रोपवटिका व फुलशेती : राज्यातील कारागृहात फुलशेती व रोपवटिका प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यापासून महसूल प्राप्त होत आहे. तसेच बंद्यांना रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे पुनर्वसन होण्यास मदत होणार आहे.

कुकुटपालन : येरवडा व विसापूर खुले कारागृह येथे मांसळ व अंड्यावरील कोंबड्यांचे उत्पादन सुरु केले आहे.

कारागृहातून सुटल्यानंतर बंद्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यात स्वतःच्या व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. मुक्तता झाल्यानंतर तो स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकेल. यातून कारागृहाची सुधारणा व पुनर्वसनाचा उद्देश साध्य होतो.

(c) येरवडा येथील खुले कारागृह शेती व कारागृह उद्योग

(अ) ही संस्था १९८५ मध्ये सुरु केली. या संस्थेभोवती भिंती नाहीत.

(ब) खुल्या कारागृहांकरिता कैद्यांची अतिशय काटेकोर पद्धतीने निवड केली जाते. बंद कारागृहातील कैद्यांची वागणूक संशयातीत असावी लागते व त्यांना कारागृहात कोणतीही शिक्षा झालेली असता कामा नये. ते प्रामाणिक असावे लागतात व कारागृह शेतात कोणतीही कठीण काम करण्याची त्यांची तयारी असावी लागते. कारागृहातील त्यांच्यासंबंधीचे अभिलेख चांगले असले पाहिजेत.

(क) शेतीकाम व शैक्षणिक कार्यक्रमास येथे प्राधान्य दिले जाते व शिस्तीला फार महत्त्व दिले जाते.

(ड) या संस्थेत सन १९८८ साली यंत्रमाग बसविण्यात आले असून संध्या ५२ यंत्रमाग आहेत. बंद्यांची अधिकृत संख्या १७२ असून १५५ सरासरी बंदी संस्थेत आहेत.

(ई) येरवडा येथील महिला कारागृहासमोर रोपवाटिकेसाठी शेड तयार करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर हरितगृह (Green House) सुरु करण्याचे धोरण अंगीकारले असल्याने महाराष्ट्रात प्रथम सदरहू हरितगृहामध्ये फळझाडांची व फुलझाडांची रोपे तयार करून विक्री केली जाते. टिश्यु केळी लागवड, महाबीजमार्फत बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतला जातो.

कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण – वार्षिक योजना

कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाकडून योजनांतर्गत योजना (प्लॅन) दरवर्षी अनुदान उपलब्ध होते. सन २०२०-२०२१ या वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या रुपये १४.४४ लाख अनुदानातून शेतीसाठी अवजारे खरेदी करणे इत्यादी कामे प्रस्तावित केली आहेत.

१३ वी पंचवार्षिक योजना.—कारागृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या तेराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये २.३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असून दरवर्षीची तरतूद रुपये ४५.२८ लाख इतकी आहे. त्यांमध्ये ट्रॅक्टर व अवजारे खरेदी करणे, नवीन विहिरी खोदणे, जुन्या विहिरी दुरुस्ती, बोअरवेल घेणे व त्यावर सबर्मसिबल पंप बसविणे, शेती क्षेत्राभोवती तारेचे कुंपण करणे, पाईप लाईन करणे, विद्युत मोटारी खरेदी करणे, बैलगोठा बांधणे, या बार्बीचा समावेश केला आहे. ट्रॅक्टरमुळे जमिनीची मशागत चांगली व वेळेवर होणार आहे. सबर्मसिबल पंप व पाईप लाईनमुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होणार आहे.

औषधी व सुगंधी वनस्पतीची लागवड

राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांचेकडून केंद्र पुरस्कृत १०० टक्के योजनेअंतर्गत सीता अशोक व चंदन या औषधी व सुगंधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी अनुदान उपलब्ध झालेले आहे. या वनस्पतीची लागवड केल्याने भविष्यात कारागृहाचे उत्पादनात वाढ होणार आहे. तसेच सीता अशोक व चंदनाची लागवड कारागृह विभागाकडील एक एकमेव अभिनव प्रयोग आहे.

| अ. क्र. | कारागृहाचे नाव | लागवड | क्षेत्र | मंजूर | प्राप्त | शेरा |
|---------|-----------------------------|-----------|------------------|-------|---------|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | येरवडा खुले जिल्हा कारागृह. | सीता अशोक | वनस्पती (हेक्टर) | १७.०० | १७.०० | संध्या २४० झाडे वाढीच्या अवस्थेत आहेत. |
| २ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह. | चंदन | | १२.०० | १०.०० | ८.०० संध्या १२६९ झाडे वाढीच्या अवस्थेत आहेत. |
| ३ | राज्यातील इतर १० कारागृहे | चंदन | | २५.०० | ४५.०० | ११.२८ संध्या २९५६ झाडे वाढीच्या अवस्थेत आहेत. |
| एकूण .. | | | | ५४.०० | ७२.०० | ४४.२८ |

कारागृहात बंद्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यात स्वतःच्या व कुंडबाच्या उदरनिर्बाहासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. मुक्तता झाल्यानंतर तो स्वतःचा उदरनिर्बाह करू शकेल यातून कारागृहाची सुधारणा व पुनर्वसनाचा उद्देश साध्य होतो.

(९) विविध कारागृहात विक्री केंद्र उभारण्यात आले आहेत. उदा. मध्यवर्ती कारागृह येरवडा, ठाणे, नाशिकरोड, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद इत्यादी.

कारागृह उत्पादित मालांची इतर नागरिकांना माहिती व्हावी व सदरहू कारागृह उत्पादित माल खरेदी करणे सोयीचे व्हावे म्हणून येरवडा कारागृहासमोर हमरस्त्यावर कारागृह उत्पादित मालाचे विक्री भवन उभारण्यात आले आहे.

सदरहू विक्री केंद्रातून कैद्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तूचा अद्यावत साठा विक्रीस उपलब्ध केला जातो. ह्यात त्यांनी उत्पादन केलेल्या सतरंज्या, लाकडी फर्निचर, चामड्यांच्या वस्तू तसेच बेकरीतील उत्पादन केलेले खाद्यपदार्थ वस्तू केक, खारी, बटर, बिस्कीटे त्यांचा समावेश आहे. सदरहू वस्तू रोखीने विक्रीस उपलब्ध आहेत. त्यांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येतो.

कारागृहाच्या उत्पादनात वाढ होण्यास ह्या विक्री केंद्राचा मोठा वाटा आहे. सदरहू विक्री केंद्रासाठी स्वतंत्र कारागृह कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

(ब) नागपूर मध्यवर्ती कारागृह --- विक्री भवन

कारागृहातून बंदी सुटल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन व्हावे या दृष्टीने अनेक उद्योग कारागृहात विकसित करून पुनर्वसनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. बंद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूचे बाहेरील जनतेत नेहमी कुठूहल असते. तसेच बंद्यांबद्दलचा त्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो व खन्या अर्थाने त्यांचे पुनर्वसन तसेच कारागृह निर्मित वस्तूची माहिती जनतेला व्हावी व पर्यायाने कारागृह उत्पादनानाही विक्रीच्या दृष्टीने उठाव व्हावा यासाठी विक्री केंद्राची उभारणी केली आहे. या विक्री केंद्रात खालील उद्योगातील वस्तू ठेवल्या जातात.

(१) वस्त्रोद्योग, (२) सुतारकाम, (३) बेकरी, (४) लोहारकाम, (५) शिवणकाम, (६) चर्मकला, (७) पेपर कारखाना.

(१०) सर्विंहस सेंटर, कार वॉशिंग, धोबीकाम

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाजवळ १९९६-९७ मध्ये स्वयंचलित वाहनांसाठी सर्विंहस सेंटर सुरु करण्यात आले आहे व याच आधारे नागपूर मध्यवर्ती कारागृह व औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे स्वयंचलित वाहनांसाठी सर्विंहस सेंटर सुरु करण्यात आले आहे.

सदरहू सर्विंहस सेंटरमध्ये सर्व प्रकारची वाहने, मोटारी, मोटार सायकली, स्कूटर इत्यादीचे ऑर्डरिंग, ग्रीसिंग करण्याची सेवा अतिशय कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या शिवाय कारागृहात धोबीकामाची सेवा जनतेस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सदरहू कामे तांत्रिक पार्श्वभूमी असलेल्या कैद्यांकडून केली जातात. त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष धंदेशिक्षणाचा फायदा व रोजगारही उपलब्ध होत आहे. मुक्ततेनंतर स्वतंत्र व्यवसाय व पुनर्वसनाच्या दृष्टीने याचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल. सदरहू सेवा कमी दराने उपलब्ध करून दिल्यामुळे जनतेला सेवा उपलब्ध होत असून त्याच्याबरोबर शासनाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. तसेच लवकरच पेट्रोलपंप / सीएनजी पंप उभारणे प्रस्तावित आहे.

(११) खुली कारागृहे व खुल्या वसाहती

सध्याच्या काळानुसार सर्वसाधारणपणे सुधार प्रशासनाचा व मुख्यत्वेकरून कारागृह पद्धतीचा मुख्य हेतू हा आहे की, कारागृहातून सुटणारे कैदी हे शिस्तबद्ध नागरिक म्हणून बाहेर पडावेत व त्यांचा समाजास उपयोग व्हावा. सर्व गुन्हेगारांच्या वागणुकीमध्येसुद्धा मानवी वागणुकीचा अंश असतो. या वाढत्या जाणीवेतून जगातील समाजशास्त्रज्ञांनी जाणले आहे की, गुन्हेगारांच्या समस्यांची उकल कारागृहाच्या भिंतीआड होत नाही. विविध श्रेणीच्या कोठांच्या खुल्या कारागृहांची वाढ, विविध कार्यक्रम व शिस्तीवर भर हे गुन्हे व गुन्हेगारीच्या इतर प्रश्नांवर एक नवे उत्तर आहे.

खुले कारागृह, पैठण

सन १९६८ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पैठण येथे खुले जिल्हा कारागृह सुरु केले आहे. जे कैदी प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने कारागृहात काम करतात व ज्यांची वर्तणूक चांगली आहे अशा कैद्यांची या कारागृहासाठी महाराष्ट्र कारागृह नियमाबली, १९७९ मधील तरतुदीनुसार निवड केली जाते. याकरिता कारागृह अधीक्षक व उपमहानिरीक्षक यांची एक समिती नेमली आहे व ती या कैद्यांची निवड करते. येथील कैद्यांना शेतमळ्यावर काम दिले जाते. सुधारित शेती करण्याचे शिक्षण दिले जाते. कारागृहातून सुटल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व समाजाचा उत्तम उपयुक्त नागरिक म्हणून राहण्यास या शिक्षणाचा उपयोग होतो. तसेच वस्त्रोद्योगाचा नवीन विभाग सुरु केला आहे. या कारागृहाची क्षमता ५०० बंदी ठेवण्याची आहे व सध्या सरासरी ४८० बंदी आहेत. तसेच सन २०१३ मध्ये विसापूर, नाशिकरोड, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर येथे खुले कारागृह सुरु करण्यात आले आहे. सन २०१५ मध्ये ठाणे येथे खुले कारागृह कार्यान्वित करण्यात आले आहे व अकोला येथे महिलांसाठी खुले कारागृह सुरु करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

सन २०१७-१८ मध्ये यवतमाळ, लातूर, धुळे, रत्नागिरी, वर्धा कारागृहात प्रत्येकी १५ बंदी क्षमतेचे खुले कारागृह सुरु करण्यात आले आहे.

खुले कारागृहातील बंद्यांकरिता सर्वसाधारण माफीचा तपशील

| अनु- क्रमांक | कैद्यांची वर्गवारी | माफीचे प्रमाण |
|-----------------|--|------------------|
| १ | २ | ३ |
| १ | जन्मठेपेची शिक्षा झालेले व १४ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या बंद्यांना | .. ३० दिवस दरमहा |
| २ | ५ वर्षांपासून १४ वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या बंद्यांना | .. २० दिवस दरमहा |
| ३ | १ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या बंद्यांना | .. १५ दिवस दरमहा |

खुल्या कारागृहात मिळालेली माफी विचारात घेऊन कैद्यांची सुटण्याची तारीख निश्चित केली जाते.

भारतातीलच नव्हे तर जगातील पहिले महिला खुले कारागृह दिनांक १४ मार्च २०१० रोजी येरवडा, पुणे येथे सुरु करण्यात आले असून राज्यातील कारागृहातील ५० इच्छुक महिला बंद्यांची निवड करून त्यांना येरवडा येथे वर्ग करण्यात आले आहे. सदर महिला बंदी कारागृहाच्या शेती विभागात काम करतात, तसेच सदर महिला बंद्यांना कारागृहातून मुक्त झाल्यानंतर कारागृहाबाहेर अर्थार्जनाचे साधन म्हणून कारागृह प्रशासन व अशासकीय संस्थेद्वारे लघुउद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाते असते. त्यामध्ये पापड बनविणे, खडू व मेणबन्त्या इत्यादी उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच सन २०१५ मध्ये अकोला येथे महिला बंद्यांसाठी दुसरे कारागृह ५० क्षमतेचे चालू करण्यात आले आहे.

कैद्यांचे सामाजिक व व्यावहारिक पुनर्बसनाचे उराशी बाळगलेल्या ध्येयाकडे पुढचे पाऊल टाकण्याच्या उद्देशाने, जन्मठेपेची वा दीर्घ मुदतीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना बंद कारागृहातील व खुले कारागृहातील विविध कार्यक्रमाचा कमाल लाभ घेतल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेत शासनाकडून स्थगिती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना या वसाहतीत राहू दिले जाते. या वसाहतीत त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी आणता येते. कैद्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना काम दिले जाते व त्यांना चालू बाजारभावाने मजुरी दिली जाते. प्रशासनामध्ये ठोस सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्रपूर वसाहत, आटपाडी येथे संस्था १९३९ मध्ये सुरु करण्यात आली. आटपाडी येथे २८ बंदी ठेवण्याची सोय असून सन २०१९-२०२० मध्ये २ बंदी होते.

(१२) कारागृहांच्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण व प्रशिक्षण

१. तुरंग प्रशिक्षण कर्मचारी शाळा ही संस्था येरवडा येथे सन १९५५ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. या संस्थेमध्ये तुरंगाधिकारी व रक्षक यांना सर्व क्षेत्रावरील सुधार प्रशासनाचे व्यावहारिक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण शास्त्रीय पायावर देण्यात येते.

२. या शाळेचे प्रमुख प्राचार्य असतात व त्यांची नेमणूक मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांमधून केली जाते व त्यांचे मदतीस तुरंगाधिकारी निर्देशक व इतर निर्देशक व लिपिक असतात. पुणे विश्वविद्यालय व समाजशास्त्र संस्था, मुंबई यांचेकडील कायदा, सार्वजनिक प्रशासन, समाजशास्त्र व गुन्हेगारीशास्त्र इत्यादी विषयांवर तज्ज्ञांची व्याख्याने ठेवली जातात. कारागृह महानिरीक्षक यांचे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची तुरंगहिशेब व अंदाजपत्रके या विषयांबाबत व्याख्याने ठेवली जातात.

३. अधिकाऱ्यांच्या शिक्षणक्रमाची मुदत एक वर्षांची असते. वरील मुदतीत गुन्हेगारीशास्त्र व इतर समाजशास्त्रावर पुरेसे ज्ञान प्राप्त होते. शिवाय तुरंग प्रशासनाचा प्रत्यक्ष अनुभवही घेता येतो. कारागृह प्रशासनाच्या प्रत्येक शाखेच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर भर दिला जातो. अधिकारी प्रशिक्षणार्थीना सुधार प्रशासनाच्या अभ्यासासाठी इतर राज्यात अभ्यास दौऱ्यावर पाठविले जाते व त्यांना उजळणी पाठ्यक्रम ३ वर्षांनी एकदा २ महिने कालावधीचा दिला जातो.

४. नवीन भरती केलेल्या जेल रक्षकांना या संस्थेत ५ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच ५ वर्षांनी एकदा २ महिने कालावधीचा उजळणी पाठ्यक्रम दिला जातो.

५. प्रशिक्षण शाळेत १० अधिकारी व ८० रक्षक यांना दरवर्षी प्रशिक्षण दिले जाते.

६. त्याचबरोबर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क अधिकारी यांना त्यांच्या विनंतीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येते.

(१३) किशोर सुधारालय, नाशिक

मुंबई किशोर शाळा कायदा, १९२९, ४ (१) अन्याये किशोर सुधारालय, नाशिक येथे कार्यरत आहे. येथे १०५ किशोरांना ठेवण्याची सोय उपलब्ध आहे. या शाळेमध्ये १६ ते २१ वयोगटातील किशोर गुन्हेगारांना सदर कायद्याच्या कलम ६ प्रमाणे दाखल करण्यात येते. या शाळेत किशोरांना औद्योगिक शिक्षण देण्याची व सुधारणा उपचार करण्याची व्यवस्था केली जाते. सन २०१९-२०२० मध्ये ७ किशोर होते.

तक्ता ६ TABLE VI

(४) कर्मचारीविषयक गोषवारा (विभागीय)

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम Designation | विद्यमान वेतन संरचना Pay Structure | | सुधारित वेतन मैट्रिक्समधील वेतन स्तर Pay level in Revised Pay Matrix | | पदाची संख्या 2019-20 2020-21 | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|
| | | वेतनबँड Pay Band | ग्रेड वेतन Grade Pay | ५ | ६ | ७ | |
| १ | २ | ३ | ४ | | | | |
| राजपत्रित | | | | | | | |
| १ | अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक | .. | | संवर्ग पद | | | |
| २ | कारागृह उपमहानिरीक्षक | ३७४००-६७००० | ८९०० | एस-२९ : | १३११००-२१६६०० | ५ | ५ |
| ३ | अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, वर्ग-१ | १५६००-३९१०० | ७६०० | एस-२५ : | ७८८००-२०९२०० | १० | १० |
| ४ | मानसशास्त्रज्ञ | १५६००-३९१०० | ६६०० | एस-२३ : | ६७७००-२०८७०० | ५ | ५ |
| ५ | मनोविज्ञती शास्त्रज्ञ | १५६००-३९१०० | ६६०० | एस-२३ : | ६७७००-२०८७०० | ३ | ३ |
| ६ | अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ | १५६००-३९१०० | ६६०० | एस-२३ : | ६७७००-२०८७०० | २४ | २९ |
| ७ | पोलीस उपअधीक्षक | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | १ |
| ८ | संशोधन अधिकारी | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | १ |
| ९ | उपअभियंता | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | १ |
| १० | वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | १ |
| ११ | अधीक्षक, तुरंग उद्योग | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | १ |
| १२ | प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२० : | ५६९००-१७७५०० | १ | ४ |
| १३ | विधी अधिकारी | ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : | ४४९००-१४२४०० | १ | १ |
| १४ | उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह | ९३००-३४८०० | ५००० | एस-१८ : | ४९१००-१५५८०० | ३५ | ४० |
| १५ | वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-१ | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | २० | २१ |
| १६ | तांत्रिक अधिकारी, शेती | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| १७ | लेखा अधिकारी | ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६ : | ४४९००-१४२४०० | १ | १ |
| १८ | सांख्यिकी अधिकारी | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| १९ | अधीक्षक, कारागृह वस्त्र उद्योग | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| २० | स्वीय सहायक/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी. | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | १६ | २१ |
| २१ | पोलीस निरीक्षक | ९३००-३४८०० | ५००० | एस-१८ : | ४९१००-१५५८०० | १ | १ |
| २२ | स्वीय सहायक (लघुलेखक संवर्ग) | ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : | ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| एकूण .. | | | | | | १३२ | १५१ |

तक्ता ६--चालू TABLE VI--contd.

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---------------------|---|---------------|------|----------------------|-----|-----|
| अराजपत्रित.— | | | | | | |
| १ | वैद्यकीय अधिकारी, श्रेणी-३ | .. ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४९८००-१३२३०० | १७ | १९ |
| २ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | .. ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| ३ | तुरंगाधिकारी, श्रेणी-१ | .. ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४९८००-१३२३०० | १४ | १०६ |
| ४ | पोलीस उपनिरीक्षक | .. ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | ६ | ६ |
| ५ | वस्त्रनिर्माण कार्यदेशक/फोरमन | .. ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | ७ | ७ |
| ६ | कार्यालयीन अधीक्षक | .. ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | २९ | ३५ |
| ७ | सहायक लेखा अधिकारी | .. ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५ : ४९८००-१३२३०० | १ | १ |
| ८ | तुरंगाधिकारी, श्रेणी-२ | .. ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | २७१ | २९७ |
| ९ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | .. ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | ७ | ७ |
| १० | मुख्याध्यापक | .. ९३००-३४८०० | ४२०० | एस-१३ : ३५४००-११२४०० | १ | १ |
| ११ | पर्यवेक्षक (शेती) | .. ९३००-३४८०० | ४२०० | एस-१३ : ३५४००-११२४०० | ९ | ९ |
| १२ | यंत्रनिदेशक | .. ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१० : २९२००-१२३०० | ३ | ३ |
| १३ | पर्यवेक्षक विणकाम | .. ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१० : २९२००-१२३०० | ३ | ३ |
| १४ | प्रयोगशाला तंत्रज्ञ | .. ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१० : २९२००-१२३०० | ९ | ९ |
| १५ | मिश्रक | .. ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१० : २९२००-१२३०० | ३७ | ४७ |
| १६ | कारागृह सुभेदार | .. ५२००-२०२०० | २८०० | एस-१० : २९२००-१२३०० | १५४ | १६८ |
| १७ | सांख्यिकी | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |
| १८ | अन्वेषक | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | ३ | ३ |
| १९ | हस्तकलाकार-नि-यंत्रचालक (निटिंग अँड विर्हिंग निर्देशक) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | ३ | ३ |
| २० | देशक तथा वस्त्रनिर्माण प्रयोग निदेशक | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | ६ | ६ |
| २१ | पर्यवेक्षक (शिवण) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १० | १० |
| २२ | पर्यवेक्षक (चर्म) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | २ | २ |
| २३ | पर्यवेक्षक (कागद) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |
| २४ | पर्यवेक्षक (सुतारकाम) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | ४ | ४ |
| २५ | पर्यवेक्षक (रसायन) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |
| २६ | पर्यवेक्षक (लोहारकाम) | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | २ | ३ |
| २७ | होजिअरी | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |
| २८ | मिलिंग पर्यवेक्षक | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |
| २९ | प्रिपेटरी निदेशक | .. ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : २५५००-८९९०० | १ | १ |

तक्ता ६--चालू TABLE VI--contd.

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---------|-------------------------------|----|------------|------------|--------|-----------------------|
| ३० | वरिष्ठ लिपिक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १३५ १४५ |
| ३१ | गृह पर्यवेक्षक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ३ ३ |
| ३२ | परिचारक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ५१ ६७ |
| ३३ | शिक्षक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ३६ ३६ |
| ३४ | शारीरिक शिक्षण निदेशक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ३५ | निदेशक (गालिचा व पंजा सतरंजी) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ३६ | शारीरिक कवायत निदेशक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ३७ | निदेशक (विणकाम) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ५ ५ |
| ३८ | निदेशक (गवंडी) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ३९ | निदेशक (शिवणकाम) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १३ १३ |
| ४० | निदेशक (लोहारकाम) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ४ ३ |
| ४१ | निदेशक (चर्म) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ३ ३ |
| ४२ | निदेशक (लाखकाम) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ४३ | निदेशक (कातारी) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ३ ३ |
| ४४ | निदेशक (जोडारी) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ४५ | निदेशक (बेकरी) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ८ ८ |
| ४६ | निदेशक (ब्रेल) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ४७ | निदेशक (कागद उद्घोग) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ४८ | निदेशक (सुतारकाम) | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ११ ११ |
| ४९ | छपाई निदेशक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ५० | करवत्या | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ३ ३ |
| ५१ | ताणाकार | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ६ ६ |
| ५२ | वीजतंत्री | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १ १ |
| ५३ | शेती सहायक | .. | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० १६ १६ |
| ५४ | कारागृह हवालदार | .. | ५२००-२०२०० | २४०० + ५०० | एस-८ : | २५५००-८९९०० ५१४ ५६६ |
| | | | | विशेष वेतन | | |
| ५५ | लिपिक | .. | ५२००-२०२०० | ११०० | एस-६ : | १११००-६३२०० २४७ २६७ |
| ५६ | कारागृह शिपाई (रक्षक) | .. | ५२००-२०२०० | २००० + ५०० | एस-७ : | २१७००-६९९०० २६७४ २९६३ |
| | | | | विशेष वेतन | | |
| एकूण .. | | | | | ४४२८ | ४८८४ |

तक्ता ६--चालु TABLE VI--contd.

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|----------|------------------|----|-----------|-----------------------------|------|-------------------|
| गट - ड.- | | | | C. Class IV Establishment-- | | |
| १ | दप्तरबंद | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ | १६६००-५२४०० १ १ |
| २ | स्वयंपाकी | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ | १६६००-५२४०० २ २ |
| ३ | नाईक | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ | १६६००-५२४०० १ १ |
| ४ | झेरॉक्स मशीनचालक | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-३ | १६६००-५२४०० १ १ |
| ५ | शिपाई | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-१ | १५०००-४७६०० १५ १५ |
| ६ | भोजनालय सेवक | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-१ | १५०००-४७६०० १ १ |
| ७ | आया | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-१ | १५०००-४७६०० २ २ |
| ८ | सफाईगार | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-१ | १५०००-४७६०० २ २ |
| ९ | स्वयंपाक मदतनीस | .. | ४४४०-७४४० | १६०० | एस-१ | १५०००-४७६०० ४ ४ |
| | | | | एकूण गट ड पदे | .. | २९ २९ |
| | | | | एकूण पदे | .. | ४५८९ ५०६४ |

कार्यक्रम ३
इतर खर्च

(सहायक अनुदान, अंशदान व देणाया)

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी।-

अर्थक हत्ता आगर इतर गुरुद्याखाली जन्मठेपेंची शिक्षा झालेल्या लायक स्त्री-कैद्यांना शासनाचे आदेशानुसार मान्यताप्राप्त गृहत उवरित शिक्षा भगाणायासाठी पाठीविण्यात येते. सध्या अशा बंदी स्त्रिया श्रद्धानन्द महिला आश्रम, माटुंगा व वासुदेव बाबाजी नवरंगे अनाथालय, पंढरपूर येथे पाठीविल्या जातात. या संस्थांना कैद्यांच्या देखभालीकरिता बुहूमुळे व जिल्ह्यातील प्रत्येक कैद्यांसाठी दरमदा रुपये ६० शासनाकडून सहायक अनुदान स्थगून दिले जाते.

(दोन) वित्तीय आवश्यकता
(II) Financial Requirements

TABLE I
तत्वां १

| रुपये हजारांत / Rs. in thousands) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------------------------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|-------|
| तत्वां १ | | | | | | | | | |
| तपशील योजनेतर योजनांतर्गत | प्रत्यक्ष रकमा २०१७-२०१८ | | | अर्थसंकल्प २०१८-२०१९ | | | सुधारलेले अंदाज २०१८-२०१९ | | |
| | Actuals 2017-2018 | | | Budget Estimate 2018-2019 | | | Revised Estimates 2018-2019 | | |
| | योजनेतर | योजनांतर्गत | एकूण | योजनेतर | योजनांतर्गत | एकूण | योजनेतर | योजनांतर्गत | एकूण |
| १ | Non-Plan | Plan | Total | Non-Plan | Plan | Total | Non-Plan | Plan | Total |
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) | | | | | | | | | |
| एकूण (अ) | .. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ब. उद्दिष्टनिहाय वर्गीकरण.— | | | | | | | | | |
| सहायक अनुदान/अंशदान .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| व देणाया | | | | | | | | | |
| (०१) सहकारी संस्था व .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| इतर संस्था यांना अनुदान | | | | | | | | | |
| ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) | | | | | | | | | |
| एकूण (ब) स्थूल .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| वजा-वस्तुली .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| एकूण (ब) निव्वळ .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| क. वितरव्यवस्थेची साधने— | | | | | | | | | |
| मागणी क्र. प्रथान शीर्ष... .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| बा.१७ २०५६ .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| वजा-वस्तुली .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| एकूण (क) निव्वळ .. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. Source of finance-- | | | | | | | | | |
| Demand No. Major Head | | | | | | | | | |
| B-7 | 2056 | | | | | | | | |
| Deduct-Recoveries | | | | | | | | | |
| Total (C) Net | | | | | | | | | |

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे-४११ ००६